

ANNUAL REPORT 1991-92



BUREAU OF INDIAN STANDARDS



मानक भवन

TWENTY-FOURTH INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMME
IN STANDARDIZATION AND QUALITY SYSTEMS
FOR DEVELOPING COUNTRIES
8 OCT - 29 NOV 1981
organized by BUREAU OF INDIAN STANDARDS NEW DELHI



ANNUAL REPORT

1991-92



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

MANAK BHAVAN, 9 BAHADUR SHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002



Director General's Report

During the period under review, Bureau of Indian Standards (BIS) continued making progress in various fields of activities and it was able to generate adequate resources for meeting its commitments for the third successive year without any governmental assistance towards non-plan expenditure.

On the International scene, BIS actively participated in Indo-EEC Cooperation Programme as well as in the meetings of Committee on Conformity Assessment (CASCO) of International Organization for Standardization (ISO). BIS trained 31 participants from 23 developing countries of Asia, Africa and Latin America in Standardization and Quality Systems.

Various Advisory Committees of BIS contributed towards the success in different activities by giving timely guidance and direction. An assessment of the achievements during 1991-92 is given below:

Development of Standards

During the year, 786 new and revised standards were formulated thereby increasing the total number of standards formulated by BIS to 15 972. Important subjects covered by these standards include safety glass for road transport, mosquito repellent mats and coils, solar biomass *CHULLAH*, security equipment for banks, guidelines for auditing quality systems, sterile hypodermic needles for single use, zinc for galvanising, black oxide coatings on stainless steel parts, thermoplastic fumigation covers, nylon-6 and nylon-66 materials for moulding and extrusion, polyalkylene terephthalate (PET) for

moulding and extrusion, electronic flashers for automotive and light alloy wheels for motorcycles and mopeds.

Important handbooks published during the year include handbook on quality systems, handbook on pipes and fittings used for water supplies and handbook on pumps including handpumps. Four guides on safety of household electric iron, electric radiator, immersion heater and electric stoves were also published during the year.

Certification Marking

During the year 1 213 new licences covering 363 products were granted thereby raising the total number of operative licences to 11 976 and products covered to 1 393. Twenty three new products were brought under the scheme for the first time. These include typewriter ribbon, silk; motor capacitors, fan regulators, electronic; flexible electric heating pads for domestic use; triallate EC; ready to use insecticides for spot application; MTP suction apparatus; margarine; tooth paste; cotton knitted sport shirts; *CHAKKA* and *SHRIKHAND*; residual current operated circuit breakers; asbestos cement building boards and energy efficient induction motors. 43 226 inspections were carried out to ensure effective monitoring of the BIS Certification Marks licensees. 24 review meetings of licensees were held covering product areas like valves and regulators, LPG cylinders, steel re-rolled products, electrodes, RCC pipes, cement, pumps, pesticides, plywood tea-chest, deepwell handpump, safety footwear, mild steel tubes, biscuits and wafers, GLS lamps

and fruit products, providing valuable feedback for updating relevant products standards/procedures.

Quality Systems Certification

BIS launched Quality Systems Certification Scheme during the year and also made elaborate arrangements for imparting training of a very high standard to its team of lead assessors. BIS officials underwent extensive training abroad in auditing towards registration as lead assessor. BIS received two applications for grant of licence under ISO 9000/IS 14000 series of standards.

IECQ Quality Assessment System

Seven manufacturers were granted approval to certify their products besides one independent testing laboratory, thereby raising the total number of approvals to 13 manufacturers, four independent testing laboratories and one distributor. This approval enables the manufacturers of electronic components in India to export their products without the need of any further inspection and testing at the receivers end.

Products and Development Testing

BIS laboratories tested 36 839 samples of various products under Certification Marks Scheme. The Central Laboratory of the Bureau also undertook research and investigational work primarily to facilitate incorporation of appropriate requirements in Indian Standards. Sophisticated instrument like Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer (ICP) was added. Additional testing facilities were created to cope with additional samples. Obsolete testing equipments were also replaced during the year.

Six outside laboratories were recognized during the year bringing the total number of laboratories so recognized to 267 for testing of samples drawn under BIS Certification Marks Scheme. The chemical, electrical, mechanical and calibration wings of the Central Laboratory successfully completed assessment by the reputed scientists deputed by Department of Science & Technology (DST) for accreditation under National Registration and Advisory Council (NRAC).

Standards Promotion

BIS continued its efforts for creating greater awareness amongst consumers, industries and their associations about standardization, certification and other activities. Number of exhibitions, technical conferences, seminars, educational utilization programmes, company standardization programmes and SQC training programmes were organized in different parts of the country. Publicity brochures, pamphlets and other literature were brought out on these occasions and services of electronic media, press and

other audio-visual media were extensively utilized to spread the message to the masses. BIS continued providing information about its activities to all the consumer organizations as well as associations of the trade and industry to ensure a fuller participation from them in its various activities.

Information Services

BIS continued to process and distribute latest information on standardization and quality development activity in India and abroad by bringing out its periodicals 'Standards India', 'MANAKDOOT', 'Standards: Monthly Additions', 'Standards Worldover' and 'Current Published Information on Standards.' The Central Enquiry Point under GATT responded to the queries from India and abroad on standards, regulations and certification systems prevalent in India and other countries.

Computerization and Office Automation

A number of application software were developed and implemented in various activities of BIS to ensure uniform and quick availability of data for decision making. In addition modifications were carried in the existing software programmes to suit the present needs of BIS.

International Cooperation

India participated in CASCO and other technical committee meetings of ISO/IEC. Bilateral cooperation in the field of standardization and quality control with Turkey, China, Iran and Poland were further strengthened during the year.

As a matter of policy, BIS continued to train officers from Standards Bodies of developing countries and organized its Twenty-Fourth International Training Programme on Standardization and Quality Systems from 3 October to 29 November 1991. A total of 437 personnel from 51 countries of Asia, Africa and Latin America have so far derived benefit from these programmes.

Human Resources Development

BIS had a strength of 2 388 persons as on 31 March 1992, including 406 persons belonging to scheduled castes/scheduled tribes.

During the year 51 in-house training programmes with a participation of 797 officials were organized to expose them to the latest techniques in testing, office procedures and office automation. Further, 79 officials were deputed to undergo 54 different specialized training programmes organized by outside agencies.

Employees-employer relations remained cordial during the year. Various problems and issues were solved by mutual consultations and discussions.

Several welfare measures were adopted by BIS for its employees which include provision for holiday homes, employees consumer cooperative store, house building loan (interest subsidy) scheme and group personnel accident insurance scheme. Dependents of employees who died while in service were provided employment on compassionate grounds.

Finance

For the third successive year the BIS continued its activity without any budgetary support from the Government of India. During 1991-92, income realized rose to Rs 199.2 million against Rs 174.7 million in 1990-91, indicating a growth of 14 percent. Certification income increased to Rs 180.1 million from Rs 158.3 million, during the same period.


Consumer Protection

During the year BIS continued to promote consumer protection through participation in various meetings of Central Consumer Protection Council, Consumer Protection Councils of various

State Governments and Programme Advisory Groups (PAG) for Consumer Protection. Number of brochures to educate common consumers were published and the role of BIS highlighted through press, *DOORDARSHAN* and All India Radio.

Looking Ahead

With the liberalization of the industrial policies and reforms in the economy, BIS foresees important role it has to play in raising the quality of goods and services so that the same are competitive and acceptable in the global markets. BIS will rise to the occasion by upgrading its standards as well as strengthening its activities in the field of product certification and Quality Systems Certification by providing trained personnel through prudent policies. BIS is now well poised for a quantum leap in Quality Systems Certification by its ability to grant licences according to ISO 9000/IS 14000 series of standards, and by taking steps to have its Certification Schemes duly accredited.



(Lieut. General A.S. Bhullar)



Policy Planning

New initiatives and policy plans for extending the existing spectrum of activities consisting of creation of a broad based national system of standardization, identification of thrust areas for standardization and keeping the standards contemporary were charted by the Bureau during 1991-92. Further emphasis on international certification systems, compulsory certification of items affecting health and safety of the consumer, strengthening laboratory infrastructure, modernization of office operations and creating awareness of standards and quality and inculcating international competitiveness was continued.

First meeting of BIS, held during 1991-92 under the chairmanship of Shri Kamaluddin Ahmed, the Minister of State for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution, stressed the need for raising quality of goods and services by providing standards, promoting standardization and certification of products and quality systems specially in view of emphasis shifting from quantitative achievements to quality upgradation, international competitiveness and promotion of exports. It was decided to lay more stress on quality systems to take care of all relevant aspects related to influencing quality starting from product inception and ending with services to the users. In the second meeting held on 30 March 1992 the Hon'ble Minister gave a new direction to the Bureau's policies for resorting to harmonization of BIS standards with EEC standards on export items.

Major decisions taken by the highest policy making body of BIS during 1991-92 are summarized as follows:

- a) To safeguard the interest of consumers, the seminars on quality organized by BIS should give coverage to salient features of *Consumer Protection Act*. Seminars exclusively on consumer affairs be organized.
- b) To safeguard the interest of common consumers, steps be taken to improve the quality of GLS lamps and electrical appliances.
- c) Decided to constitute a Legal Advisory Committee.
- d) To take strict measures to curb misuse of the Standard Mark.

Executive Committee (EC)

Three meetings of the EC were held during 1991-92. EC monitored the ongoing activities in BIS and gave guidelines for further growth and developments. Issues relating to staff welfare and promotion of Hindi as official language were also deliberated.

In order to ensure economic cooperation and an efficient quality oriented industrial set up in developing countries and NAM, EC, BIS accorded its approval to host the meetings of NAM Group in the sphere of Standardization, Measurement and Quality Control.



The eighth Bureau meeting in session.



Members deliberating in the fourth meeting of Chemical Division Council



Development of Standards

Fifteen technical divisions of the BIS functioned under the overall guidance of Standards Advisory Committee (SAC).

Progress in Standards Developments

During the year BIS technical divisions formulated 786 new and revised standards

bringing the total number of standards formulated to 15 972 as on 31 March 1992. A comparative chart showing the number of standards in force over the last five years is illustrated in Fig. 1. The data under various heads of standards formulation activity are highlighted in Table 1.




Fig. 1 Standards in Force

Table 1 Standards Formulation Activity During 1991-92

Technical Divisions	No. of Committees	No. of Meetings Held	New & Revised Standards Formulated	Amendments Issued	Drafts Standards Issued into Wide Circulation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chemical	31	22	73	18	70
Civil Engineering	44	22	76	79	85
Electronics & Telecommunications	34	21	74	4	72
Electrotechnical	40	32	71	53	36
Food and Agriculture	47	26	71	27	67
Heavy Mechanical Engineering	26	20	51	17	20
Light Mechanical Engineering	26	18	51	3	36
Management and Systems	9	8	2	5	3
Medical Equipment & Hospital Planning	18	11	39	9	35
Metallurgical Engineering	35	25	72	6	74
Petroleum, Coal & Related Products	21	8	47	20	53
Production Engineering	18	16	46	3	50
River Valley Projects	22	19	26	10	27
Textiles	29	13	45	14	35
Transport Engineering	23	18	42	15	54
Total	423	279	786	283	717

Important Standards Developed

Some of the important subjects on which new as well as revised standards have been formulated are listed below divisionwise:

Chemical

- Footwear—glossary of terms
- Resuscitators intended for human use
- Safety glass for road transport
- Safety evaluation of bathing bars and toilet soaps
- Bathing bars

Civil Engineering

- Common burnt clay building bricks
- Non-destructive testing of concrete
- CI single faced thimble mounted sluice gate valves
- Fire extinguisher 50 l capacity, wheel-mounted, water type (gas cartridge)
- Geosynthetics—glossary of terms

Electronics and Telecommunications

- Indian script code for information interchange
- Dimensions of E-cores with rectangular cross-section made of magnetic oxides intended for general applications
- TV aerial feeder cables
- Connectors for optical fibres and cables, sectional specification – fibre optics connector Type F-SMA.

Electrotechnical

- AC supplied electronic ballasts for fluorescent tubes
- Safety of household and similar electrical appliances
 - Electric iron
 - Electric radiator
 - Immersion heater
 - Electric stoves
- Nickel cadmium aircraft batteries

Food and Agriculture

- Mosquito repellent mats and coils
- Low fat infant formula and soya protein infant formula
- Non-alcoholic beverages bases (concentrates) for domestic use
- Evaluation of the field irrigation efficiency
- Animal drawn vehicle

Heavy Mechanical Engineering

- Solar flat plate collectors
- Solar bio-mass *CHULLAH*
- Extra deepwell hand pumps

- Inspection and re-conditioning of used LPG cylinders
- Security equipment for banks

Light Mechanical Engineering

- Angstrom pyrheliometer
- Thermoelectric pyrheliometer
- ISO systems of limits and fits

Management and Systems

- Quality management and quality assurance standard—guidelines for the application of IS 14001 to the development, supply and maintenance of software
- Guidelines for auditing quality systems auditing
 - Qualification criteria for quality systems Auditors
 - Management of audit programmes

Medical Equipment & Hospital Planning

- Portable first-aid kit for general use
- Surgical microscope
- Sterile hypodermic needles for single use
- Good manufacturing practices for orthopaedic implants
- MTP suction apparatus

Metallurgical Engineering

- Black oxide coatings on stainless steel parts
- Aluminium alloy redraw rods for electrical purposes
- Zinc for galvanising
- General standards for qualification and certification of non-destructive testing personnel
- CI specials for mechanical and push-on flexible joints for pressure pipelines for water, gas and sewage

Petroleum, Coal & Related Products

- Thermoplastics fumigation covers
- Polyamide (Nylon-6) and polyamide (Nylon-66) materials for moulding and extrusion
- Polyalkylene terephthalate (PET) for moulding and extrusion
- Ethylene vinyl acetate (EVA) copolymers for safe use in contact with foodstuffs, pharmaceuticals and drinking water
- Disposable surgical rubber gloves

Production Engineering

- Anthropometric terminology for ergonomics for machine tools
- Indexable inserts for cutting tools - designation
- Test chart for horizontal spindle capstan, turret and single spindle automatic lathes

River Valley Projects

- Liquid flow measurement in open channels
 - Flat V-weirs
 - Round nose horizontal crest weirs
- Guidelines for selection of turbines

Textiles

- Jute and jute based bags - method for drop test
- Textile fibres — Commercial moisture regain
- Geotextiles — methods of test
- Textile dyestuffs — CI fluorescent brightener 199

Transport Engineering

- Electronic flashers for automobiles
- Noise level on board ships — method of measurement
- Tyres for agricultural tractors, implements and tillers
- Light alloys wheels for motorcycles and mopeds
- Tyres for animal drawn vehicles

Updating of Standards

Standards published five year earlier were taken up for review. 283 amendments were issued to the existing standards during the year.

Multi-Disciplinary Coordination

To make available standards for specific interests like energy conservation, environment protection, consumer protection, ship building, etc, specific classified lists of standards alongwith other relevant information were documented.

Technology Mission on Water Supply

Bureau continued its work on the special project on the Quality Assurance for Water Supply Mission

(QAWSM) by effecting speedier development and supply of the needed standards and guidelines for instituting quality assurance measures for the products used in the implementation of the Mission Schemes.

Three special publications; namely


- Location, operation and maintenance of tube/bore well — guidelines
 - Pipes and fittings used for water supply — Compendium
 - Pumps including handpumps — Compendium
- were finalized during 1991-92.

Some of the other important standards formulated on the subject include :

- Code of practice for installation and maintenance of deepwell handpumps,
- Specification for extra deepwell handpumps,
- General requirements for water well drilling - down the hole hammer rigs for water wells,
- Specification for unplasticized PVC ribbed screen casing and plain casing pipes for bore/tube wells, and
- Specification for steel tubes used for water wells and 3-phase induction motors.

Three important standards relating to deepwell handpumps were translated in Hindi and are under print.

Two state level awareness programmes on standards promotion and certification activity relating to Water Mission were organized at Shimla (July 1991) and Guwahati (December 1991), with a participation of 150 public health engineers. Three Workshops at Hyderabad (July 1991), Bhopal (August 1991) and New Delhi (January 1992) were also organized by BIS, on the subject.



Certification Marking

Product Certification

BIS made concerted efforts to consolidate operation of BIS Certification Marks Scheme during 1991-92. As a result of which the number of operative licences increased to 11 976 resulting in an increase in income from certification to Rs 180.1 million registering a growth of 14 percent over the preceding year. A total of 1 213 new licences were granted during the year covering 363 products, including 23 products brought for the first time under BIS Certification Marks Scheme.

The important ones comprise:

- a) Typewriter ribbon, silk;
- b) Motor capacitors;
- c) Fan regulators, electronic;
- d) Flexible electric heating pads for domestic use;
- e) Triallate EC;
- f) Ready to use insecticides for spot application;
- g) MTP suction apparatus;
- h) Margarine;
- j) Tooth paste;
- k) Cotton knitted sport shirts;
- m) CHAKKA and SHRIKHAND;
- n) Residual current operated circuit breakers;
- p) Asbestos cement building boards; and
- q) Energy efficient induction motor.

Indian Standards Under Certification

Total number of Indian Standards on which Certification Marks licences had been granted reached 1 393 as on 31 March 1992. Of these 281 standards relate to items of everyday use. These items include LPG cylinders, LPG stoves, oil pressure stoves, pressure cookers, safety matches, safety razor blades, VANASPATI, cement of different types, biscuits, GLS lamps, fluorescent tubes, dry cell batteries, cotton vests, powdered hair dyes, desert coolers, infant foods, milk products, etc. The collective value of goods certified during the year is estimated to be Rs 70 000 million.

The number of operative licences as on 31 March 1992 stood at 11 976 against 11 572 last year. The industry-wise and region-wise break-up of these licences is given in Tables 2 and 3 respectively.

The number of licences in operation during the last 5 year period industry-wise, are given in Fig. 2.



Fig. 2 Broad Distribution of Certification Marks Licences On Industrywise Basis

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| A — Electrical & Electronics | B — Civil Engineering | C — Food and Agriculture |
| D — Mechanical, Transport and production Engineering | E — Metallurgical Engineering | F — Chemicals, Petrochemicals, Coal and Related Products |
| G — Textiles | H — Hospital Equipment | |

The growth in the number of licences in operation during the last 5 year period is given in Fig. 3.



Fig. 3 Licences in Operation

**Table 2 Industry-Wise Distribution of Certification Marks Licences
(As on 31 March 1992)**

SI No.	Field	Licences in Operation (Including Deferred)
1.	Civil Engineering	2 319
2.	Chemical	813
3.	Electrotechnical	2 596
4.	Food and Agriculture	2 007
5.	Heavy Mechanical Engineering	1 282
6.	Light Mechanical Engineering	113
7.	Electronics and Telecommunications	14
8.	Hospital Equipment	78
9.	Metallurgical Engineering	1 473
10.	Petroleum, Coal & Related Products	642
11.	Production Engineering	41
12.	Transport Engineering	72
13.	Textiles	526
	Total	11 976

**Table 3 Region-Wise Distribution of Certification Marks Licences
(As on 31 March 1992)**

SI No.	Region	Branch Office	Licences in Operation (Including Deferred)
1.	Central	a) Delhi	1 255
		b) Bhopal	625
		c) Ghaziabad	399
		d) Jaipur	496
		Total	<u>2 775</u>
2.	Eastern	a) Calcutta (including Guwahati)	1 390
		b) Bhubaneswar	142
		c) Patna	415
		Total	<u>1 947</u>
3.	Northern	a) Chandigarh	1 336
		b) Faridabad	327
		c) Kanpur	269
		d) Lucknow	272
		Total	<u>2 204</u>
4.	Southern	a) Madras	691
		b) Bangalore	470
		c) Coimbatore	427
		d) Hyderabad	560
		e) Thiruvananthapuram	190
		Total	<u>2 338</u>
5.	Western	a) Bombay	1 700
		b) Ahmadabad	1 012
		Total	<u>2 712</u>
GRAND TOTAL			<u>11 976</u>

Supervision of Operative Licences

The number of inspections carried out for grant, supervision, operation, etc., of licences during the period under review is given in Table 4.

Table 4 Inspections Carried Out from 1 April 1991 to 31 March 1992

SI No.	Region	Branch	Inspections		
			Preliminary	Periodic	Others
1.	Central	a) Delhi	329	2 659	645
		b) Bhopal	145	1 995	348
		c) Ghaziabad	103	676	536
		d) Jaipur	173	1 144	350
		Total	750	6 474	1 879
2.	Eastern	a) Calcutta (including Guwahati)	148	3 602	204
		b) Bhubaneswar	38	340	451
		c) Patna	28	884	83
		Total	214	4 826	738
3.	Northern	a) Chandigarh	136	3 693	1 650
		b) Faridabad	58	1 009	1 948
		c) Kanpur	54	716	526
		d) Lucknow	80	731	40
		Total	328	6 149	4 164
4.	Southern	a) Madras	101	1 315	166
		b) Bangalore	92	1 500	370
		c) Coimbatore	44	1 275	62
		d) Hyderabad	107	1 270	297
		e) Thiruvananthapuram	37	793	108
		Total	381	6 153	1 003
5.	Western	a) Bombay	223	4 909	1 216
		b) Ahmadabad	153	1 755	1 911
		Total	376	6 664	3 127
GRAND TOTAL			2 049	30 266	10 911

Expired/Cancelled Licences

During the year, 616 licences were expired. The reasons for expiry/cancellation of licences were unsatisfactory performance of the licensees, closure of the licensee's factory, licensee's lack of interest to continue manufacturing of the product covered by the licence, etc.

Four fresh complaint cases for improper use of the Standard Mark were filed in competent courts during the year. Four old cases were decided during this period in which the accused were convicted and fined. 29 showcause notices were also issued advising the parties to refrain from claiming conformity of their goods to the IS Specifications, as they did not possess valid permission under the *Bureau of Indian Standards Act, 1986*.

Review of Operations of BIS Certification Marks Scheme

BIS continued to obtain feedback on BIS Certification Marks Scheme by periodically organising review meetings with its licensees in specific fields. In these review meetings the technical difficulties encountered in implementation

of the standards and users' preferences for quality parameters in the products were discussed and necessary actions taken for reviewing the standards and/or certification procedures involved.

During the year 1991-92 twenty four review meetings as given in Table 5 were organized.

IECQ Quality Assessment System for Electronic Components

Since April 1989, India is a certifying member of the IECQ Quality Systems for Electronic Components operated by the International Electrotechnical Commission (IEC).

Electronic component as certified under the System need not be further inspected and tested at the receiver's end. During the year approval was granted to seven manufacturers to certify their products and one independent testing laboratory. With these additions, the total number of approval granted as on 31 March 1992 under the IECQ system are:

Manufacturer's approval	13
Independent test laboratory approval	4
Distributor approval	1

Table 5. Review Meetings Organized During 1991-92

Subject Field	Date	Venue
Licensees under ABO	12 April 1991	Ahmadabad
Licensees of North Eastern States	25 April 1991	Calcutta
Licensees of LPG stoves, grillers cooking range and LPG tubings under NRO and CRO	10 May 1991	New Delhi
Licensees of LPG stoves under WRO	19 June 1991	Bombay
Licensees/applicants of Steel Re-rolling Mills and Mini Steel Plants under Eastern Region	11 July 1991	Calcutta
Welding Electrodes licensees at SRO	19 July 1991	Trichy
Licensees of RCC pipes under WRO	5 August 1991	Bombay
Licensees of Cement under ERO	7 August 1991	Ranchi

Subject Field	Date	Venue
Pump Manufacturers Association, Gujarat	9 September 1991	Ahmadabad
Licensees of Pesticides under ERO	24 September 1991	Calcutta
Licensees of Rotary Kiln Cement	26-27 September 1991	Khajurao
Open house discussion with Steel Re-rollers of Rajasthan	14 October 1991	Jaipur
Licensees of Tea-chest Plywood Panels	30 October 1991	Calcutta
Licensees of Deepwell Handpumps	12 November 1991	Hyderabad
Licensees of Safety Footwear	13 November 1991	Calcutta
Licensees of Mild Steel Tube	20 December 1991	Ghaziabad
Licensees of LPG cylinders, valves and regulators	30 January 1992	Faridabad
Licensees of Motors and Pumps	19 February 1992	Coimbatore
Licensees of Biscuits and Wafers	25 February 1992	Hyderabad
Licensees of Deepwell Handpumps	25 February 1992	Patna
BIS licensees of GLS Lamps	12 March 1992	Bangalore
Licensees of Mini Cement Plants	12-13 March 1992	Jaisalmer
Licensees of Food Products	24 March 1992	Calcutta



Quality Systems Certification

The Scheme

The Quality Systems Certification Scheme of BIS was launched on 23 September 1991 under the provisions of the *Bureau of Indian Standards Act, 1986*, after the relevant Certification Regulations were amended and notified in the Gazette of India. The Certification under this scheme is against IS 14000/ISO 9000 series of standards. The operation of the scheme involves initial assessment and subsequent surveillance of the quality systems installed by the firm for verification of the conformity to the prescribed requirements of the respective standard of the IS 14000 series of standards.

The IS 14000 series of standards on quality systems are a comprehensive series of documents applicable to various types of organizations; those who design and manufacture; those who simply manufacture; and those who carry out only final inspection and test. The three models of quality systems covered in IS 14001, IS 14002 and IS 14003 establish quality assurance to the customers, at various stages throughout the life of contract, whether it is a product or a service.

Under the Quality Systems Certification Scheme, companies after having installed quality systems, can apply to the Bureau for assessment and issue of licence to use Quality Systems Certification Mark. The assessment is carried out by trained assessors as per the international practices. During the year, the number of officers qualified as Lead Assessor rose to 65 and one officer was registered as Lead Assessor with the Institute of Quality Assurance, U.K. As on 31 March 1992, two applications had been received and were under process for certification.

Mutual Recognition of Scheme

The systems and procedures followed by BIS for certification of Quality Systems are similar to those of other certification bodies in Europe and therefore, it is expected that the BIS certification of quality systems will be recognized by all European countries. Negotiations for Memoranda of Understanding (MOUs) with certification bodies in other countries are going on.

Pre-Certification Services

In order to prepare the industry for Certification, BIS has launched the following Pre-Certification Services:

Quality Systems Appreciation Programme

— for those units who have decided to go in for the IS 14000 series of standards and also on the steps that the industry should take towards starting a quality systems programme in their organization.


During the year ending 31 March 1992, 67 programmes covering 1 774 participants have been conducted for the benefit of industry.

Quality Systems Survey — for those units who have already taken steps to implement quality systems having completed documentation and are in the process of conducting an internal audit.

So far, Quality Systems Survey has been conducted for 3 units.

Trial Assessment — for those units who have already installed quality systems but would like to gain confidence before they apply for certification.

Trial Assessments were conducted for 2 divisions of a company.



Laboratory — Products and Development Testing

BIS, through a network of eight laboratories continued to support the product certification system; the samples of certified products were tested for ascertaining their conformity against the relevant Indian Standard. BIS laboratories also participated in the Bureau's standardization activities by undertaking a number of investigational studies, related to method development and assessment.

To cope with the increasing workload of testing, the Bureau spent a sum of Rs 9.3 million on construction of new buildings and purchase of various test equipments. The newly constructed laboratory complex at Madras was furnished and equipped with the necessary testing equipments and measuring instruments during the year.

Emphasis was laid during the year in training the testing personnel of the Bureau in new techniques. Technical personnel from licensees, applicants and other industries were imparted training in selected areas. The calibration wing of the Central Laboratory started the activity of internally calibrating various measuring equipments during the year.

Sample Testing

As many as 36 839 samples covering a wide range of products were tested. Further 9 257 samples were got tested from independent laboratories recognized by the Bureau.

Region-wise distribution of samples tested in Bureau's laboratories during the year 1991-92 is given below:

BIS Laboratories	No. of Samples Tested
Central Laboratory, Sahibabad (near Delhi)	12 587
Calcutta, Patna and Guwahati	7 217
SAS Nagar (near Chandigarh)	5 254
Madras and Bangalore	6 635
Bombay	5 146
Total	36 839

The number of samples tested annually during the last five years are indicated in Fig. 4.




Fig. 4 Samples Tested

□ IN BIS LAB

▒ IN OUTSIDE LAB

Research and Investigational Work

The Central Laboratory of the BIS undertook the following projects among other investigations:

- Estimation of nickel content in *vanaspatti* by modified atomic absorption spectrophotometer (AAS) method.
- Study on moisture regain test for viscose staple fibre and yarn.
- Evaluation of improved LPG stoves developed by Indian Institute of Petroleum, Dehra Dun.

The above investigations enabled incorporation of appropriate requirements in the relevant Indian Standards.

Quality Assurance

The laboratory quality manual covering all aspects of management and operations for good laboratory practices continued to be vigorously implemented in the network of Bureau's laboratories. Necessary internal quality audit have been initiated, and corrective actions taken.

Calibration

The Central Laboratory of the BIS commenced in-house calibrations of length measuring instruments and gauges, pressure and vacuum gauges, a.c. and d.c. voltmeters, ammeters and

wattmeters. During the year 1991-92, 88 instruments were calibrated in mechanical and another 66 in electrical fields. The calibrators are traceable to the National Standards maintained by the National Physical Laboratory, New Delhi. Thus, the first step to join the National Measurement System has been taken.

Expansion and Upgradation of Testing Facilities

The following additional equipment were installed on the locations marked against each:

Equipment	Installed at
Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer (ICP)	Madras
Humidity Chambers with Heating and Cooling Devices	Bangalore and SAS Nagar
Hydraulic Test Equipment for PVC Pipe	Bombay
Tensile Testing Machine	Calcutta and Bombay
Equipment to Create and Maintain Standard Atmospheric Conditions	Calcutta, Central Laboratory and Bangalore

Testing facilities were created to evaluate samples of cotton duck (IS 1422); expanded vinyl coated fabrics (IS 6895); electrically bonded road and rail tanker hose of rubber, resistant to petroleum

products (IS 10733); rubber hose for sand blasting (IS 5894); water suction and discharge hose of rubber, heavy duty (IS 3549); polypropylene (PP) woven sacks for packing cement (IS 11653). Additional equipment was added to cater to increasing demand for testing of LPG gas stoves. Steps were taken to complete partial testing facilities for sanitary appliances and safety glass used in automobiles as per the relevant Indian Standards.

Accreditation of Central Laboratory

BIS Central Laboratory submitted the applications for accreditation of its chemical, electrical and mechanical testing and calibrating laboratories to National Council for Testing and Calibration Facilities (NCTCF) of Department of Science and Technology (DST) during the year and have successfully completed the assessment by the reputed scientists deputed by DST as experts to assess the competence of the laboratory. Formal accreditation is awaiting the meetings of expert committees and National Registration and Advisory Council (NRAC).

Training in Testing

A number of training programmes were conducted for improving the skills of BIS testing personnel and also the testing personnel of BIS licensees, applicants, other testing laboratories, etc, during 1991-92 in fields like domestic electrical appliances, paints and allied products, calibration of electrical and mechanical measuring instruments. The Central Laboratory received trainees from neighbouring countries like Nepal, Vietnam for short-term familiarization courses.

BIS testing personnel were also deputed to national laboratories and organizations in India and abroad for undergoing specialized training in different aspects of testing and management.

Recognition of Independent Laboratories

Under the scheme of recognizing independent laboratories for carrying out testing on behalf of the BIS, six new laboratories were recognized bringing the total number of the recognized laboratories to 267.



Standards Promotion

To achieve better utilization of national standards and services provided by BIS, effective use was made of electronic, press and other audio-visual media. Important events and achievements during 1991-92 were effectively propagated through radio, *DOORDARSHAN*, newspapers and house journal 'Standards India'.

Quickies produced by BIS and interviews with BIS officials were telecast by *DOORDARSHAN* in Hindi and other regional languages through its various centres; 15-second radio spots in Hindi and regional languages were broadcast from various centres of All India Radio. Radio talks, interviews and discussions pertaining to various activities of the Bureau were arranged through All India Radio to educate large sections of the society. Publicity campaigns were undertaken by organizing open-house discussions, video films, brochures, press conferences, press notes, advertisements, write-ups, close circuit TV, posters, electronically luminated display boards, etc. Special supplements in Dailies were brought out on important occasions like World Standards Day and NAM meetings. The scheme of Quality Systems Certification launched during the year and NACOSTAN 92 were given due coverage in electronic media.

The Bureau participated in a number of exhibitions organized in different parts of the country :

Some of them are as under:

Govt Exhibition, Madurai	21 April-14 June 1991
Consumer Awareness Exhibition, Bombay	4-5 May 1991
INDEXPO, Madras	21-27 June 1991
Consumer Exhibition, Coimbatore	4 August 1991
Architecture Interior and Materials Exhibition, New Delhi	4-6 October 1991
<i>PRAKASH '91</i> Exhibition, New Delhi	7-13 October 1991
Exhibition of BIS Publications, Bhilai	14 October 1991
Open House-cum-Exhibition, Ghaziabad	14 October 1991
Publications Exhibition, New Delhi	23 October 1991
Consumer Exhibition, New Delhi	25-26 October 1991
IITF 1991, New Delhi	14-24 November 1991
Ideal Home Exhibition, Madras	6-16 December 1991
Energy India Exhibition, Bombay	7-15 December 1991
Science & Culture Expo, Ichhapur, Agmark, Bangalore	8-12 December 1991
Consumer Exhibition, Bhubaneswar	8-16 December 1991
All India Industrial Exhibition, Hyderabad	29 December 1991
Display Exhibition, Bombay	1 January-15 February 1992
Calcutta Book Fair, Calcutta	9 January 1992
Tenth World Book Fair, New Delhi	29 January-9 February 1992
Packtech India Exhibition, Bombay	1-9 February 1992
Exhibition of Industrial Products, Chandigarh	28 February-1 March 1992
National Technology Fair, Madras	28 February-7 March 1992
Display Exhibition, Chandigarh	4-9 March 1992
Consumer Awareness Exhibition, Bombay	9-13 March 1992
Consumer Fair, Chandigarh	11-14 March 1992
World Consumers' Day, Dharmapuri, Tamil Nadu	15-17 March 1992
	22 March 1992



BIS stall in a consumer exhibition at Chandigarh.



The stall of BIS in IITF '91



High performance liquid Chromatography (HPLC)
for testing pesticides



Dignitaries appreciating the salient features of ISI marked deepwell handpump.

Implementation of Indian Standards

The following organizations were motivated to opt for BIS certified stores, wherever available.

Oil India Ltd;

The Singarani Collieries Co Ltd;

National Projects Construction Corporation Ltd;

Public Health Engineering Department, Bhopal;

MP Laghu Udyog Nigam, Bhopal.

SI No.	Programme	Venue	Date
1.	Inspection and Quality Control in the Manufacture of Hosiery Garments	Tirupur	3 April 1991
2.	Standardization and Certification System in Electronics	Mysore	11 April 1991
3.	Failure of MS and Pre-Stressed Concrete Pipes	Pune	13 April 1991
4.	Quality Control Aspects and Works	Bhopal	22 April 1991
5.	Standardization for Materials Management	Bangalore	10 July 1991
6.	Agro and Food Processing Industries	Bhubaneswar	12 August 1991
7.	National Building Code and Standards on Building Materials	Hyderabad	24 August 1991
8.	Hot Dip Galvanizing	Bombay	28 August 1991
9.	Quality Control on Diesel Engines	Rajkot	28 August 1991

Technical Conferences and Seminars

Some of the major technical conferences and seminars organized by BIS or in collaboration with other organizations for generating increased awareness in the field of standardization and quality are listed below:

SI No.	Programme	Venue	Date
10.	Industrial Information Dissemination	Madras	20 September 1991
11.	Standardization and Certification	Abu Road	16 October 1991
12.	Sampling of Geological Materials	Bhubaneswar	9-10 November 1991
13.	Standardization and Materials Management	Hyderabad	2 December 1991
14.	Consumer Protection Education and Awareness in Rural India	Lucknow	23-25 January 1992
15.	Combating the Problems of Counterfeit Parts	Madras	5 February 1992
16.	Quality Control and Testing of Paints	Bombay	28 February 1992
17.	NACOSTAN 92	New Delhi	6-7 March 1992
18.	Consumer Protection and Role of BIS	Coimbatore	15 March 1992
19.	Consumer Protection	Karnal	30 March 1992

Educational Utilization of Indian Standards

Nine workshops on Educational Utilization of Indian Standards were organized in different parts of the country to give a close exposure of

national standards in the field of their interest to the faculty members and senior students of educational institutions.

Institution	Date	Target Group
Govt Polytechnic, Ghaziabad	4-5 June 1991	Faculty Members and Senior Students
ISTE School, Coimbatore	6 June 1991	- do -
ISTE School, Banaras	27 June 1991	- do -
TTTI, Chandigarh	16-17 September 1991	- do -
NSS College of Engineering, Palakkad	14 October 1991	- do -
YMCA Institute of Engineering, Faridabad	26 October 1991	do
University of Roorkee, Roorkee	28-29 January 1992	- do -
Nagpur	29 February and 1 March 1992	Faculty Members (from 6 technical institutions)
Siddaganga Institute of Technology, Tumkur, Orissa	21-22 March 1992	- do -

Reaching New Horizons Through Standards
Bureau of Indian Standards Certification
Scheme
Quality Systems Certification Scheme
Standards Help All of Us
BIS and Infant Care
Year Planner
BIS Laboratories — Testing for Quality
Because We Care

Translation Services

About 2 600 pages comprising standards, technical reports and scientific and technical papers were translated from French, German and Russian into English. Besides, large number of queries pertaining to information contained in foreign language documents were responded to and a number of articles abstracted.

Hindi in BIS Activities

In consonance with the national policy on Official Language, the Bureau promoted use of Hindi in its various departments. For the purpose, workshops on Hindi noting and drafting were organized during 6-7 June 1991 at Chandigarh, 27 March-3 April 1991 at HQ and again on 17-21 June 1991 at Headquarters (HQ). Employees of the Bureau were given training in Hindi typing and stenography in batches.

Hindi Day was celebrated at regional and branch offices during September 1991.

Twenty eight Indian Standards of consumer interest were translated into Hindi and these related to steel buckets, mugs, benzoic acid food grade, functional requirements of hotels, restaurants and other food services aspects, shoe cream, burnt clay jallis, domestic juice

extractor, household laundry detergent bars, general purpose sterilizers, *chappal*, etc.

Consumer Affairs

The Bureau made intensive efforts in promoting consumer welfare through standardization and its Certification Marks Scheme by directly and indirectly interacting with common consumers, their associations and Consumer Protection Council. The Bureau was nominated on a high power working group instituted by Government of West Bengal for proposing amendments to *Consumer Protection Act*, and *M RTP Act* for effective consumer protection. The report was presented to Hon'ble Prime Minister on 22 June 1992. On 'Consumer Day' the 15 March 1992 pamphlet 'BIS and Infant Care' was brought out. A number of programmes were organized at headquarters, regional and branch offices to create better awareness among consumers.

At the international level, BIS intensified its participation in ISO/IEC Council Committee on Consumer Policy (COPOLCO). On two working groups set up by COPOLCO, in which BIS has membership, one Working Group is to revise ISO/IEC Guides 14 and 37, 'Product information for consumers' and 'Instructions for use of products of consumer interest' respectively and second for identifying areas of consumer interest for standardization. India's contribution to the first working group, especially the nomination of a consumer activist to the group, was appreciated.

The complaints on products carrying Standard Mark as received from the consumers during the year continue to draw a vigilant and close attention of BIS. These were effectively monitored and redressed in time.



Regional and Branch Offices

To create increased awareness about the activities of the Bureau in the field of standardization and quality certification, the Bureau's Regional and Branch Offices, spread throughout the country, made significant contributions. These centres ensured better dissemination of information pertaining to standards published, products covered under Certification Marks Scheme and other services rendered by the Bureau in the field of consumer protection. The set up of Regional and Branch Offices of BIS with its Headquarters at New Delhi as on 31 March 1992 is as follows:

Regional Offices	Branch Offices
Central, New Delhi	Delhi, Bhopal, Jaipur and Ghaziabad
Eastern, Calcutta	Calcutta, Bhubaneswar, Guwahati and Patna
Northern, Chandigarh	Chandigarh, Kanpur, Faridabad, Lucknow and Srinagar (Temporarily shifted to Jammu)
Southern, Madras	Madras, Bangalore, Hyderabad, Thiruvananthapuram and Coimbatore
Western, Bombay	Bombay and Ahmadabad




Fig. 5 Graphical Presentation of Certification Marks Licences – Regionwise (As on 31st March 1992)

the meeting which chalked out the action plans for cooperation in SMQC. Functional Group 5 was created on training under the convenorship of India. It was recommended that three different regional groups namely, Cuba, Yugoslavia and India should take care of training and information centres. India's presentation for a NAM Certification Network was appreciated. It was recommended to formulate rules and procedures for the Certification Network besides encouraging bilateral Memoranda of Understanding (MOU) on certification.

The meeting was followed by a symposium 'Standards, Quality and International Competitiveness — Role of National Standards Bodies as Change Agents'. The symposium was attended by 200 Indian delegates representing the relevant disciplines. Dr Reihlen, Director, Deutsches Institut für Normung (DIN) and Vice-President, CEN, delivered the keynote address in the symposium.

Indo-EEC Cooperation Programme

The Programme made considerable progress during the year. A meeting of the Indo-EEC was held at New Delhi in September 1991 followed by Joint Commission meeting in November 1991 and attended by Lieut Gen H. Lal, Director General, BIS. The future action in the following long term projects was identified:

- a) Upgradation and Modernization of Laboratory Systems:
 - 1) Automobile Components
 - 2) Processed Food Products
 - 3) Domestic Electrical Appliances
- b) Standard Reference Materials
- c) Quality Systems Certification
- d) Exchange of Information

Two BIS officers underwent training in Europe covering the fields of 'Food Microbiology' and 'Quality Systems Certification'. Technical Workshops on 'Processed Food Sector' were organized with the help of EEC Experts at two centres in India receiving a participation from 300 delegates representing processed food industry, test houses, R&D organizations and related official agencies/departments. These workshops created awareness about procedures, quality systems, regulatory & voluntary certification, etc.

Bilateral Cooperation

India signed agreements for bilateral cooperation in the field of standardization and quality control with Turkey, China and Iran. In pursuance of these agreements BIS has sent the necessary proposals on the areas of cooperation to these countries.

Indo-Soviet Cooperation

A four-member Indian delegation headed by Lieut Gen H. Lal, Director General, BIS participated in the 14th meeting of the Indo-Soviet Working Group in Standardization and Metrology at Moscow during 12-16 August 1991. The other members of the delegation comprised Brig G.S. Jaaj, Director, MOS, Ministry of Defence; Dr J.K.N. Sharma, DD, NPL and Shri M.K. Bahl, Deputy Director, BIS.

In these bilateral meetings discussions were held to explore possibilities of alignment of the national standards of respective countries pertaining to the fields of:

- a) Consumer protection,
- b) Marketing in the field of standardization and quality control,
- c) Quality Management Systems, and
- d) Harmonization of safety requirements of electrical appliances.

Indo-Polish Cooperation

An action plan for 1991-92 in the selected area of mutual trade like textiles, agricultural products, machinery, quality certification and training in standardization was finalized in the second meeting of Indo-Polish Working Group held in Warsaw on 19-20 August 1991. India was represented by two-member delegation led by Lieut Gen H. Lal, Director General, BIS.

International Training Programmes

Five specialized training programmes in standardization and quality control, legal metrology, laboratory testing were organized in New Delhi for nine trainees from Uganda, Malaysia, Vietnam, Lesotho, Mozambique and Angola. The trainees were also exposed to the various quality control activities being exercised by industrial units in India.

Shri R.I. Midha and Shri L.G. Banerji, conducted training programme on 'Standardization and Quality Assurance' in Seychelles in November 1991.

Twenty-fourth International Training Programme in Standardization and Quality Systems for Developing Countries was organized from 3 October to 29 November 1991. This was attended by 31 participants from 23 developing countries of Asia, Africa and Latin America.



Computerization and Office Automation

The Bureau, in order to improve productivity and overall efficiency, continued its stride towards automation in office services.

Computerization Facilities

During the year the available facilities were augmented as follows:

- Low cost executive Lan Connecting 2 or 3 PCs
- Hindi word processing software AKSHAR

Development of Systems and Data Processing

Various application softwares were developed to meet the following requirements:

- To generate management information reports for use in planning, review and monitoring of the various activities of the Bureau.
- To generate feedback information reports for operational levels.
- To serve industry, users and consumers in the country with quick and reliable information on standards and certification.
- To generate database for information exchange on standards with other international standardizing bodies.

Standards Formulation Activities

During the year the following software programmes were developed:

- to get reports on amendments and docu-

ments stage-code-wise, committeewise and subjectwise.

- to update database on Programme of Work on Main-Frame through the data supplied on floppy by various technical departments.

Certification Marking Activities

Computerized Management Information Systems (CMIS) consisting of the following software programmes were worked out:

- Gazette notifications for lapsed licences.
- Committee-wise list of licences with various options.
- Divisionwise and Committeewise list of Indian Standards covered under Certification and number of valid licences.
- A PC based software for 'Buyers Guide' for use in different RO's and BO's.

Information Services

To provide fast and up-to-date information to the users about 24 000 entries were added in the MANAKSANDHARBIKA database.

Personnel Management

Besides updating, the Personnel Management Information System was further augmented by creating database on department/RO/BO wise allocation of staff in the Bureau. Numerous outputs continue to be retrieved during the year. The database now contains upto date information on the personnel employed in the Bureau.

Sales

The existing comprehensive ON-LINE package on cash sale of various publications of the Bureau has been further augmented during the year to take care of additional requirements. The package is now capable of generating all management information reports.

A PC-based application software package on Sales (cash and credit) and Inventory management information system was designed and developed for implementation at all the sales counters of the Bureau. The system can provide information to management and concerned department about the publications, sale of Indian Standards, stock position and feedback to distribution and sales section by all ROs/BOs/Depts for an effective management. The system can create database on cash and credit sales, simultaneously updating stock file. This will lead to better planning of printing and ordering copies, faster recovery procedures and more efficient inventory management.

Management Information System on Paper Consumption

During the year a PC-based system on paper consumption and expenditure incurred in various publications was designed, upgraded and implemented in Printing/Publications Department. The system is capable of generating various outputs like monthly consumption of paper, departmentwise consumption of paper,

expenditure on publications under various heads, etc. These outputs will be useful for effective planning, better monitoring and preparation of budget estimates.

Finance

Efforts for computerising the accounts of sundry debtors were continued. The system was augmented with respect to :

- Maintaining Database File on Directory of all customers.
- Updating Database File on all pending transactions.
- Codifications and data entry of all the transactions during the month and posting of transactions to individual party's account and reconciliation with General Ledger.
- The system has been developed for monthly follow-up through computerized letters to parties for payments and thus providing closer review of dues.

Since March 1991, the pay roll system was fully computerized. During the year the system has been upgraded to generate outputs like pay slips, bank advice, pay bills, budget estimates, income tax calculations, TDS certificates, and numerous returns to be filed with statutory authorities. During the year provident fund files, loan and advance files were integrated with the pay roll.



Plan Projects

The Eighth Five Year Plan (1990-95) envisages a proposed outlay of Rs 354 million for upgradation of laboratory and computer network, GATT enquiry point, S&T project, etc. The Government of India released Rs 8.6 million during 1991-92. Rs 6.9 million were spent on various ongoing projects. The progress achieved during 1991-92 is as follows.

Laboratory, Computer and Other Associated Equipment

Rs 7.5 million were spent for procuring sophisticated laboratory equipment and personal computers during 1991-92.

Extension of the Building at Headquarters

Under fire protection of Headquarters buildings, Generator Set and related electrical work, staircase enclosures and lift separation work was completed.

Extension of Lab-cum-Office Building at Madras

The office and laboratory were made functional in the new building after its completion and furnishing.

World Bank Projects

BIS negotiated successfully a loan of Rs 95.4 million on soft terms from the World Bank. The loan carries no interest but a service charge of 1 percent. In addition, it also carries a commitment charge of 0.25 percent payable on undrawn amount, if any. During the year the World Bank released the second instalment of Rs 4.0 million out of which Rs 3.7 million were spent on procurement of training aids and on visit of IECEE experts for laboratory upgradation.



Finance

For the third consecutive year, the BIS achieved the goal of self reliance in meeting its non-plan expenditure without any budgetary support from the Government of India.

FINANCIAL ANALYSIS

Revenue (Non-Plan)

The total income generated during the year stood at Rs 199.2 million which was 14 percent above that achieved last year, the largest contribution being certification fee which stood at Rs 180.1 million against Rs 158.3 million during 1990-91.

Expenditure during the year was Rs 193.0 million against Rs 176.7 million during 1990-91 representing an increase of 9.2 percent. This increase would have been higher but for decrease in depreciation charge, which was due to decrease in depreciation rates. The operating surplus stood at Rs 6.2 million which is 3.1 percent of the income. After appropriating Rs 5.0 million towards World Bank Loan Redemption Fund Account, net surplus stood at Rs 1.2 million.

A graphic presentation of the growth of income during the five-year period ending 31 March 1992 is given in Fig. 6.



Fig. 6 Income (Million Rupees)

Certification Fee
 Other Income including Sale of Standards

Capital (Plan)

Government allocated Rs 17.0 million for annual plan 1991-92. Taking into account the progress of various projects, Government released Rs 10.7 million including the unspent grant of Rs 2.1 million from the previous year. Details of these projects and progress made are given in chapter on 'Plan Projects'.

World Bank Projects

The second instalment of World Bank loan, amounting to Rs 4.0 million was received in June 1991. A sum of Rs 0.7 million was spent on revenue items and Rs 3.0 million on capital items.

Loan

During 1991-92 the BIS received Rs 0.7 million as conveyance loan from the Government which was given to 25 employees for purchase of conveyance. Under the Home Building Loan (interest subsidy) Scheme, 32 employees availed the facility during the year. Since the introduction of the scheme, 145 employees have so far availed this facility

Statement of Accounts

Statement of accounts for the year 1991-92 is given in Annex A.

ANNEX A

ACCOUNTS FOR 1991-92

(Figures have been rounded off to whole rupee)

BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 1992

	SCHEDULE	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. SOURCES OF FUNDS			
1.1 Capital Fund	N	131 136 812	116 288 291
1.2 Reserves & Funds	O	54 504 384	56 598 980
1.3 Loans	P	13 100 000	11 175 000
TOTAL		198 741 196	184 062 271
2. APPLICATION OF FUNDS			
2.1 Fixed Assets	Q	89 955 568	84 803 173
2.2 Investments	R	60 820 750	51 997 217
3. WORKING CAPITAL			
3.1 Current Assets, Loans & Advances	S	66 959 655	63 189 610
3.2 Less: Current Liabilities	T	18 994 777	15 927 729
		47 964 878	47 261 881
TOTAL		198 741 196	184 062 271

Notes:

- 1) Schedules A to T form part of Accounts.
- 2) The closing stock of Indian Standards has not been valued and included in the accounts.
- 3) The Balances of Employees Provident Funds (CPF & GPF) Accounts have not been exhibited in Schedules 'O' and 'R' since these do not form part of the funds of the Bureau in terms of Section 18 of the BIS Act and Rule 17(G) introduced in June 90.

Sd/-
[Lieut. Gen. A.S. Bhullar PvsM Avsm (Retd.)]
Director General, BIS

Sd/-
(R.I. Midha)
Dy. Director General, BIS

Sd/-
(S.K. Datta)
Director (Acctt.), BIS

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1992

INCOME

	SCHEDULE	Current Year	Previous Year
1. Certification Fees		180 104 642	158 298 555
2. Sale of Standards	A	15 471 843	13 593 890
3. Other Income	B	3 589 730	2 822 275
4. Govt. Grant		0	0
Total		199 166 215	174 714 720

EXPENDITURE

	SCHEDULE	Current Year	Previous Year
1. Pay and Allowances	C	105 275 876	98 955 345
2. Retirement Benefits	D	756 227	565 587
3. Other Staff Benefits	E	5 963 355	5 005 311
4. Travelling Expenses	F	6 696 686	6 760 729
5. Subscription to International Organisations	G	10 740 808	5 919 315
6. Production	H	5 664 751	5 162 739
7. Testing	I	12 465 729	10 070 467
8. Publicity	J	1 623 688	1 294 476
9. Office Expenses	K	18 788 196	15 032 000
10. Repairs & Maintenance	L	4 843 227	3 918 471
11. Other Expenses	M	5 864 208	5 256 767
12. World Bank Project Revenue expenses	M1	707 568	0
13. Depreciation	Q	13 618 346	18 808 183
14. Appropriation to World Bank Redmp. Fund		5 000 000	5 000 000
Total		198 008 665	181 749 390
15. Surplus/ (Deficit)		1 157 550	(—) 7 034 670

SCHEDULE A—SALE OF STANDARDS

	Current Year	Prev. Year
1. Indian Standards	14 279 979	13 059 823
2. Calculation Aids and Binders	89 444	59 951
3. Overseas Publications (Commission)	1 102 420	474 116
Total	15 471 843	13 593 890

SCHEDULE B—OTHER INCOME

	Current Year	Prev. Year
1. CGHS Contribution	32 991	37 320
2. Conferences, Consultancy & Training Fees	648 847	837 195
3. Interest from House Bldg. Loan	344 937	260 859
4. Miscellaneous		
a) Other Sources [refer Section 18 (i) (c)]	—	—
b) Others	2 562 955	1 686 901
Total	3 589 730	2 822 275

SCHEDULE C—PAY AND ALLOWANCES

	Current Year	Prev. Year
1. PAY		
Members of the Bureau (Other than Director General)	—	—
Director General	41 285	46 614
Officers	26 785 837	26 665 111
Staff	31 878 432	31 801 767
2. ALLOWANCES		
Members of the Bureau (Other than Director General)	—	—
Director General	49 045	26 318
Officers	18 508 007	16 440 008
Staff	28 013 270	23 975 527
Total	105 275 876	98 955 345

SCHEDULE D—RETIREMENT BENEFITS

	Current Year	Prev. Year
Contributions to:		
1. Provident Fund	756 227	565 587
2. Pension Fund	—	—
3. Gratuity Fund	—	—
Total	756 227	565 587

SCHEDULE E—OTHER STAFF BENEFITS

	Current Year	Prev. Year
1. CGHS and other Medical Benefits	3 101 146	1 893 632
2. Staff Welfare	1 659 434	1 390 816
3. Leave Travel Concession	1 202 775	1 720 863
Total	5 963 355	5 005 311

SCHEDULE F—TRAVELLING EXPENSES

	Current Year	Prev. Year
1. Overseas	116 047	484 882
2. Officers and Staff	6 419 271	6 186 467
3. Committee Members	161 368	89 380
Total	6 696 686	6 760 729

SCHEDULE G—SUBSCRIPTIONS TO INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

	Current Year	Prev. Year
1. International Organisation for Standardization	6 547 338	3 535 896
2. International Electrotechnical Commission	4 193 470	2 383 419
Total	10 740 808	5 919 315

SCHEDULE H—PRODUCTION

	Current Year	Prev. Year
1. Standards	3 967 591	3 733 766
2. Bulletin	660 905	731 111
3. Calculation Aids and Binders	66 522	68 348
4. Other Publications	969 733	629 514
Total	5 664 751	5 162 739

SCHEDULE I—TESTING

	Current Year	Prev. Year
1. Testing Fees Paid to Outside Labs	9 236 799	7 365 667
2. Laboratory Apparatus and Stores	2 502 372	2 105 662
3. Market Samples	726 558	599 138
Total	12 465 729	10 070 467

SCHEDULE J—PUBLICITY

	Current Year	Prev. Year
1. Exhibition	317 453	235 431
2. Advertising	1 164 727	851 592
3. Audio Visuals and Others	141 508	207 453
Total	1 623 688	1 294 476

SCHEDULE K—OFFICE EXPENSES

	Current Year	Prev. Year
1. Stationery	2 466 818	2 193 791
2. Postage	1 814 433	1 812 257
3. Telephone and Telex	3 338 299	2 589 141
4. Recruitment	301 482	260 569
5. Refreshment and Entertainment	34 905	313 160
6. Liveries	328 812	286 479
7. Freight and Cartage	324 903	278 288
8. Insurance and Bank Charges	601 032	516 589
9. Miscellaneous	940 651	618 063
10. Rent and Taxes	3 758 961	2 775 659
11. Electricity and Water	4 563 700	3 388 004
Total	18 788 196	15 032 000

SCHEDULE L—REPAIRS AND MAINTENANCE

	Current Year	Prev. Year
1. Furniture and Equipment	777 527	494 865
2. Building	3 625 116	2 922 910
3. Vehicles	440 584	500 696
Total	4 843 227	3 918 471

SCHEDULE M—OTHER EXPENSES

	Current Year	Prev. Year
1. Research and Consultation	137 000	15 214
2. Conferences, Consultancy and Training Programme	1 173 655	1 218 923
3. Electronic Data Processing	1 172 701	598 939
4. Library Subscription and Other Expenses	530 728	397 781
5. Audit Fees and Legal Charges	326 138	369 147
6. Staff Training	705 814	923 649
7. Interest on House Building Loan	1 459 872	1 482 676
8. Interest on other loans from:		
a) Central Government	347 500	220 000
b) Other Sources	—	—
9. Bad Debts Written Off	10 800	30 438
Total	5 861 208	5 256 767

SCHEDULE M1—WORLD BANK PROJECT REVENUE EXPENSES

		Current Year	Prev. Year	
1.	Project 1	Standardization Management & Standards Development	615 257	—
2.	Project 2	Upgrading Quality of Products	—	—
3.	Project 3	Upgrading BIS Lab Network	86 647	—
4.	Project 4	Strengthening BIS Training Activity	—	—
5.	Project 5	Strengthening BIS Promotional Efforts	—	—
6.	Project 6	Technical Assistance to Exports	—	—
7.	Project 7	Standards Information Centres	5 664	—
Total		707 568	—	

SCHEDULE N—CAPITAL FUND

		Current Year	Prev. Year
As per last Balance Sheet		116 288 291	99 965 893
Add:			
i)	Cost of assets capitalized (Refer Schedule 'O' SI No.1)	13 634 648	23 058 604
ii)	Cost of assets capitalized from QAWSM funds (Refer Schedule 'O' SI No. 3a)	85 177	362 853
iii)	Excess of income over expenditure	1 157 550	—
Total		131 165 666	123 387 350
Less:			
i)	Excess of Expenditure over income	0	7 034 670
ii)	Capital investment written off	28 854	64 389
Total		131 136 812	116 288 291

SCHEDULE O — RESERVES AND FUNDS

Sl No.	Particulars	As on 31 March 91	Receipts/ Adjustments during the year		Utilisation during the year		As on 31 March 92
					Capital	Revenue	
1. Funds in process of Capitalization							
(Name of the Projects)							
a)	Laboratory equipment, computer and associated equipment fund	8 972 698	8 964 428	10 501 295	—	10 501 295	7 435 831
b)	Central laboratory bldg. at Sahibabad	—	—	—	—	—	—
c)	Calcutta Lab-cum-Office building fund	2 190 356	—	1 384 028	—	1 384 028	806 328
d)	S & T Project fund	—	421 766	25 588	245 917	271 505	150 261
e)	Development of hand book project fund	—18 821	4 533	—	—	—	—14 288
f)	Staff Housing Project	428 265	—	391 365	—	391 365	36 900
g)	Madras building fund	1 143 599	—	414 405	—	414 405	729 194
h)	GATT project fund	—	—	—	24 000	24 000	—24 000
i)	Extension of HQ building	—102 636	2 600 000	917 967	—	917 967	1 579 397
j)	Lab building, Lucknow	1 900 000	—	—	—	—	1 900 000
Total		14 513 461	11 990 727	13 634 648	269 917	13 904 565	12 599 623
2. Employee Funds							
a)	Gratuity fund	337 418	75 000	—	—	—	412 418
b)	Benevolent fund	289 610	189 815	—	170 000	170 000	309 425
c)	Pension fund	35 801 717	3 373 100	—	9 229 653	9 229 653	29 945 164
Total		36 428 745	3 637 915	0	9 399 653	9 399 653	30 667 007
3. Other Specific Projects							
a)	QAWSM	80 088	3 000 000	85 177	2 511 979	2 597 156	482 932
b)	Energy Conservation Awareness Programme (Deptt. of Power)	411 140	—	—	400 849	400 849	10 291
c)	Consumer Protection Exhibition (Dept. of Civil Supplies)	80 000	—	—	80 000	80 000	—
d)	World Bank Redmp. Fund Account	5 085 546	5 658 985	—	—	—	10 744 531
Total		5 656 774	8 658 985	85 177	2 992 828	3 078 005	11 237 754
GRAND TOTAL		56 598 980	24 287 627	13 719 825	12 662 398	26 382 223	54 504 384

Includes Rs. 2 964 428 gift in kind from Japan International Cooperation Agency under Technical Cooperation Programme of Government of Japan to BIS.

SCHEDULE P—LOANS

Nature of Loan	As on 31 March 91	During 1991-92		Balance on 31 March 92
		Receipts	Repayment	
i) Loans from Govt. of India:				
1. Conveyance Loan	3 475 000	700 000	1 125 000	3 050 000
2. House Building Loan	4 700 000	—	1 650 000	3 050 000
Total	8 175 000	700 000	2 775 000	6 100 000
ii) Loans from other sources:				
1. World Bank	3 000 000	4 000 000	—	7 000 000
Total	3 000 000	4 000 000	—	7 000 000
Grand Total	11 175 000	4 700 000	2 775 000	13 100 000

SCHEDULE Q — FIXED ASSETS

Sl No.	Description	Gross Block at Cost					Depreciation			Net Block	
		As at 31 March 91	Addition	Deduction Sale/written off	As at 31 March 92	Up to 31 March 91	Addition	Deduction Sale/written off	Up to 31 March 92	As at 31 March 92	As at 31 March 91
1.	Building—Headquarters	4 921 703	—	—	4 921 703	3 137 328	88 306	—	3 225 634	1 696 069	1 784 375
2.	Building-I Madras	1 133 556	—	—	1 133 556	500 059	32 207	—	532 266	601 290	633 497
3.	Building-II Madras	7 656 382	414 405	—	8 070 787	—	448 789	—	448 789	7 621 998	7 656 382
4.	Building—Central Laboratory at Sahibabad	14 365 960	—	—	14 365 960	3 114 446	651 600	—	3 766 046	10 599 914	11 251 514
5.	Building—Bombay	5 274 900	—	—	5 274 900	2 018 267	172 258	—	2 190 525	3 084 375	3 256 633
6.	Building—I Calcutta	3 112 635	—	—	3 112 635	1 251 610	99 686	—	1 351 296	17 611 339	1 861 025
7.	Building—II Calcutta (Capital WIP)	6 707 665	1 872 668	—	8 580 333	—	—	—	—	8 580 333	6 707 665
8.	Residential Flats	6 964 216	391 365	—	7 355 581	643 949	347 603	—	991 552	6 364 029	6 320 267
9.	Zerox Copying Equipment	185 598	—	—	185 598	179 789	1 452	—	181 241	4 357	5 809
10.	Laboratory Equipment	83 916 045	10586 472	—	94 502 517	54 672 462	9 018 861	—	63 691 323	30 811 194	29 243 583
11.	Furniture and Equipment	19 613 279	989 834	103 648	20 499 465	11 239 999	1 661 089	77 573	12 823 515	7 675 950	8 373 280
12.	Vehicles	1 599 000	24 500	50 550	1 572 950	889 874	146 171	47 771	988 274	584 676	709 126
13.	Reprographic Equipment	1 128 929	—	—	1 128 929	799 720	82 090	—	881 810	247 119	329 209
14.	Library Books	4 779 497	640 390	—	5 419 887	—	—	—	—	5 419 887	4 779 497
15.	Ext. of HQ Building—Auditorium in Manak Bahavan	1 300 000	—	—	1 300 000	261 325	147 551	—	408 876	891 124	1 038 675
16.	Ext. of HQ Building—Fire Fighting Project	733 164	917 967	—	1 651 131	—	—	—	—	1 651 131	733 164
17.	Lab cum Office Building—Lucknow (Capital WIP)	119 472	—	—	119 472	—	—	—	—	119 472	119 472
18.	World Bank Project Equipment	—	2 961 994	—	2 961 994	—	720 683	—	720 683	2 241 311	0
TOTAL		163 512 001	18 799 595	154 198	182 157 398	78 708 828	13 618 346	125 344	92 201 830	89 955 568	84 803 173

SCHEDULE R — INVESTMENTS (at Cost)

SI Particulars No.	As on 31 March 91	Additions	Deductions (Sale/ Maturity)	As on 31 March 92
1. Deposits with Banks				
a) Account Gratuity Fund	344 000	75 000	—	419 000
b) Others	10 844 000	9 750 000	—	20 594 000
2. Shares of ISI Employees				
Consumer Cooperative Stores	7 500	—	7 500	—
3. Pension Fund	35 801 717	—	6 493 967	29 307 750
4. World Bank Loan Redmp. Fund Investment Account	5 000 000	5 500 000	—	10 500 000
Total	51 997 217	15 325 000	6 501 467	60 820 750

SCHEDULE S — CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

SI Particulars No.	Current Year	Previous Year
1. Stock (at cost)		
a) Printing Paper	887 946	1 294 062
b) Laboratory apparatus and stores	1 412 237	1 149 480
c) Stationery & Computer Consumables	962 896	779 300
d) Repair & Maintenance Consumables	37 772	96 930
2. Sundry Debtors		
a) Sale of Publications	1 815 593	1 310 797
b) Certification		
i) Licence fee	3 009	20 560
ii) Inspection charges	191 209	235 727
iii) Marking fee	6 066 039	4 068 628
c) Bulletin Advertisement, etc.	—	825
3. Loans, Advances and Deposits		
a) Loans to employees for:		
i) Purchase of conveyance	3 251 918	3 561 237
ii) House construction	3 107 112	4 278 059
b) Advances to employees for:		
i) Festival	246 245	212 285
ii) Natural calamities	—	—
iii) Travelling expenses	876 436	1 056 611
iv) Leave travel	296 143	197 929
v) Store purchase	489 653	92 754
vi) Adjustable advances	640 018	607 156
vii) Accounts recoverable (others)	1 091 138	1 017 336
viii) Fan advance	810	400
c) Advances to:		
i) Private parties	11 333 313	13 576 070
ii) Foreign parties	—	—
iii) Govt. and others	628 548	838 526
4. Security Deposits	841 272	818 392
5. Prepaid Expenses	450 620	487 605

6. Tax Deducted at Sources	173 591	—
7. Cash and Bank Balances		
a) With banks	31 174 771	25 935 917
b) In hand (including imprest)	244 418	218 967
c) Franking machine	53 718	49 157
d) Cheques in transit	683 200	1 284 900
Total	66 959 655	63 189 610

SCHEDULE T — CURRENT LIABILITIES

SI No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Sundry creditors		
a)	Inland	2 873 358	2 025 862
b)	Abroad	5 829 896	3 174 920
c)	Earnest Money	2 449 647	2 208 668
d)	Customer balances (sales)	911 270	839 075
e)	Customer balances (certification)	1 947 862	2 353 521
f)	Customer balances (advertisement)	—	1296
2.	Accounts Payable (employees)	394 393	857 688
3.	Unpaid Salaries and Wages	48 497	65 857
4.	Govt of Bihar (A/C Lab. Equipment)	395 526	483 637
5.	Govt of Gujarat (ABO Building A/C)	4 144 328	3 917 205
	Total	18 994 777	15 927 729

ANNEX B

PRINCIPAL OFFICERS OF THE BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE, ADVISORY COMMITTEES AND THE DIRECTORATE GENERAL

(As on 31 March 1992)

Bureau of Indian Standards

President	Shri P.V. Narasimha Rao Union Minister for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution, and Prime Minister of India
Vice-President	Shri Kamaluddin Ahmed Union Minister of State for Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution
Director General	Lieut General A.S. Bhullar
Executive Committee Chairman	Lieut General A.S. Bhullar
Finance Committee Chairman	Shri M. Seetharam
Certification Advisory Committee Chairman	Shri B.K. Goswami
Standards Advisory Committee Chairman	To be appointed
Laboratory Advisory Committee Chairman	Dr Pramod A. Paranjpe
Planning and Development Advisory Committee Chairman	Lieut General A.S. Bhullar

BIS Directorate General

Director General	Lieut General A.S. Bhullar
Additional Director General	Shri N. Srinivasan
Deputy Directors General (HQ)	Dr Hari Bhagwan Shri G. Raman (Holding charge of DDG) Shri R. I. Midha (Holding charge of DDG)

Departments

Accounts
Building Maintenance and Project
Bureau Secretariat
Consumer Affairs
Central Marks

Chemical
Civil Engineering
Computer Centre
Electronic and Telecommunication

Director(s)/Incharge

Shri S.K. Datta
Shri J.R. Mehta
Shri K.K. Bhojwani (Secretary)
Shri V.K. Kapoor
Shri J. Venkataraman
Shri M.B.Reddy
Shri J.P. Mehta
Shri S.M. Bhatia
Dr R.K. Singh
Shri S.S. Sethi
Shri N. Shankar
Shri S.R. Keshav

ANNEX C

STATE LEVEL COMMITTEES FOR STANDARDIZATION AND QUALITY SYSTEMS

State/Union Territory	Chairman
<i>Andhra Pradesh</i>	Director of Industries, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad
<i>Assam</i>	Commissioner, Industries Department, Government of Assam, Guwahati
<i>Bihar</i>	Secretary, Industries Department, Government of Bihar, Patna
<i>Delhi</i>	Commissioner of Industries, Delhi Administration, CPO Building, Kashmere Gate, Delhi
<i>Gujarat</i>	Industries Commissioner, Government of Gujarat, Industries, Mines and Energy Department, Sachivalaya, Gandhinagar, Gujarat
<i>Haryana</i>	Chief Secretary, Government of Haryana Chandigarh
<i>Himachal Pradesh</i>	Commissioner-cum-Secretary, Industries Department, Government of Himachal Pradesh, Shimla
<i>Jammu & Kashmir</i>	Additional Chief Secretary (Planning), Government of Jammu & Kashmir, Srinagar
<i>Karnataka</i>	Additional Chief Secretary, Government of Karnataka, Vidhana Soudha, Bangalore
<i>Kerala</i>	Chief Secretary, Government of Kerala, Thiruvananthapuram

<i>Madhya Pradesh</i>	Secretary, Food & Civil Supplies, Government of Madhya Pradesh, Vallabh Bhavan, Bhopal
<i>Manipur</i>	Secretary, Industries, Government of Manipur, Manipur
<i>Maharashtra</i>	Development Commissioner (Industries), Government of Maharashtra, Bombay
<i>Meghalaya</i>	Chief Secretary, Government of Meghalaya, Shillong
<i>Orissa</i>	Industries Department, Government of Orissa, Bhubaneswar
<i>Pondicherry</i>	Secretary to Government of Pondicherry, Chamber of Secretary (Industries), Chief Secretariat, Pondicherry
<i>Punjab</i>	Secretary, Industries Department, Government of Punjab, Chandigarh
<i>Rajasthan</i>	Secretary, Industries Department, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur
<i>Tamil Nadu</i>	Joint Secretary, Industries Department, Government of Tamil Nadu, Fort, St. George, Madras
<i>Uttar Pradesh</i>	Secretary Industries Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow
<i>West Bengal</i>	Chief Secretary, Government of West Bengal, Writer's Buildings, Calcutta

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 1992 and the Balance Sheet as on 31st March 1992 of the Bureau of Indian Standards. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bureau of Indian Standards according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Place : New Delhi
Dated : 30.11.1992

Sd/-
Principal Director of Audit

Audit Report on the Bureau of Indian Standards for the year 1991-92

1. Introduction

The Bureau of Indian Standards was established as a statutory body with effect from 1st April 1987 with the enactment of *Bureau of Indian Standards Act, 1986*. It took over all the activities, viz product certification, quality assurance, consultancy services, testing, etc. of the erstwhile Indian Standards Institution.

The activities of the Bureau are financed from receipts of fees for Certification Mark, Sale of Publications and grant from the Central Government.

The audit of the accounts of the Bureau was conducted under Section 22(2) of the *Bureau of Indian Standards Act, 1986* and Section 19(2) of the *Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act 1971*.

2. Summary of Transactions

A summary of Income & Expenditure of the Bureau for the year 1990-91 and 1991-92 is given below :

	1990-91	1991-92
	(Rs. in lakhs)	
Income		
Certification Fee	1582.99	1801.04
Sale of Standards	135.94	154.72
Other Income	28.22	35.90
	<u>1747.15</u>	<u>1991.66</u>
Expenditure		
1. Pay & Allowances	989.55	1052.76
2. Retirement Benefits	5.66	7.56
3. Other staff benefits	50.05	59.63
4. Travelling expenses	67.61	66.97
5. Subscription to International Organisation	59.19	107.41
6. Production	51.63	56.65
7. Testing	100.71	124.66
8. Publicity	12.95	16.24
9. Office expenses	150.32	187.88
10. Repairs & Maintenance	39.18	48.43
11. Others	58.57	58.64
12. Depreciation	188.08	136.18
13. World Bank Project revenue expenses	—	7.08
14. Appropriation to World Bank Redemption Fund	50.00	50.00
	<u>1817.50</u>	<u>1980.09</u>
Surplus/Deficit		
(+) (-)	(-) 70.35	(+) 11.57

3. Balance Sheet

3.1 Non-depiction/non-maintenance of stock of standards

The publication of standards brought out by the Bureau have been classified into 15 groups. These publications are priced ranged from Rs. 10 to 100 per standard. The expenditure on printing of standards and receipt from the sale of standards during the year 1991-92 was Rs. 39.67 and Rs. 154.72 lakhs respectively. The stock accounts of standards under group 10 to 15 have been maintained by the BIS but not stock accounts were maintained in respect of publications falling under group 1 to 9 which are priced between Rs. 10 and Rs. 60 per standard.

In reply BIS stated that there are a large number of standards involved (more than 15 000 standards in force as on date and maintenance of detailed stock account is a very stupendous task. This will need a large complement of staff resulting in considerable administrative expenditure, disproportionate to economic benefits likely to accrue from the system.

The valuation of the stock of standards as on 31st March 1992 was not done by the BIS and shown in their annual accounts. Thus the position of stock was understated in the annual accounts.

3.2 Balance under CPF & GPF

The balance under CPF and GPF as at the end of 31st March 1992 was Rs. 38,37,267 and Rs. 10,62,80,765/- respectively. Under the powers conferred under section 37 of the *Bureau of Indian Standards Act, 1986* the

Government of India, Ministry of Food & Civil Supply (Deptt. of Civil Supplies) framed Rule 17(G) for Administration of Provident Fund vide its notification No. G.S.R. 543(E) dated 1st June 1990. As a result of this amendment these two funds were delinked from annual accounts of Bureau since 1990-91. It was pointed out during audit that in the case of BIS, appointment of committee of administrators to be nominated by Director General, Bureau of Indian Standards and its function covered by Rule 17(G) of amended rule of BIS is an internal affairs of the Bureau and as such it does not have separate entity or status independent of Bureau. Therefore, CPF and GPF Accounts should have formed part of the funds of the Bureau but were not included in its annual accounts. Hence the Audit of these two funds could not be carried out. In reply BIS stated that inclusion of CPF/GPF in the annual accounts of Bureau requires approval of Committee for Administrators of Provident Fund/amendment to BIS Regulations. The matter will, therefore, be taken up accordingly and result reported to audit.

3.3 Old outstanding objections/Inspection Reports.

Two inspection reports with 5 paras were outstanding as on date. The year-wise details are given below :

1. 1989-90	2
2. 1990-91	3

Place : New Delhi

Dated : 30.11.1992

Sd/-

Principal Director of Audit

वार्षिक रिपोर्ट
1991-92



भारतीय मानक ब्यूरो



मानक भवन

TWENTY-FOURTH INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMME
IN STANDARDIZATION AND QUALITY SYSTEMS
FOR DEVELOPING COUNTRIES
27 OCT - 29 NOV 1991
organized by BUREAU OF INDIAN STANDARDS NEW DELHI



वार्षिक रिपोर्ट 1991-1992

भारतीय मानक ब्यूरो ARCHIVE



भारतीय मानक ब्यूरो
मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली 110002

भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो (भामाब्यूरो) मानकीकरण प्रमाणन, गुणता आश्वासन के क्षेत्र में सेवाएं तथा व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाएं हटाने के लिए राष्ट्रीय महत्व का विशिष्ट निकाय है।

ब्यूरो का गठन

ब्यूरो एक निगमित निकाय है, जिसके सरकार, उद्योग, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थाओं और अन्य सम्बद्ध पक्षों के प्रतिनिधि सदस्य हैं। ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय मंत्रालय का प्रभारी मंत्री इसका अध्यक्ष तथा राज्य मंत्री अथवा उपमंत्री, यदि कोई है, तो इसका उपाध्यक्ष होता है।

ब्यूरो के कृत्य

ब्यूरो के कृत्य हैं :-

किसी वस्तु या प्रसंस्करण के संबंध में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भारतीय मानक की स्थापना, प्रकाशन और संवर्धन; किसी वस्तु या प्रसंस्करण के संबंध में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, भारत में या अन्यत्र किसी अन्य संस्था द्वारा स्थापित किसी मानक को भारतीय मानक के रूप में मान्यता प्रदान करना;

किसी मानक चिन्ह का विनिर्देश करना जो भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिन्ह कहलाएगा और जो ऐसी डिजाइन का होगा तथा ऐसी विशिष्टियों से युक्त होगा जो किसी विशिष्ट भारतीय मानक के प्रतीक के रूप में विहित की जाएं;

मानक चिन्ह के उपयोग के लिए, अनुज्ञप्ति देना, उसका नवीकरण करना या उसको निलंबित या रद्द करना;

कोई अनुज्ञप्ति दिए जाने या उसके नवीकरण के लिए फीस उद्गृहीत करना;

किसी सामग्री या पदार्थ का ऐसा निरीक्षण करना और ऐसे नमूने लेना जो यह देखने के लिए आवश्यक हो कि कोई वस्तु या प्रसंस्करण जिसकी बाबत मानक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, भारतीय मानकों के अनुरूप है या नहीं या किसी वस्तु या प्रसंस्करण की बाबत मानक चिन्ह का किसी अनुज्ञप्ति सहित या उसके बिना अनुचित रूप से प्रयोग किया गया है या नहीं;

ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो किसी देश में किसी तत्स्थानी संस्था या संगठन के साथ ब्यूरो द्वारा आपस में करार पाई जाएं, ब्यूरो और भारत के बाहर भारतीय मानक की मान्यता प्राप्त करना;

मानकीकरण और क्वालिटी नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, प्रयोगशालाओं की स्थापना, अनुरक्षण और मान्यता प्रदान करना;

उपभोक्ताओं और विनिर्माताओं के हित में भारतीय मानक बनाने के लिए अनुसंधान करना;

भारत में या उसके बाहर ऐसी किसी संस्था को मान्यता देना जो किसी वस्तु या प्रसंस्करण के मानकीकरण या किसी वस्तु या प्रसंस्करण की क्वालिटी के सुधार में लगी हुई है;

ऐसे निबंधन और शर्तों पर किसी वस्तु या प्रसंस्करण के विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करना जो परस्पर करार पाई जाएं;

निरीक्षण, परीक्षण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जो विहित किए जाएं, भारत में या भारत के बाहर अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना;

भारत में या उसके बाहर शाखाओं, कार्यालयों या अभिकरणों की स्थापना;

ऐसे समयों और स्थानों पर जो विहित किए जाएं, ऐसी किसी वस्तु या प्रसंस्करण का निरीक्षण करना जिसकी बाबत मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या किसी अन्य विधि के अधीन भारतीय मानक के अनुरूप होने के लिए अपेक्षित है; इस बात पर विचार किए बिना कि क्या ऐसी वस्तु या प्रसंस्करण भारत में है या भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाया गया है अथवा लाए जाने के लिए आशयित है;

ऐसे किसी विनिर्माता या विनिर्माताओं या उपभोक्ताओं के संगम के जो किसी वस्तु या प्रसंस्करण की क्वालिटी के मानकीकरण और सुधार में या किसी क्वालिटी नियंत्रण क्रियाकलाप के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं, क्रियाकलापों का समन्वयन करना;

ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय

ब्यूरो अपने बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, नई दिल्ली तथा मद्रास स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों तथा अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना तथा तिरुवनंतपुरम स्थित शाखा कार्यालयों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार और व्यवसाय से घनिष्ठ संपर्क रखता है और उन्हें दक्ष सेवाएं प्रदान करता है।

विषय सूची

महानिदेशक की रिपोर्ट	1
नीतिगत योजना	5
मानकों का विकास	7
प्रमाणन मुहरांकन	11
गुणता तंत्र प्रमाणन योजना	19
प्रयोगशाला - उत्पाद तथा विकास परीक्षण	21
मानक संवर्धन	24
क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय.	31
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	33
कंप्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचल	36
योजनागत परियोजना	38
मानव संसाधन विकास	39
वित्त	42
अनुबंध क	
वर्ष 1991-1992 का लेखा	44
अनुबंध ख	
ब्यूरो, उसकी कार्यकारी समिति व सलाहकार समितियों और महानिदेशालय के प्रमुख अधिकारी	57
अनुबंध ग	
मानकीकरण तथा गुणता तंत्र के लिए राज्य स्तरीय समितियाँ	61
लेखा परीक्षा	63



महानिदेशक की रिपोर्ट

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) ने गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रगति बराबर जारी रखी। ब्यूरो तीसरे वर्ष भी लगातार गैर योजनागत व्ययों के लिए सरकारी सहायता के बिना पर्याप्त संसाधन जुटाने में समर्थ रहा। अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर भा मा ब्यूरो, भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहयोग कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) की अनुरूपता व मूल्यांकन समिति (कैसको) की बैठकों में सक्रियता से भाग लेता रहा। भा मा ब्यूरो ने एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका जैसे 23 विकासशील देशों के 31 सहभागियों को मानकीकरण और गुणता तंत्र में प्रशिक्षण दिया।

भा मा ब्यूरो की विभिन्न सलाहकार समितियों ने ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में सफलता के लिए उचित समय पर मार्गदर्शन और दिशानिर्देश दिये। वर्ष 1991-1992 के दौरान प्राप्त सफलताओं का मूल्यांकन निम्नलिखित है:

मानकों का विकास

वर्ष के दौरान 786 नये और पुनरीक्षित मानक निर्धारित किए गए जिससे भारतीय मानकों की कुल

संख्या बढ़कर 15972 हो गई। इन मानकों में जिन महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया उनमें सड़क परिवहन के लिए निरापद शीशा, मस्कटो रेपीलेंट मैट और कॉयल, सौर बायोमास चूल्हा, बैंकों के लिए सुरक्षा उपस्कर, गुणता तंत्र संपरीक्षा के लिए मार्गदर्शन, एक ही बार उपयोग की निर्जीवाणु अधस्त्वक सुइयाँ, जस्तीकरण के लिए जस्ता, स्टेनलेस इस्पात के पुर्जों पर ब्लैक ऑक्साइड का लेपन, ताप सुघटय धूम्रायन आवरण, संचकन और बहिर्वेधन के लिए नाइलॉन-6 और नाइलॉन-66 सामग्री, संचकन और बहिर्वेधन के लिए पोलिएल्कलीन टेरेफथलेट (पीईटी) टेरीथेलेट मोटर वाहन के लिए इलैक्ट्रॉनिक फ्लैशर और मोटर साइकिल और मोपेड के हल्के मिश्रधातु के पहिये हैं।

वर्ष के दौरान जिन महत्वपूर्ण हैंडबुकों का प्रकाशन किया गया उनमें गुणता तंत्र हैंडबुक, जल-पूर्ति के लिए प्रयुक्त पाइप और फिटिंग की हैंडबुक, पम्पों और हैंडपंप की हैंडबुक शामिल है। बिजली की घरेलू इस्तरी, बिजली के विकिरक, बिजली के डुबाऊ हीटर और बिजली के स्टोव के प्रति सुरक्षा की मार्गदर्शिकाओं का भी वर्ष के दौरान प्रकाशन किया गया।

प्रमाणन मुहरांकन

वर्ष के दौरान 1 213 नये लाइसेंस दिये गये, जो 363 उत्पादों के लिए थे। इस तरह लागू लाइसेंसों की कुल संख्या बढ़कर 11 976 हो गई और इनके अन्तर्गत शामिल उत्पादों की संख्या 1 393 हो गई। 23 नये उत्पादों को इस योजना के अन्तर्गत पहली बार शामिल किया गया। इनमें टाइपराइटर के लिए रेशमी रिबन; मोटर संधारित्र; पंखों के इलैक्ट्रानि रेग्युलेटर; घरेलू उपयोग के लिए बिजली के नम्य तापन पैड, ट्राइएलेट पायसनीय सान्द्र, स्थल पर उपयोग के लिए तैयार कीटनाशक, एमटीपी चूषण उपकरण, मार्गरीन, टूथपेस्ट, खेलकूद के लिए बुनी हुई सूती कमीजें, चक्का और श्रीखण्ड, अवशिष्ट करेंट से चालू होने वाले सर्किट ब्रेकर, भवन निर्माण के लिए एस्बेस्टॉस सीमेंट के बोर्ड, ऊर्जा संक्षम प्रेरण मोटरें शामिल हैं। भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंसधारियों को प्रभावशाली ढंग से मॉनीटर करने के लिए 43226 निरीक्षण किए गए। 24 पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जो वाल्व और रेग्युलेटर, एलपीजी सिलिंडर, इस्पात के पुनर्विल्लित उत्पाद, इलैक्ट्रोड, आरसीसी पाइप, सीमेंट, पम्प, कीटनाशक, प्लाईवुड चाय की पेटियों, गहराई से पानी निकालने के हैंडपम्प, सुरक्षा जूते, मृदु इस्पात नलियाँ, बिस्कुट और वैफर्स, सामान्य प्रकाश सेवा के बल्ब और फल के उत्पाद जैसे क्षेत्रों से सम्बन्धित थी। इन बैठकों से तत्संबंधी उत्पादों के मानकों/कार्यपद्धतियों को अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण फीडबैक प्राप्त हुआ है।

गुणता तंत्र प्रमाणन

भा मा ब्यूरो ने वर्ष के दौरान गुणता तंत्र प्रमाणन योजना आरंभ की और अग्रणी मूल्यांककों के अपने दल को उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने के लिए व्यापक व्यवस्था भी की। भा मा ब्यूरो के अधिकारियों का अग्रणी मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण कराने के लिए विदेश में उन्हें संपरीक्षा में व्यापक प्रशिक्षण दिलाया गया। भा मा ब्यूरो में ISO 9000/IS 14000 श्रृंखला के मानकों के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए दो आवेदन प्राप्त हुए।

आई ई सी क्यू गुणता मूल्यांकन तंत्र

एक स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के अलावा सात

निर्माताओं को अपने उत्पादों का प्रमाणन करने के लिए अनुमोदन किया गया। इससे कुल मिलाकर 13 निर्माताओं, चार स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाओं और एक वितरक का अनुमोदन हो गया। इससे इलैक्ट्रानिकी घटकों के निर्माताओं को भारत में अपने उत्पाद प्राप्तकर्ता द्वारा निरीक्षण और परीक्षण की आवश्यकता के बिना निर्यात करने में सहायता मिलेगी।

उत्पाद और विकास परीक्षण

भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत विभिन्न उत्पादों के 36839 नमूनों का परीक्षण किया। ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला ने अनुसंधान और अन्वेषणात्मक कार्य भी हाथ में लिए ताकि भारतीय मानकों में उचित अपेक्षाएँ शामिल करने में प्राथमिक रूप से सहायता मिल सके। प्रयोगशाला में महत्वपूर्ण उपकरण जैसे प्रेरण-यूग्मित प्लाज्मा स्पैक्ट्रोमीप्रकाश मापी (आईसीपी) खरीदे गये। अतिरिक्त परीक्षण सुविधाएँ जुटाई गईं, ताकि अतिरिक्त नमूनों की जाँच जल्दी की जा सके। वर्ष के दौरान पुराने परीक्षण उपकरणों को भी बदला गया।

वर्ष के दौरान 6 बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई। इससे भा मा ब्यूरो प्रमाण मुहर योजना के अन्तर्गत लिए गए नमूनों के परीक्षण के लिए मान्यताप्राप्त कुल प्रयोगशालाओं की संख्या 267 हो गई। केन्द्रीय प्रयोगशाला के रासायनिक, विद्युत, यांत्रिक तथा अंशशोधन विभागों में राष्ट्रीय पंजीकरण विभाग और सलाहकार परिषद् (एनआरएसी) के अन्तर्गत प्रमाणन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएडीटी) द्वारा प्रतिनियुक्त ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों द्वारा मूल्यांकन सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

मानक संवर्धन

भा मा ब्यूरो ने उपभोक्ताओं, उद्योग और संगठनों में मानकीकरण, प्रमाणन और अन्य गतिविधियों के बारे में अधिकाधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अपने प्रयास बराबर जारी रखे। देश के अनेक भागों में कई प्रदर्शनियों, तकनीकी सम्मेलन, संगोष्ठियों, शैक्षिक उपयोग कार्यक्रम, कम्पनी मानकीकरण कार्यक्रम, एसक्यूसी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन अवसरों पर प्रचार समारिकाएँ, पम्फलेट और अन्य साहित्य भी प्रकाशित किया गया। इससे

साथ ही इलैक्ट्रॉनिकी माध्यमों जैसे प्रेस और अन्य दृश्य-श्रव्य की सेवाओं का व्यापक उपयोग किया गया, ताकि इस संदेश का जनसाधारण में प्रचार हो सके। भा मा ब्यूरो ने सभी उपभोक्ता संगठनों और व्यापार व उद्योग के संगठनों को अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी ताकि ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में उनका अधिकाधिक सहयोग मिल सके।

सूचना सेवाएँ

भारतीय मानक ब्यूरो भारत और विदेश में अपनी पत्रिकाओं जैसे स्टैंडर्ड इंडिया, मानकदूत, स्टैंडर्ड मन्थली एडीशन्स, स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर और अभी प्रकाशित "इनफोर्मेशन ऑन स्टैंडर्ड" के माध्यम से मानकीकरण और गुणता विकास गतिविधि की अद्यतन जानकारी को प्रक्रमित और वितरित करता रहा। गैट के अन्तर्गत "प्रमुख पूछताछ केन्द्र" ने देश और विदेश से मानक, विनियमों और प्रमाणन तंत्रों के बारे में प्राप्त पूछताछों के जवाब दिये।

कंप्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचल

भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में अनेक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर विकसित और लागू किए गए, ताकि निर्णय लेने के लिए एकरूप और शीघ्र ही आँकड़े उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त वर्तमान साफ्टवेयर कार्यक्रमों में भारतीय मानक ब्यूरो की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल रूपान्तर किये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत ने आईएसओ/आईईसी की अनेक तकनीकी समितियों और कासको में भाग लिया। वर्ष के दौरान मानकीकरण और गुणता नियंत्रण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत तुर्की, चीन, ईरान व पोलैंड के साथ सम्बन्ध मजबूत बनाये गये।

भारतीय मानक ब्यूरो में जहाँ तक नीति का प्रश्न है उनके अन्तर्गत उसने विकासशील देशों के मानक निकायों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना जारी रखा और 3 अक्टूबर से 29 नवम्बर 1991 तक मानकीकरण और गुणता तंत्र पर 24वाँ अन्तर्राष्ट्रीय

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब तक इन कार्यक्रमों से एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका जैसे 51 देशों के 437 कार्मिकों को लाभ मिल चुका है।

मानव संसाधन विकास

भारतीय मानक ब्यूरो में 31 मार्च 1992 को 406 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शामिल करते हुए कुल संख्या 2388 हो गई है।

वर्ष के दौरान ब्यूरो में 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 797 अधिकारियों ने भाग लिया ताकि उन्हें परीक्षण, कार्यालय स्वचल और कार्यालय पद्धतियों की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया जा सके। इसके अतिरिक्त 79 अधिकारियों को बाहर की एजेंसियों द्वारा आयोजित 54 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। वर्ष के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ता के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। आपसी विचार-विमर्श से विभिन्न समस्याएँ और मुद्दे सुलझाये गये।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए जिनमें होलि डे होम सुविधा, कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, आवास निर्माण ऋण (ब्याज में छूट) योजना और कार्मिक दुर्घटना के लिए सामूहिक बीमा योजना शामिल है। ऐसे कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हो गई है, उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार भी दिये गये।

वित्त

लगातार तीसरे वर्ष भी भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त किए बिना अपनी वित्तीय गतिविधियाँ जारी रखीं। वर्ष 1991-92 के दौरान प्राप्त आय, वर्ष 1990-91 की रु. 17.47 करोड़ आय से बढ़कर रु. 19.92 करोड़ हो गयी। इसी अवधि के लिए प्रमाणन आय रु. 15.83 करोड़ से बढ़कर रु. 18.01 करोड़ हो गई।

उपभोक्ता संरक्षण

वर्ष के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने उपभोक्ता

संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण के सलाहकार समूह कार्यक्रम और विभिन्न राज्य सरकारों के उपभोक्ता संरक्षण संगठन तथा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की विभिन्न बैठकों में भाग लिया। आम उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए अनेक स्मारिकाएँ प्रकाशित की गईं और भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका का, दूरदर्शन, आकाशवाणी और प्रेस के माध्यम से विशेष रूप से प्रचार किया गया।

भावी प्रत्याशाएँ

अर्थव्यवस्था में सुधार और औद्योगिक नीतियों के विकेन्द्रीकरण के साथ भारतीय मानक ब्यूरो अपनी महत्वपूर्ण भावी भूमिका पर ध्यान देगा। जिसके

अन्तर्गत उसे वस्तुओं और सेवाओं की गुणता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना होगा, ताकि ये वस्तुएँ विश्व बाजार में स्वीकार्य और प्रतिस्पर्धी बन सकें। भारतीय मानक ब्यूरो इसके लिए अपने मानकों को उन्नत बनायेगा तथा अपनी यौक्तिक नीतियों से प्रशिक्षित कार्मिक सुनिश्चित करा कर उत्पाद प्रमाणन और गुणता तंत्र प्रमाणन के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को मजबूत करेगा। भारतीय मानक ब्यूरो अब गुणता तंत्र प्रमाणन में और ISO 9000/IS 14000 मानकों की शृंखला के अनुसार लाइसेंस देने की अपनी योग्यता के कारण तथा अपनी प्रमाणन योजना को विधिवत् प्रत्यायित कराने के लिए उपाय करने के कारण गुणता तंत्र प्रमाणन में अग्रसर होने के लिए पूरी तरह तत्पर है।

31/13

(लेफ्टि जनरल ए. एस. भुल्लर)



नीतिगत योजना

ब्यूरो ने वर्ष 1991-92 के दौरान वर्तमान गतिविधियों को फैलाने के लिए नीतिगत योजनाएँ बनाई हैं, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किए जायेंगे: मानकीकरण के राष्ट्रीय तंत्र का व्यापक आधार बनाना, मानकीकरण में प्राथमिकता के क्षेत्र मालूम करना, और मानकों को समकालीन रखना। अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणन तंत्र, उपभोक्ता के स्वास्थ्य तथा निरापदता को प्रभावित करने वाले उत्पादों के अनिवार्य प्रमाणन, प्रयोगशाला में भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने, कार्यालय प्रचालन के आधुनिकीकरण, मानकों तथा गुणता के विषय में जागरूकता पैदा करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की भावना के अंतर्निवेश पर पुनः बल देना जारी रखा गया।

वर्ष 1991-92 के दौरान श्री कमालुद्दीन अहमद, राज्य मंत्री नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण विभाग की अध्यक्षता में हुई ब्यूरो की पहली बैठक में माननीय मंत्री महोदय ने वस्तुओं और सेवाओं की गुणता में सुधार लाने पर बल देते हुए निम्नलिखित कदम उठाने के लिए कहा: मानक उपलब्ध कराना, मानकीकरण तथा उत्पाद प्रमाणन तथा गुणता तंत्र प्रमाणन, विशेषकर तब जबकि मात्रात्मक सफलताओं के स्थान पर गुणता सुधार पर बल दिया जा रहा है, और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और निर्यात को बढ़ावा देना। यह निश्चय किया गया कि

गुणता तंत्र पर अधिक बल दिया जाये ताकि वस्तु का निर्माण आरंभ होने से लेकर उपभोक्ता को दी जाने वाली सेवा तक गुणता को प्रभावित करने वाले सभी तत्संबंधी पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। 30 मार्च 1992 को हुई दूसरी बैठक में माननीय मंत्री महोदय ने ब्यूरो की नीतियों को दूसरी दिशा दी, जिसमें निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहा गया।

वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की उच्चतम नीति निर्धारण समिति ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिये वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- (क) उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रखने के लिए भा मा ब्यूरो द्वारा गुणता पर आयोजित गोष्ठियों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया जाना चाहिये। केवल उपभोक्ता मामलों पर भी गोष्ठियाँ आयोजित की जानी चाहिए।
- (ख) आम उपभोक्ता के हित को सुरक्षित रखने के लिए बिजली के सामान्य प्रकाश सेवा के बल्ब और बिजली के उपकरणों की गुणता में सुधार लाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये।

- (ग) यह निर्णय लिया गया कि ब्यूरो में एक कानूनी सलाहाकार समिति गठित की जाये।
- (घ) ब्यूरो की मानक मुहर के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने के लिये सख्त कदम उठाए जायें।

कार्यकारी समिति (ईसी)

भारतीय मानक ब्यूरो में वर्ष 1991-92 के दौरान कार्यकारी समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं। कार्यकारी समिति ने ब्यूरो की वर्तमान गतिविधियों को

मॉनीटर करने के साथ साथ भावी प्रगति और विकास के लिए मार्गदर्शन दिया। कर्मचारियों के कल्याण और राजभाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये विचार-विमर्श किया गया।

आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने और विकासशील और गुटनिरपेक्ष देशों में सक्षम गुणता उन्मुख औद्योगिक व्यवस्था कायम करने के लिये भा मा ब्यूरो की कार्यकारी समिति ने मानकीकरण, मापन और गुणता नियंत्रण के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष समूह की बैठकों की मेहमानबाजी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।



सत्र में ब्यूरो की आठवीं बैठक।



रसायन विभाग परिषद् की चौथी बैठक में सदस्यों द्वारा परिचर्चा।




मानकों का विकास

मानक सलाहकार समिति (एसएसी) के समग्र मार्गदर्शन में ब्यूरो के 15 तकनीकी विभागों में कार्य होता रहा।

मानक विकास में प्रगति

वर्ष के दौरान ब्यूरो के तकनीकी विभागों में 786 नये और पुनरीक्षित मानक निर्धारित किये गये जिससे 31

मार्च 1992 को कुल मानकों की संख्या बढ़कर 15972 हो गई। पिछले पांच वर्षों में लागू मानकों की कुल संख्या दिखाते हुए तुलनात्मक चार्ट आकृति 1 में दिया गया है। मानक निर्धारण गतिविधि के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आंकड़े सारणी 1 में दिये गये हैं।



सारणी 1 1991-92 के दौरान मानक निर्धारण गतिविधियाँ

तकनीकी विभाग	समितियों की संख्या	आयोजित बैठकों की संख्या	निर्धारित नये और पुनरीक्षित मानक	जारी किए गए संशोधन	व्यापक परिचालन में जारी किए गए मसौदे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रसायन	31	22	73	18	70
सिविल इंजीनियरी	44	22	76	79	85
इलेक्ट्रानिकी एवं दूर संचार	34	21	74	4	72
विद्युत तकनीकी	40	32	71	53	36
खाद्य एवं कृषि	47	26	71	27	67
भारी यांत्रिक इंजीनियरी	26	20	51	17	20
हल्की यांत्रिक इंजीनियरी	26	18	51	3	36
प्रबन्ध एवं तंत्र	9	8	2	5	3
चिकित्सा उपस्कर एवं अस्पताल आयोजना	18	11	39	9	35
धातुकर्म इंजीनियरी	35	25	72	6	74
पेट्रोलियम कोयला एवं सम्बद्ध उत्पाद	21	8	47	20	53
उत्पादन इंजीनियरी	18	16	46	3	50
नदी घाटी परियोजना	22	19	26	10	27
वस्त्रादि	29	13	45	14	35
परिवहन इंजीनियरी	23	18	42	15	54
योग	423	279	786	283	717

महत्वपूर्ण विकसित मानक

महत्वपूर्ण विषय जिन पर नये तथा पुनरीक्षित मानक निर्धारित किए गए उनकी विभागवार सूची निम्नलिखित है:

रसायन

- फुटवियर—पारिभाषिक शब्दावली
- मानव उपयोग के लिए रिसीटेडर्स
- सड़क परिवहन के लिए निरापद शीशे
- नहाने की बट्टी और साबुन का निरापदता का मूल्यांकन
- नहाने की बट्टियाँ

सिविल इंजीनियरी

- पक्की मिटटी की आम भवन निर्माण ईंटें
- कंकरीट का अविनाशी परीक्षण

— ढलवाँ लोहे के एक फेस वाले थिम्बल आरोपित स्लूइस गेट वाल्व

- 50 लिटर की क्षमता वाले पहियों पर आरोपित जल किस्म (गैस कार्टिज) के अग्नि शामक
- भू-संश्लिष्ट विज्ञान—पारिभाषिक शब्दावली

इलेक्ट्रानिकी और दूरसंचार

- सूचना अन्तर्विनियम के लिए भारतीय लिपि संहिता
- सामान्य अनुप्रयोगों के लिए वांछित एम्बकीय आक्साइड की आयताकार प्रणाली सहित ई-कौर के आयाम
- टीवी एरियल फीडर केबल
- प्रकाशिक रेशा तथा केबल के लिए संयोजक, विषय विशिष्ट — रेशा प्रकाशिकी संयोजक टाइप एफ-एसएमए

विद्युत तकनीकी

- प्रतिदीप्त ट्यूबों के लिए एसी आपूर्तित इलैक्ट्रॉनिक बैलास्ट
- घरेलू तथा सामान बिजली के साधित्रों की सुरक्षा
- बिजली की इस्तरी
- बिजली के विकिरक
- निमज्जन हीटर
- बिजली के चूल्हे
- निकिल केडमियम एयरक्राफ्ट बैटरियाँ

खाद्य तथा कृषि

- मस्किटो रेपीलैन्ट मेट तथा कायल
- अल्पवसा वाले शिशु आहार नुस्खे तथा सोया प्रोटीन के शिशु आहार नुस्खे
- घरेलू उपयोग के लिए एल्कोहल रहित पेय मुख्य तत्व
- खेत की सिंचाई दक्षता का मूल्यांकन
- पशु कर्षित वाहन

भारी यांत्रिक इंजीनियरी

- सौर सपाट प्लेट संग्राहक
- सौर बायोमास चूल्हे
- बहुत अधिक गहराई से पानी निकालने के हैंडपम्प
- प्रयुक्त एलपीजी सिलिंडरों का निरीक्षण और मरम्मत
- बैंकों के लिए सुरक्षा उपस्कर

हल्की यांत्रिक इंजीनियरी

- एंगस्ट्राम सूर्य विकिरण मापी
- ताप-वैद्युत सूर्य विकिरण मापी
- लिमिट्स तथा फिट्स का आईएसओ तंत्र

प्रबन्ध तथा तंत्र

- गुणता प्रबंध तथा गुणता आश्वासन मानक
- सॉफ्टवेयर के विकास, पूर्ति और रखरखाव के लिए IS 14001 के अनुप्रयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्त
- गुणता तंत्र की संपरीक्षा के मार्गदर्शी सिद्धान्त

- संपरीक्षा
- गुणता तंत्र संपरीक्षण के लिए योग्यता कसौटियाँ
- संपरीक्षा कार्यक्रमों की प्रबन्ध

चिकित्सा उपस्कर तथा अस्पताल आयोजना

- सामान्य उपयोग के लिए सुवाह्य प्राथमिक चिकित्सा किट
- शल्यक्रिया के लिए सूक्ष्मदर्शी
- एक बार उपयोग के लिए रोगाणुरहित अधस्त्वक सुइयाँ
- एमटीपी चूषण उपकरण

धातुकर्म इंजीनियरी

- स्टेनलेस इस्पात के पुर्जों पर ब्लेक आक्साइड का लेपन
- विद्युत प्रयोजन के लिए एल्युमिनियम मिश्र धातु की पुनकर्षित छड़ें
- जस्तीकरण के लिए जस्ता
- अविनाशी परीक्षण कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता तथा प्रमाणन के लिए सामान्य मानक
- जल, गैस और मल-जल के लिए दाब पाइप लाइनों के लिए यांत्रिक तथा पुश-ऑन नम्य जोड़ों हेतु सीआई स्पेशल

पेट्रोलियम, कोयला तथा संबद्ध उत्पाद

- ताप सुघट्य धुमीकरण आच्छादक
- संचकन तथा बहिर्वेधन के लिए पोलीएमाइड (नाइलोन-6) तथा पोलीएमाइड (नाइलोन-66) सामग्रियाँ
- संचकन तथा बहिर्वेधन के लिए पालीएलकिलीन टैरीथेलेट (पीईटी)
- खाद्य सामग्री, औषधियों तथा पेयजल के संपर्क में आने वाला सुरक्षित उपयोग के लिए इथाइलीन वाइनिल एसिटेट (ईवीए) सहबहुलक
- शल्यक्रिया के लिए रबड़ के एक बार प्रयोग के बाद फेंकने वाले दस्ताने

उत्पादन इंजीनियरी

- मशीनी औजारों के लिए नृमितीय शब्दावली

- कर्तन औजार के लिए बदले जा सकने वाले इन्सर्ट - पदनाम
- क्षैतिज कैपस्टन, टैरैट तथा एकल तर्क स्वचालित खराद के लिए परीक्षण चार्ट

नदी घाटी परियोजना

- खुली नहरों में द्रव प्रवाह का मापन
- सपाट वी-वियर
- गोल नौक वाले क्षैतिज शीर्ष वियर
- टरबाइन के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

वस्त्रादि

- जूट और जूट के आधार वाले थैले — पात परीक्षण की पद्धति
- वस्त्रादि रेशे — व्यावसायिक नमी की पुनः प्राप्ति
- भूवस्त्रादि — परीक्षण पद्धतियां
- वस्त्रादि रंजन सामग्री सी आई प्रतिदीप्त प्रभासक 199

परिवहन इंजीनियरी

- मोटर वाहन के इलैक्ट्रॉनी फ्लेशर
- सवारी पोत में शोर का स्तर मापन पद्धति
- कृषि ट्रैक्टरों, उपकरणों तथा टिलर के टायर
- मोटर साइकिल तथा मोपेड के लिए हल्की मिश्र धातु के पहिए
- पशु-कर्षित वाहनों के लिए टायर

मानकों को अद्यतन करना

पाँच वर्ष पहले प्रकाशित मानकों का पुनरीक्षण किया। इस वर्ष विद्यमान मानकों के 283 संशोधन जारी किए गए।

बहु-क्षेत्रीय समन्वय

ऊर्जा परिरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, पोत निर्माण इत्यादि के विशिष्ट क्षेत्रों में रुचि रखने वालों को मानक उपलब्ध कराने के लिए अन्य संबद्ध सूचना सहित विशिष्ट वर्गीकृत मानकों की सूचियाँ प्रलेखनबद्ध की गईं।

जलपूर्ति पर प्रौद्योगिकी मिशन


भा मा ब्यूरो ने जलपूर्ति मिशन के लिए गुणता आश्वासन (क्वासम) की विशेष परियोजना पर तीव्रतर विकास तथा आवश्यक मानकों की पूर्ति तथा मिशन योजना के कार्यान्वयन में उपयोग किए गए उत्पादों के गुणता आश्वासन उपायों को स्थापित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कारगर बनाकर अपना कार्य जारी रखा।

तीन विशेष प्रकाशनों अर्थात्

- नल/वेद्य कूप की अवस्थिति, प्रचालन और रखरखाव — मार्गदर्शी सिद्धान्त
- जल पूर्ति के लिए प्रयुक्त पाइप और फिटिंग — संकलन
- पंप और हैंडपंप — संकलन
- को 1991-92 के दौरान अंतिम रूप दिया गया। इस विषय पर निर्धारित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मानकों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- गहराई से पानी निकालने के हैंडपम्पों के संस्थापन और रखरखाव की रीति संहिता
- बहुत अधिक गहराई से पानी निकालने के हैंडपम्प की विशिष्टि
- जलकूप वेधन — जलकूपों के लिए डाउन द होल हैमर रिग की सामान्य अपेक्षाएँ
- वेधकूप नलकूप के लिए अनम्यकृत पीवीसी की उभरी धारियों वाले स्क्रीन आवरक तथा सादे आवरक पाइपों की विशिष्टि, तथा
- जलकूप तथा 3 फेजीय प्रेरण मोटरों के लिए इस्पात की नलियों की विशिष्टि

गहराई से पानी निकालने के हैंडपंपों से संबद्ध महत्वपूर्ण मानकों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है और ये प्रकाशनाधीन हैं।

जलपूर्ति मिशन से संबद्ध मानक संवर्धन तथा प्रमाणन पर राज्य स्तर के जागरूकता कार्यक्रम शिमला (जुलाई 1991) तथा गुवाहाटी (दिसम्बर 1991) में आयोजित किए गए। इनमें 150 जन स्वास्थ्य इंजीनियरों ने भाग लिया। इस विषय पर ब्यूरो द्वारा हैदराबाद (जुलाई 1991) भोपाल (अगस्त 1991) तथा नई दिल्ली (जनवरी 1992) में तीन कार्यशालाएँ भी आयोजित की गईं।



प्रमाणन मुहरांकन

उत्पाद प्रमाणन

भा मा ब्यूरो ने वर्ष 1991-92 के दौरान प्रमाणन मुहर योजना के समेकित प्रचालन के लिए सहयोजित प्रयास जारी रखे। इसके परिणाम स्वरूप चालू लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 11976 हो गई, जिससे प्रमाणन से होने वाली आय बढ़कर रु० 18.01 करोड़ हो गई जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। वर्ष के दौरान 363 उत्पादों पर 1213 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए इनमें भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत पहली बार शामिल किए गए 23 उत्पाद भी हैं।

इनमें समाविष्ट महत्वपूर्ण उत्पाद हैं :

- क) टाइपराइटर का रिबन, रेशमी;
- ख) मोटर संधारित्र;
- ग) पंखे के रेग्युलेटर, इलैक्ट्रॉनिक;
- घ) घरेलू उपयोग के लिए नम्य विद्युत तापन पैड;
- ङ) ट्राइलेट पायसनीय सांद;
- च) स्थल पर प्रयोग के लिए तैयार कीटनाशी;
- छ) एमटीपी (गर्भ-समापन) चूषण उपस्कर;
- ज) मार्गरीन (कृत्रिम मक्खन);
- झ) टूथपेस्ट;
- ट) सूती बुनी खेलकूद के लिए कमीजें;

- ठ) चक्का और श्रीखंड;
- ड) अवशिष्ट धारा प्रचालित सर्किट ब्रेकर;
- ढ) ऐस्बेस्टॉस सीमेंट भवनों के बोर्ड; और
- ण) ऊर्जा दक्ष प्रेरण मोटर

प्रमाणन के अन्तर्गत भारतीय मानक

जिन भारतीय मानकों पर प्रमाणन मुहर लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं, उनकी कुल संख्या 31 मार्च 1992 को 1393 तक पहुँच गई। इनमें से 281 मानक प्रतिदिन उपयोग की वस्तुओं से संबंधित हैं। इन मर्दों में एलपीजी सिलिंडर, एलपीजी स्टोव, तेल दाब स्टोव, प्रेशर कुकर, निरापद दियासलाई, सेफटी रेजर ब्लेड, वनस्पति, विभिन्न प्रकार के सीमेंट, बिस्कुट, जीएलएस लैम्प, प्रतिदीप्त ट्यूबें, शुष्क सैल बैटरियां, सूती बनियानें, बालों के लिए खिजाब पाउडर, डेजर्ट कूलर, शिशुओं के लिए खाद्य, दुग्ध उत्पाद इत्यादि शामिल हैं। वर्ष के दौरान प्रमाणित किए जाने वाली वस्तुओं का संकलित मूल्य लगभग रु. 7000 करोड़ है।

31 मार्च 1992 को चालू लाइसेंसों का उद्योगवार तथा क्षेत्रवार विभाजन क्रमशः सारणी 2 और 3 में दिया गया है।

**सारणी 2 प्रमाणन मुहर लाइसेंसों का उद्योगवार वितरण
(31 मार्च 1992 को)**

क्र सं०	क्षेत्र	चालू लाइसेंस (आस्थगित सहित)
1.	सिविल इंजीनियरी	2 319
2.	रसायन	813
3.	विद्युत तकनीकी	2 596
4.	खाद्य एवं कृषि	2 007
5.	भारी यांत्रिक इंजीनियरी	1 282
6.	हल्की यांत्रिक इंजीनियरी	113
7.	इलैक्ट्रानिकी और दूरसंचार	14
8.	अस्पताल उपस्कर	78
9.	धातुकर्म इंजीनियरी	1 473
10.	पेट्रोलियम, कोयला और सम्बद्ध उत्पाद	642
11.	उत्पादन इंजीनियरी	41
12.	परिवहन इंजीनियरी	72
13.	वस्त्रादि	526
योग		11 976

**सारणी 3 प्रमाणन मुहर लाइसेंसों का क्षेत्रवार वितरण
(31 मार्च 1992)**

क्रम स.	क्षेत्र	शाखा कार्यालय	चालू लाइसेंस (आस्थगित सहित)
1.	मध्य	क) दिल्ली	1 255
		ख) भोपाल	625
		ग) गाज़ियाबाद	399
		घ) जयपुर	496
		योग	2 775
2.	पूर्वी	क) कलकत्ता (गोहाटी सहित)	1 390
		ख) भुवनेश्वर	142
		ग) पटना	415
		योग	1 947
3.	उत्तरी	क) चंडीगढ़	1 336
		ख) फरीदाबाद	327
		ग) कानपुर	269
		घ) लखनऊ	272
		योग	2 204
4.	दक्षिणी	क) मद्रास	691
		ख) बंगलौर	470
		ग) कोयम्बतूर	427
		घ) हैदराबाद	560
		ड) तिरुवनंतपुरम	190
		योग	2 338
5.	पश्चिमी	क) बम्बई	1 700
		ख) अहमदाबाद	1 012
		योग	2 712
		कुल योग	11 976


लागू लाइसेंसों का पर्यवेक्षण

समीक्षाधीन वर्ष में लाइसेंस देने, लागू करने और पर्यवेक्षण आदि के लिए निरीक्षण की संख्या सारणी 4 में दी गई है।

सारणी 4 1अप्रैल 1991 से 31 मार्च 1992 के दौरान किए गए निरीक्षणों की तालिका

क्रम सं.	क्षेत्र	शाखा	निरीक्षण		
			प्रारंभिक	आवधिक	अन्य
1.	मध्य	क) दिल्ली	329	2 659	645
		ख) भोपाल	145	1 995	348
		ग) गाजियाबाद	103	676	536
		घ) जयपुर	173	1 144	350
		योग	750	6 474	1 879
2.	पूर्वी	क) कलकत्ता (गुवाहाटी सहित)	148	3 602	204
		ख) भुवनेश्वर	38	340	451
		ग) पटना	28	884	83
		योग	214	4 826	738
		3.	उत्तरी	क) चंडीगढ़	136
ख) फरीदाबाद	58	1 009		1 948	
ग) कानपुर	54	716		526	
घ) लखनऊ	80	731		40	
योग	328	6 149		4 164	
4.	दक्षिणी	क) मद्रास	101	1 315	166
		ख) बंगलौर	92	1 500	370
		ग) कोयम्बतूर	44	1 275	62
		घ) हैदराबाद	107	1 270	297
		ङ) तिरुवनंतपुरम	37	793	108
		योग	381	6 153	1 003
5.	पश्चिमी	क) बम्बई	223	4 909	1 216
		ख) अहमदाबाद	153	1 755	1 911
		योग	376	6 664	3 127
कुल योग			2 049	30 266	10 911

पिछले 5 वर्ष की अवधि के दौरान चालू लाइसेंसों की संख्या का उद्योगवार विवरण आकृति 2 में दिया गया है।



आकृति 2 प्रमाणन मुहर लाइसेंसों का उद्योगवार व्यापक वितरण

क	विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिकी	ख	सिविल इंजीनियरी	ग	खाद्य एवं कृषि
घ	यंत्रिक, परिवहन और उत्पादन इंजीनियरी,	ङ	धातुकर्म इंजीनियरी	च	रसायन पेट्रोकेमिकल्स, कोयला, तथा सम्बद्ध उत्पाद
छ	वस्त्रादि	ज	अस्पताल उपस्कर		

पिछले 5 वर्षों के दौरान चालू लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि को आकृति 3 में दिया गया है



आकृति 3 लागू लाइसेंस

गतावधि/रद्द लाइसेंस

वर्ष के दौरान 616 लाइसेंस गतावधि हो गये। लाइसेंसों के गतावधि/रद्द होने का कारण लाइसेंसधारी की असंतोषजनक कार्यकारिता, लाइसेंसधारी की फैक्टरी का बंद होना, लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद का निर्माण करने में लाइसेंसधारी की रुचि का न होना इत्यादि है।

वर्ष के दौरान सक्षम कोर्ट में मानक मुहर के अनुचित उपयोग के लिए चार नई शिकायतों के मामले दर्ज कराये गये। इस अवधि के दौरान चार पुराने मामलों पर निर्णय दिया गया जिनमें अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया और जुर्माना किया गया। 29 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए जिनमें उन पक्षों को यह परामर्श दिया गया कि वे अपनी वस्तुओं के भारतीय मानक विशिष्टि के अनुरूप होने का दावा न करें, क्योंकि उन्होंने इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत वैध अनुमति नहीं ली है।

भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन की समीक्षा

भा मा ब्यूरो ने अपने लाइसेंसधारियों तथा विशेष क्षेत्रों में रुचि रखने वाले सम्बद्ध उपभोक्ताओं के साथ समीक्षा बैठकों का समय-समय पर आयोजन करना जारी रखा जिससे भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के लिए फीडबैक मिला। इन समीक्षा बैठकों में मानकों के कार्यान्वयन में सामने आने वाली तकनीकी कठिनाइयों और उत्पादन में गुणता मानदण्डों के प्रति उपभोक्ताओं (प्रयोक्ताओं) की अधिमानता पर विचार विमर्श किया गया, और इसमें शामिल मानकों की पुनरीक्षा और/अथवा शामिल प्रमाणन प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्रवाई की गयी।

वर्ष 1991-92 के दौरान 24 समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5 वर्ष 1991-92 के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें

विषय क्षेत्र	दिनांक	स्थान
अहमदाबाद शाखा कार्यालय के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	12 अप्रैल 91	अहमदाबाद
उत्तरी पूर्वी राज्यों के भा मा ब्यूरो लाइसेंसधारियों के साथ बैठकें	25 अप्रैल 91	कलकत्ता
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय और मध्य क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत एलपीजी स्टोव, ग्रिलर कुकिंग रेंज और एलपीजी नलिकाओं के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	10 मई 91	नई दिल्ली
पश्चिमी-क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत एलपीजी स्टोव के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	19 जून 91	बम्बई
पूर्वी क्षेत्र के अन्तर्गत इस्पात की पुनर्वेल्लन-मिलों और लघु इस्पात संयंत्र के लाइसेंसधारियों/आवेदकों के साथ बैठक	11 जूलाई 91	कलकत्ता
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय में वेल्ड करने के इलैक्ट्रोड के लाइसेंसधारियों की बैठक	19 जुलाई 91	त्रिची

विषय क्षेत्र	दिनांक	स्थान
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत प्रबलित कंक्रीट सीमेंट (आरसीसी) पाइप के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	5 अगस्त 91	बम्बई
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत सीमेंट के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	7 अगस्त 91	रांची
पम्प निर्माता संघ के साथ बैठक, गुजरात	9 सितम्बर 91	अहमदाबाद
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत कीटनाशी के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	24 सितम्बर 91	कलकत्ता
रोटरी क्लिन सीमेंट के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	26-27 सितम्बर 91	खजुराहो
राजस्थान के इस्पात के पुनर्वेल्लन-कर्त्ताओं के साथ खुला विचार-विमर्श	14 अक्टूबर 91	जयपुर
चाय की पेट्टियों के फ्लाइवुड के बत्तों के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	30 अक्टूबर 91	कलकत्ता
गहराई से पानी निकालने वाले हैंडपंप के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	12 नवम्बर 91	हैदराबाद
सुरक्षा फुटवियर के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	13 नवम्बर 91	कलकत्ता
मृदु इस्पात की नलियों के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	20 दिसम्बर 91	गाज़ियाबाद
एलपीजी सिलिंडर, वाल्व और रेग्युलेटर के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	30 जनवरी 92	फरीदाबाद
मोटारों और पम्पों के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	19 फरवरी 92	कोयम्बतूर
बिस्कुटों और वेफरों के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	24 फरवरी 92	हैदराबाद
गहराई से पानी निकालने के हैंडपंप के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	25 फरवरी 92	पटना
जीएलएस लैम्पों के लिए भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	12 मार्च 92	बंगलौर
लघु सीमेंट संयंत्र के लिए भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	12-13 मार्च 92	जैसलमेर
खाद्य उत्पादों के लिए भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक	24 मार्च 92	कलकत्ता

इलैक्ट्रॉनिकी घटकों के लिए आईईसीक्यू गुणता मूल्यांकन तंत्र

भारत अप्रैल 1989 से अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आई ई सी) द्वारा प्रचलित इलैक्ट्रॉनिकी घटकों के लिए आईईसीक्यू गुणता तंत्र का प्रमाणनकर्ता सदस्य है।

इस तंत्र के अंतर्गत प्रमाणित इलैक्ट्रॉनिकी घटकों के लिए प्राप्तकर्ता को पुनः निरीक्षण और परीक्षण की

आवश्यकता नहीं होगी। वर्ष के दौरान सात निर्माताओं को अपने उत्पादों के प्रमाणन के लिए और एक स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला को अनुमोदन प्रदान किया गया। इन अनुमोदनों के किए जाने से आईईसीक्यू तंत्र के अन्तर्गत 31 मार्च 1992 तक दिए गए अनुमोदनों की कुल संख्या है:

निर्माताओं का अनुमोदन	13
स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाओं का अनुमोदन	4
वितरकों का अनुमोदन	1



गुणता तंत्र प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो की गुणता तंत्र प्रमाणन योजना भारत के राजपत्र के सम्बद्ध प्रमाणन विनियमों को संशोधित और अधिसूचित करने के बाद 23 सितम्बर 1991 को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत शुरू की गई। इस योजना के प्रचालन में IS 14000/ISO 9000 शृंखला के मानक शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत फर्म द्वारा संस्थापित गुणता तंत्रों की IS 14000 मानकों की शृंखला के सम्बद्ध मानक में निर्धारित अपेक्षाओं से अनुरूपता के सत्यापन के लिए आंशिक मूल्यांकन और बाद में निगरानी करना शामिल है।

गुणता तंत्र पर मानकों की IS 14000 शृंखला, प्रलेखों की व्यापक शृंखला है जो विविध प्रकार के संगठनों पर लागू होती है — उन पर जो डिजाइन बनाते हैं और निर्माण करते हैं, उन पर जो केवल निर्माण करते हैं, और उन पर भी जो केवल अंतिम निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। IS 14001, IS 14002 और IS 14003 में शामिल गुणता तंत्र के तीन माडल चाहे उत्पाद हो अथवा सेवा इनकी संविदा की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न अवस्थाओं में ग्राहक को आश्वस्त करते हैं।

गुणता तंत्र प्रमाणन योजना के अन्तर्गत, कम्पनियों, गुणता तंत्रों के संस्थापित करने के बाद, मूल्यांकन के

लिए और गुणता तंत्र प्रमाणन मुहर का उपयोग करने के लिये लाइसेंस जारी कराने के लिए ब्यूरो को आवेदन भेज सकती हैं। मूल्यांकन प्रशिक्षित ऐसेसरो द्वारा अंतरराष्ट्रीय रीतियों के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान प्रशिक्षित लीड अधिकारियों की संख्या 65 हो गई तथा गुणता आश्वासन संस्थान यूके में लीड ऐसेसरो के रूप में एक अधिकारी को पंजीकृत किया गया। 31 मार्च 1992 तक दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिन पर प्रमाणन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

योजना की पारस्परिक मान्यता

गुणता तंत्र के प्रमाणन के लिए भा मा ब्यूरो द्वारा अपनाए गए तंत्र तथा कार्य विधियां यूरोप के अन्य प्रमाणन निकायों के समान हैं और इसलिये, यह अपेक्षा की जाती है कि गुणता तंत्रों का भा मा ब्यूरो द्वारा किये गये प्रमाणन को यूरोप के सभी देशों द्वारा मान्यता दी जायेगी। अन्य देशों के प्रमाणन निकायों के साथ समझौते के ज्ञापनों (एमओ) पर बातचीत जारी है।

पूर्व-प्रमाणन सेवाएं

उद्योग को प्रमाणन के लिये तैयार करने के उद्देश्य से भा मा ब्यूरो ने निम्नलिखित पूर्व-प्रमाणन सेवाएं शुरू की हैं:

गुणता तंत्र जागरूकता कार्यक्रम — उन इकाइयों के लिये जो IS 14000 मानकों की शृंखला को अपनाना चाहते हैं तथा उन उपायों के लिए जिन्हें उद्योग को अपने संगठन में गुणता तंत्र कार्यक्रम शुरू करने के लिए करना चाहिए।

31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, उद्योग के लाभ के लिये 67 कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 1774 सहभागियों ने भाग लिया।


गुणता तंत्र सर्वेक्षण — उन इकाइयों के लिए जिन्होंने गुणता तंत्रों को कार्यान्वित करने के लिए कदम पहले

से ही उठा लिए हैं तथा प्रलेखन का कार्य पूर्ण कर चुके हैं और आंतरिक संपरीक्षा को आयोजित करने के प्रक्रम में है।

अब तक गुणता तंत्र सर्वेक्षण 3 इकाइयों में आयोजित किये जा चुके हैं।

प्रयोगात्मक मूल्यांकन — उन इकाइयों के लिए जिन्होंने गुणता तंत्रों को पहले से ही संस्थापित किया है किन्तु प्रमाणन के लिये आवेदन करने से पूर्व विश्वस्त होना चाहते हैं।

प्रयोगात्मक मूल्यांकन एक कंपनी के 2 प्रभागों में आयोजित किये गये।



प्रयोगशाला- उत्पाद और विकास परीक्षण

ब्यूरो ने अपनी 8 प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से उत्पाद प्रमाणन तंत्र को समर्थन देना जारी रखा। प्रमाणित उत्पादों के नमूनों का सम्बद्ध भारतीय मानकों के प्रति अनुरूपता के लिए परीक्षण किया गया। भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं ने पद्धति विकास तथा मूल्यांकन से सम्बद्ध अन्वेषण अध्ययनों का कार्य करते हुए ब्यूरो की मानकीकरण गतिविधियों में भी भाग लिया।

परीक्षण के बढ़ते हुए कार्यभार को निपटाने की दृष्टि से ब्यूरो ने 0.93 करोड़ रुपये नये भवनों के निर्माण तथा विभिन्न परीक्षण उपकरणों की खरीद में खर्च किये। वर्ष के दौरान मद्रास में नव निर्मित प्रयोगशाला काम्प्लैक्स को सज्जित किया गया और आवश्यक परीक्षण उपकरणों और मापन उपकरणों से इसे लैस किया गया।

वर्ष के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि ब्यूरो में परीक्षण कार्मिकों को नई तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाए। लाइसेंसधारियों, आवेदकों और अन्य उद्योगों के तकनीकी कार्मिकों को चुने हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रयोगशाला के अंशांकन विंग में विभिन्न मापन उपकरणों की आंतरिक अंशांकन गतिविधि आरंभ की गई।


नमूना परीक्षण

विभिन्न प्रकार के उत्पादों के 36 839 नमूनों का परीक्षण किया गया। भा मा ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं से 9 257 नमूनों का परीक्षण कराया गया।

वर्ष 1991-92 के दौरान ब्यूरो की प्रयोगशालाओं से परीक्षण किये गये नमूनों का क्षेत्रवार विभाजन निम्नलिखित है:

भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाएं	परीक्षण किये गये नमूनों की संख्या
केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद (दिल्ली के पास)	12 587
कलकत्ता, पटना और गुवाहाटी	7 217
एसएस नगर (चंडीगढ़ के पास)	5 254
मद्रास और बंगलौर	6 635
बम्बई	5 146
योग	<u>36 839</u>

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष परीक्षण किए नमूनों की संख्या आकृति 4 में दिखायी गयी है।



अनुसंधान और अन्वेषण कार्य

ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला ने अन्य अन्वेषण के साथ-साथ निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया:

- वनस्पति में अंशशोधित आण्विक अवचूषण रूपेक्ट्रोमीटर (एएएस) पद्धति द्वारा निकल अंश का आकलन करना।
- विस्कोज स्टेपल रेशा और धागे के लिये नमी की पुनः प्राप्ति का अध्ययन।
- भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून द्वारा विकसित समुन्नत एलपीजी चूल्हों का मूल्यांकन।
उक्त अन्वेषणों के माध्यम से संबद्ध भारतीय मानकों में समुचित अपेक्षाओं को समाविष्ट करने में सहायता मिली।

गुणता आश्वासन

प्रयोगशाला के गुणता मैनुअल, जिसमें प्रयोगशालाओं की अच्छी रीतियों के लिये प्रबंध और प्रचालनों के सभी

पहलुओं को शामिल किया गया है, का ब्यूरो की प्रयोगशालाओं के नेटवर्क में सतत और संपूर्ण कार्यान्वयन जारी रहा। आवश्यक आंतरिक संपरीक्षा का आरंभ किया गया और सुधारात्मक उपाय किए गए।

अशांकन

ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपस्करों से सज्जित किया गया जिससे लम्बाई मापन उपकरणों और गेज, दाब और निर्वात गेज, ए.सी. और डी. सी. वोल्टमीटर, एम मीटर और वाट मीटर के इन-हाउस अशांकन आरंभ किये। वर्ष 1991-92 के दौरान यांत्रिकी में 88 उपकरणों तथा विद्युत क्षेत्रों में अन्य 66 उपकरण अशांकित किये गये। ये अशांकित यंत्र राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली द्वारा रख रखाव किये जा रहे राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अनुकरणीय होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय मापन तंत्र में शामिल होने का पहला चरण समाप्त हो गया है।



चंडीगढ़ में आयोजित उपभोक्ता प्रदर्शनी में भारतीय मानक ब्यूरो का स्टॉल।



भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 91 में भारतीय मानक ब्यूरो का स्टॉल।

परीक्षण सुविधाओं का विस्तार और उन्नयन

प्रत्येक के सामने दिये गये स्थानों पर निम्नलिखित अतिरिक्त उपस्कर संस्थापित कर दिये गये:

उपस्कर	स्थान
प्रेरण युग्मक प्लाज्मा स्पेक्ट्रोफोटो मीटर (आईसीपी)	मद्रास
तापन और शीतलन	
युक्तियों सहित आद्रता प्रकोष्ठ	बंगलौर और एस ए एस नगर

पीवीसी पाइपों के लिये द्रवचालित परीक्षण उपस्कर

तनन परीक्षण मशीन

मानक वायुमंडलीय अवस्थाओं का निर्माण करने तथा उन्हें बनाये रखने के लिये उपस्कर

बम्बई

कलकत्ता और बम्बई

कलकत्ता, केन्द्रीय प्रयोगशाला और बंगलौर

सूती डक (IS 1422) फैली हुई विनाइल लेपित वस्त्र (IS 6895), सड़क और रेल के टेंकरों इलैक्ट्रिकली वांडेड रबड़ के होज, पेट्रोलियम उत्पादों के प्रति प्रतिरोधक (IS 10733), सैंड बलास्टिंग के लिये रबड़ के होज (IS 5894), रबड़ के बने जल चूषण और निकासी होज, हैवी ड्यूटी (IS 3549) सीमंट पैक करने के लिए पोलीप्रोपिलीन (पी पी) की बुनी हुई बोरियाँ (IS 11653) के नमूनों के मूल्यांकन के लिये सुविधाओं को जुटाया गया। एलपीजी गैस चूल्हों के परीक्षण की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त उपस्कर लगाया गया। सैनिटरी के सामान और र्वचल वाहनों में प्रयुक्त सुरक्षा शीशों के लिये संबद्ध भारतीय मानकों के अनुसार आंशिक परीक्षण सुविधाएं जुटाने के लिये कार्यवाही की गई।

केन्द्रीय प्रयोगशाला का प्रत्यायन

भा मा ब्यूरो की केन्द्रीय प्रयोगशाला ने वर्ष के दौरान अपनी रासायनिक, विद्युत और यांत्रिक परीक्षण और

अंशशोधन प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन के लिये आवेदन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन सुविधाएं परिषद (एनसीटीसीएफ) को भेजा तथा प्रयोगशाला की सक्षमता को ज्ञात करने के लिये डीएसटी द्वारा विशेषज्ञों के रूप में प्रतिनियुक्त प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा किए गए मूल्यांकन में सफलता प्राप्त की। औपचारिक प्रत्यायन के लिए विशेषज्ञ समितियों और राष्ट्रीय पंजीकरण और सलाहकार परिषद् (एनआरएसी) की बैठक का इंतजार है।

परीक्षण में प्रशिक्षण

वर्ष 1991-92 के दौरान बिजली के घरेलू उपकरणों, रंग रोगन तथा समबद्ध उत्पादों, विद्युत और यांत्रिक मापन उपकरणों के अंशशोधन जैसे क्षेत्रों में भा मा ब्यूरो के परीक्षण कार्मिकों और भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों, आवेदकों, अन्य परीक्षण प्रयोगशालाओं, इत्यादि के परीक्षण कार्मिकों की दक्षता में सुधार के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। केन्द्रीय प्रयोगशाला में अल्पावधि परीक्षात्मक पाठ्यक्रमों के लिये पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, वियतनाम से प्रशिक्षु आये।

भा मा ब्यूरो के परीक्षण कार्मिक परीक्षण और प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं में विशिष्टीकृत प्रशिक्षण लेने के लिये भारत और विदेशों की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संगठनों में भेजे गये।

स्वतंत्र प्रयोगशालाओं की मान्यता

भा मा ब्यूरो की ओर से परीक्षण करने के लिये स्वतंत्र प्रयोगशालाओं को मान्यता देने की योजना के अन्तर्गत छह नई प्रयोगशालाओं को मान्यता दी गई जिससे मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या 267 हो गई।



मानक संवर्धन

भा मा ब्यूरो द्वारा बनाये गए राष्ट्रीय मानकों और उसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की बेहतर उपयोगिता के लिए इलेक्ट्रॉनिकी, प्रेस और अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया गया। वर्ष 1991-92 के दौरान घटी महत्वपूर्ण घटनाओं और उपलब्धियों का रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों तथा ब्यूरो की गृह पत्रिका स्टैंडर्ड इंडिया द्वारा प्रभावी ढंग से प्रचार किया गया।

भा मा ब्यूरो द्वारा बनाई गई क्षणिकाएँ तथा भा मा ब्यूरो के अधिकारियों के साथ साक्षात्कार दूरदर्शन द्वारा हिन्दी तथा इसके विभिन्न केन्द्रों द्वारा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए गए, आकाशवाणी के विभिन्न प्रसारण केन्द्रों से हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में 15 सैंकिंड का रेडियो पर विज्ञापन दिया गया। समाज के अनेक वर्गों को शिक्षित करने के लिए

सरकारी प्रदर्शनी, मदुराई
उपभोक्ता जागरूकता प्रदर्शनी, बम्बई
इंडेक्सपो, मद्रास
उपभोक्ता प्रदर्शनी, कोयम्बतूर
वास्तुकला, आभ्यन्तर तथा सामग्री प्रदर्शनी, नई दिल्ली
प्रकाश 91 प्रदर्शनी, नई दिल्ली
भा मा ब्यूरो प्रकाशनों की प्रदर्शनी, भिलाई
ओपन हाउस प्रदर्शनी, गाजियाबाद
प्रकाशन प्रदर्शनी, नई दिल्ली

आकाशवाणी के माध्यम से ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में रेडियो वार्ता, साक्षात्कार तथा विचार विमर्श के प्रसारण की व्यवस्था की गई। खुली बातचीत, वीडियो फिल्म, विवरणिका, प्रेस सम्मेलन, प्रेस नोट, विज्ञापन, आलेख, क्लोज सर्किट टी.वी, पोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी से चमकने वाले डिस्पले बोर्ड इत्यादि का आयोजन करके प्रचार अभियान चलाया गया। विश्व मानक दिवस तथा गुट निरपेक्ष बैठकों जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर दैनिक समाचार पत्रों में विशेष परिशिष्ट निकाले गए। वर्ष के दौरान आरंभ की गई गुणता तंत्र प्रमाणन योजना तथा नेकोस्टान-92 को इलेक्ट्रॉनी माध्यमों पर व्यापक कवरेज दिया गया। ब्यूरो ने देश के विभिन्न भागों में आयोजित कई प्रदर्शनियों में भाग लिया, जिसका विवरण इस प्रकार है:

21 अप्रैल-14 जून 1991
4-5 मई 1991
21-27 जून 1991
4 अगस्त 1991
4-6 अक्टूबर 1991
7-13 अक्टूबर 1991
14 अक्टूबर 1991
14 अक्टूबर 1991
23 अक्टूबर 1991



कीट नाशकों का उच्च कार्यकारिता द्रव क्रोमेटोग्राफी (एच पी एल सी) द्वारा परीक्षण



आई एस आई चिन्ह लगे गहराई से पानी निकालने के हैण्डपम्प की विशेषताओं की गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा सराहना।

उपभोक्ता प्रदर्शनी, नई दिल्ली	25-26 अक्टूबर 1991
आईआईटीएफ 1991, नई दिल्ली	14-24 नवम्बर 1991
आदर्श गृह प्रदर्शनी, मद्रास	6-16 दिसम्बर 1991
एनर्जी इंडिया प्रदर्शनी, बम्बई	7-15 दिसम्बर 1991
विज्ञान और संस्कृति एक्सपो, इच्छापुर, एग्मार्क, बंगलौर	8-12 दिसम्बर 1991
उपभोक्ता प्रदर्शनी, भुवनेश्वर	8-16 दिसम्बर 1991
अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी, हैदराबाद	29 दिसम्बर 1991
डिस्पले प्रदर्शनी, बम्बई	1 जनवरी-15 फरवरी 1992
कलकत्ता पुस्तक मेला, कलकत्ता	9 जनवरी 1992
दसवाँ विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली	29 जनवरी-9 फरवरी 1992
पैकटेक इंडिया प्रदर्शनी, बम्बई	1-9 फरवरी 1992
चंडीकृत औद्योगिक उत्पाद, चंडीगढ़	28 फरवरी-1 मार्च 1992
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक मेला, मद्रास	28 फरवरी-7 मार्च 1992
डिस्पले प्रदर्शनी, चंडीगढ़	4-9 मार्च 1992
उपभोक्ता जागरूकता प्रदर्शनी, बम्बई	9-13 मार्च 1992
उपभोक्ता मेला, चंडीगढ़	11-14 मार्च 1992
'विश्व उपभोक्ता' दिवस, धर्मपुरी, तमिलनाडु	15-17 मार्च 1992
	22 मार्च 1992

भारतीय मानकों का कार्यान्वयन

निम्नलिखित संगठनों को भा मा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों जहाँ उपलब्ध हैं, को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया:

ऑयल इंडिया लिमिटेड;
द सिंगरानी कॉलेरीज कं० लिमिटेड;
राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड;
लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग, भोपाल; और
म. प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल।

तकनीकी सम्मेलन और संगोष्ठियाँ

मानकीकरण और गुणता के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए भा मा ब्यूरो ने स्वयं अथवा अन्य संगठनों के सहयोग से तकनीकी सम्मेलन और संगोष्ठियाँ आयोजित की जिनमें से कुछ मुख्य की सूची निम्नलिखित है:

क्रम सं०	कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
1.	हौजरी वस्त्रों के निर्माण में निरीक्षण एवं गुणता नियंत्रण	तिरुपुर	3 अप्रैल 1991
2.	इलैक्ट्रॉनी में मानकीकरण और प्रमाण तंत्र	मैसूर	11 अप्रैल 1991
3.	मृदु इस्पात और पूर्व-प्रतिबलित कंक्रीट पाइपों की विफलता	पुणे	13 अप्रैल 1991
4.	गुणता नियंत्रण के पहलू और कार्य	भोपाल	22 अप्रैल 1991

क्रम सं०	कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
5.	सामग्री प्रबंध का मानकीकरण	बंगलौर	10 जुलाई 1991
6.	कृषि और खाद्य संसाधन उद्योग	भुवनेश्वर	12 अगस्त 1991
7.	राष्ट्रीय भवन संहिता और भवन सामग्रियों पर मानक	हैदराबाद	24 अगस्त 1991
8.	तप्त निम्ज्जी जस्तीकरण	बम्बई	28 अगस्त 1991
9.	डीजल इंजनों का गुणता नियंत्रण	राजकोट	28 अगस्त 1991
10.	औद्योगिक सूचनाओं का प्रसारण	मद्रास	20 सितम्बर 1991
11.	मानकीकरण और प्रमाणन	आबू रोड	16 अक्टूबर 1991
12.	भूवैज्ञानिक सामग्रियों के नमूने लेना	भुवनेश्वर	9-10 नवम्बर 1991
13.	मानकीकरण और सामग्री प्रबंध	हैदराबाद	2 दिसम्बर 1991
14.	भारत के गांवों में उपभोक्ता संरक्षण की शिक्षा और जागरूकता	लखनऊ	23-25 जनवरी 1992
15.	काउन्टरफीट भागों की समस्याओं का सामना करना	मद्रास	5 फरवरी 1992
16.	रंग रोगन का गुणता नियंत्रण और परिक्षण	बम्बई	28 फरवरी 1992
17.	नेकोस्टान 92	नई दिल्ली	6-7 मार्च 1992
18.	उपभोक्ता संरक्षण और भा मा ब्यूरो की भूमिका	कोयम्बतूर	15 मार्च 1992
19.	उपभोक्ता संरक्षण	करनाल	30 मार्च 1992

भारतीय मानकों का शैक्षिक उपयोग

शिक्षा संस्थाओं के संकाय सदस्यों और वरिष्ठ विद्यार्थियों को उनकी रुचि के क्षेत्रों में उपलब्ध राष्ट्रीय मानकों के शैक्षिक उपयोग पर प्रकाश डालने के लिए देश के विभिन्न भागों में नौ कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

संस्थान	दिनांक	लक्ष्य समूह
गवर्नमेंट पॉलिटेक्नीक, गाज़ियाबाद	4-5 जून 1991	संकाय सदस्य और वरिष्ठ विद्यार्थी
आईएसटीई स्कूल, कोयम्बतूर	6 जून 1991	यथोपरि
आईएसटीई स्कूल, बनारस	27 जून 1991	यथोपरि
टीटीटीआई, चंडीगढ़	16-17 सितम्बर 1991	यथोपरि
एनएसएस कॉलिज ऑफ इंजीनियरी, पलक्कड़	14 अक्टूबर 1991	संकाय सदस्य और वरिष्ठ विद्यार्थी
वाईएमसीए इंजीनियरी संस्थान, फरीदाबाद	26 अक्टूबर 1991	यथोपरि
रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	28-29 जनवरी 1992	यथोपरि
नागपुर	29 फरवरी और 1 मार्च 1992	संकाय सदस्य (6 तकनीकी संस्थाओं से)
सिद्धांगा प्रौद्योगिकी संस्थान, टुमकुर, उड़ीसा	21-22 मार्च 1992	यथोपरि

विश्व मानक दिवस

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के स्थापना दिवस को याद करने के लिए 14 अक्टूबर 1991 को विश्व मानक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भा मा ब्यूरो ने "कार्य में सुरक्षा" विषय पर नई दिल्ली में संगोष्ठी आयोजित की जिसका उद्घाटन माननीय उद्योग राज्य मंत्री प्रो. पी. जे. कुरियन ने किया। माननीय श्री कमालुद्दीन अहमद, नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष भा मा ब्यूरो ने अध्यक्षीय भाषण दिया। श्री चन्द्रकान्त बी. गरवारे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय

सुरक्षा परिषद ने मुख्य भाषण दिया। इस क्षेत्र में ख्यातिलब्ध प्राधिकारियों ने पांच तकनीकी विषय पर पाँच पेपर पढ़े जो महत्वपूर्ण सिफारिशों के रूप में सामने आये।

भा मा ब्यूरो के शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों ने बंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, चंडीगढ़ कोयम्बतूर, जमशेदपुर, कालामासोरी और पुणे में कार्य के दौरान वातावरण की सुरक्षा में सुधार लाने में मानकीकरण की भूमिका पर संगोष्ठियों का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण घटना को रेडियो, दूरदर्शन तथा प्रेस ने व्यापक कवरेज दिया।

कम्पनी मानकीकरण

विभिन्न उद्योगों के तकनीकी कार्मिकों के लाभ के लिए निम्नलिखित कम्पनी मानकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित किए गए:

स्थान	दिनांक	लक्ष्य
मुरथल, हरियाणा	3-5 अक्टूबर 1991	सामान्य उद्योग
गुलबर्गा, कर्नाटक	11-13 नवम्बर 1991	सीमेंट उद्योग
चिकमंगलूर, कर्नाटक	28-29 नवम्बर 1991	सीमेंट उद्योग
गाजियाबाद (उ.प्र.)	23-26 मार्च 1992	सामान्य उद्योग

एसक्यूसी प्रशिक्षण कार्यक्रम

जागरूकता पैदा करने के लिए देश के विभिन्न भागों में निम्नलिखित सांख्यिकी गुणता नियंत्रण (एसक्यूसी) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

स्थान	दिनांक	लक्ष्य
बम्बई	22 अप्रैल 1991	सुप्रीम इंडस्ट्रीज लि.
अतुल, गुजरात	30 जुलाई 1991	अतुल प्रॉडक्ट्स लि.
मुरथल, हरियाणा	9 सितम्बर 1991	इंडो एशियन फ्यूज गियर्स लि.
अहमदाबाद	19-20 सितम्बर 1991	गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि.
ठाणे	25 सितम्बर 1991	रेमंड वूलन मिल्स लि.
नादियाड़, गुजरात	28 नवम्बर 1991	अपर प्राइवेट लि.
आनन्द	20-21 जनवरी 1992	हिन्दुस्तान पैकेजिंग लि.
अंकलेश्वर, गुजरात	30-31 जनवरी 1992	रोटेरी क्लब
सूरत	5-6 फरवरी 1992	साइनामाइड
इंदौर	10-11 फरवरी 1992	मोरल ओवरसीज लि.
चंडीगढ़	13-14 फरवरी 1992	भा मा ब्यूरो के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी

स्थान	दिनांक	लक्ष्य
हैदराबाद	22-23 फरवरी 1992	प्राग टूल्स लि.
कलकत्ता	9-13 मार्च 1992	भा मा ब्यूरो के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी
बम्बई	16-17 मार्च 1992	घारडा कैमिकल लि.
बाइडी, सोलन	17 मार्च 1992	दीपक स्पिनर्स लि.
अहमदाबाद	25 मार्च 1992	मारडिया कैमिकल्स लि.
अहमदाबाद	26-27 मार्च 1992	उद्योग आयुक्त और भारतीय रसायन संस्थान
मोरक	26-27 मार्च 1992	मंगलम् सीमेंट लि.

मानक इंजीनियरी संस्थान (एसईआई)

मानकीकरण और गुणता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए

पिछले वर्ष की तरह भा मा ब्यूरो ने मानक इंजीनियरी संस्थान, जो मानक इंजीनियरों का एक व्यावसायिक निकाय है, से सक्रिय सहयोग किया। व्यापार का विश्वव्यापीकरण होने के कारण मानकीकरण की गतिविधि को मिली चुनौती का सामना करने पर विचार विमर्श करने के लिए भा मा ब्यूरो ने एसईआई के साथ 6-7 मार्च 1992 को नई दिल्ली में मानकीकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन (नाकोस्टान, 92) का सह-प्रायोजन किया। इस संगोष्ठी में सार्वजनिक, निजी, मुख्य औद्योगिक गृहों, सरकारी संगठनों और उपभोक्ताओं के 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भा मा ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों ने एसईआई के संबद्ध अनुभागों के सहयोग से देश में मानकीकरण और गुणता नियंत्रण की गतिविधि के संवर्धन के लिए कई संगोष्ठियों, सम्मेलन, व्याख्यानों, बैठकों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, इत्यादि का आयोजन किया। स्थानीय उद्योगों के लाभ के लिए भा मा ब्यूरो ने एसईआई के विभिन्न अनुभागों के साथ मिलकर कम्पनी मानकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। भा मा ब्यूरो ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में विश्व मानक दिवस समारोहों में भी एसईआई के विभिन्न अनुभागों से सहयोग लिया इन समारोहों में सरकार के नीति बनाने वाले अधिकारियों ने भी भाग लिया।

तकनीकी सूचना सेवाएँ

ब्यूरो ने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय शाखा कार्यालयों में आधुनिकतम संप्रेषण तकनीकों को अपनाकर और अधिक बेहतर उपस्कर ले कर अपनी सूचना सेवाओं को समृद्ध किया। विदेशी मानक निकायों, तकनीकी संस्थाओं और व्यावसायिक संघों द्वारा जारी किए गए 19 530 मानक और मानकनुमा प्रकाशनों को मुख्यालय के पुस्कालय में जोड़ा गया है। अब हमारे डाटाबेस में 863 समूहों के अन्तर्गत विधिवत् वर्गीकृत 224 000 रिकार्ड हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान पुस्तकालय सदस्यता योजना के अन्तर्गत 782 व्यक्ति तथा संगठन शामिल हुए।

गैट पूछताछ केन्द्र

ब्यूरो में कार्य कर रहे शुल्क तथा व्यापार में सामान्य समझोते (गैट) की मानक संहिता के अन्तर्गत पूछताछ केन्द्र ने गैट हस्ताक्षरकर्ता देशों से 319 अधिसूचनाएँ तथा तकनीकी विनियम प्राप्त किये तथा भारत के बारे में 5 अधिसूचनाएँ जारी कीं। पूछताछ केन्द्र को भारतीय मानकों, तकनीकी विशिष्टियों और प्रमाणन तंत्र के संबंध में 30 पूछताछ भी मिलीं। भारतीय उद्योग की सहायता के लिए पूछताछ केन्द्र ने भारतीय, विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों, तकनीकी विनियमों और प्रमाणन तंत्र के बारे में व्यक्तियों, उद्योगों और सरकारी एजेन्सियों से प्राप्त 248 पूछताछों के उत्तर भी दिए।

प्रकाशनों की बिक्री

वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो ने विदेशी मानकों की बिक्री से मिले 0.11 करोड़ के कमीशन सहित 1.55 करोड़ रुपये के भारतीय मानक बेचे। भारतीय मानकों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रेस नोट जारी करके, विज्ञापनों का प्रदर्शन

करके, विभिन्न प्रदर्शनियों में बिक्री-सह प्रदर्शनी काउंटर का आयोजन करके तथा तकनीकी संस्थाओं इत्यादि के सहयोग से तथा विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के माध्यम से उपयोगकर्ताओं में सूचना का प्रचार करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठाये। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित थे:

कार्यक्रम	स्थान	दिनांक
सुरक्षा पर प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन	नई दिल्ली	28-29 अगस्त 1991
भवनों और आन्तरिक सज्जा की सामग्रियों का व्यापार मेला	नई दिल्ली	4-6 अक्टूबर 1991
नालीदार डिब्बों के मानकीकरण तथा गुणता उन्नयन पर राष्ट्रीय सम्मेलन	नई दिल्ली	23 अक्टूबर 1991

प्रकाशन

विभिन्न रुचि रखने वालों में सूचना के प्रभावी वितरण के लिए ब्यूरो ने निम्नलिखित नियमित पत्रिकाओं को प्रकाशित करना जारी रखा। इनमें ब्यूरो द्वारा निरन्तर किए गये कार्य, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के साथ उसकी उपलब्धियाँ भी शामिल की जाती हैं:

- 1) स्टैंडर्ड्स इंडिया,
- 2) मानकदूत
- 3) स्टैंडर्ड्स मासिक संस्करण,
- 4) स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड ओवर,
- 5) मानकों के बारे में प्रकाशित नवीनतम सूचना,
- 6) बीआईएस हैंडबुक, और
- 7) आईटी स्टैंडर्ड्स।

वर्ष के दौरान मानकों की गतिविधियों के बारे में और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए आकर्षक रंगों में प्रचार विवरणिकायें प्रकाशित की गईं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

वनस्पति

इन्टरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम

इन्टरनेशनल एक्टिविटीज

क्वालिटी सिस्टम

राजीव गांधी एवार्ड

आपकी सेवा में

रीचिंग न्यू होराइजन्स थ्रू स्टैंडर्ड्स

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन स्कीम

क्वालिटी सिस्टम सर्टिफिकेशन स्कीम

मानक हम सबकी सहायता करते हैं

भा मा ब्यूरो और शिशु की देखभाल

ईयर प्लेनर

बीआईएस प्रयोगशालाएं — टेस्टिंग फॉर क्वालिटी क्योंकि हम देखभाल करते हैं

अनुवाद सेवाएँ

मानकों, तकनीकी रिपोर्टों और वैज्ञानिक एवं तकनीकी पेपरों के लगभग 2600 पृष्ठों का फ्रांसीसी, जर्मन और रूसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त, विदेशी भाषा के प्रलेखों से मिलने वाली जानकारी से सम्बन्धित कई पूछताछों के उत्तर दिए गए और कुछ लेखों के सारांश दिए गए।

भा मा ब्यूरो की गतिविधियों में हिन्दी

राजभाषा पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार ब्यूरो ने अपने विभिन्न विभागों में हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए टिप्पण और आलेखन में 6-7 जून 1991 को चंडीगढ़, 27 मार्च से 3 अप्रैल 1991 को मुख्यालय में तथा 17-21 जून 1991 को पुनः मुख्यालय में कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। ब्यूरो के कर्मचारियों को बैचों में हिन्दी टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया गया।

क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों में सितम्बर 1991 के दौरान हिन्दी दिवस आयोजित किया गया।

उपभोक्ताओं के हितों से सम्बन्धित 28 मानकों का हिन्दी में अनुवाद किया गया। ये मानक इस्पात की

बाल्टी, मग, बैजोइक अम्ल, खाद्य ग्रेड, होटल, रेस्तरां तथा अन्य खाद्य सेवाओं की कार्यकारी अपेक्षाएँ, जूतों की क्रीम, पक्की मिट्टी की जालियाँ, घरेलू रस निष्कर्षक, घरेलू धुलाई की अपमार्जक टिकिया, सामान्य कार्यों के लिए निर्जहक, चप्पल इत्यादि से सम्बन्धित हैं।

उपभोक्ता मामले

भा मा ब्यूरो ने मानकीकरण तथा अपनी प्रमाणन मुहर योजना के द्वारा आम उपभोक्ता, उनकी एसोसिएशनों तथा उपभोक्ता संरक्षण परिषदों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पारस्परिक संबंध बना कर उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सघन प्रयास किए। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ब्यूरो को प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन के बारे में सुझाव देने के लिए उच्च स्तर के कार्यकारी समूह के रूप में नामित किया गया। इसकी रिपोर्ट मानवीय प्रधान मंत्री को दिनांक 22 जून 1991 को प्रस्तुत की गई। 15 मार्च 1992 उपभोक्ता दिवस के अवसर पर “भा मा ब्यूरो तथा शिशु की देखभाल” विषय पर पैमफ्लैट प्रकाशित किया गया। उपभोक्ताओं

में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भा मा ब्यूरो ने मुख्यालय तथा अपने क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों में कई कार्यक्रम आयोजित किए।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भा मा ब्यूरो ने उपभोक्ता नीतियों पर आईएसओ/आईईसी परिषद् समिति (कोपोल्को) में अपनी सहभागिता को सघनता से बढ़ाया। कोपोल्को द्वारा स्थापित दो कार्यकारी समूहों में, जिसका भारत सदस्य है, एक कार्य आईएसओ/आईईसी मार्गदर्शिका 14 तथा 37, क्रमशः, “उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद के बारे में सूचना” तथा “उपभोक्ताओं के हितों से सम्बन्धित उत्पादों के उपयोग के लिए अनुदेश” की पुनरीक्षा करना है। दूसरे कार्यकारी समूह का कार्य मानकीकरण के लिए उपभोक्ता की रुचि के क्षेत्र अभिज्ञात करना है। पहले कार्यकारी समूह में भारत का योगदान, विशेष रूप से उपभोक्ता एक्टिविस्ट का समूह में नामांकन सराहा गया।

वर्ष के दौरान भा मा ब्यूरो द्वारा मानक मुहर लगी वस्तुओं के लिये उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर सतर्क तथा अधिक ध्यान देना जारी रखा गया तथा, समय समय पर प्रभावी मानीटरी तथा सुनवाई की गई।



अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आई ई सी) की विभिन्न तकनीकी तथा प्रशासनिक समितियों में इस वर्ष ब्यूरो की सहभागिता वित्तीय बाध्यताओं के कारण सीमित रही। तथापि, ब्यूरो ने क्षेत्रीय एजन्सियों, जिन में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई ई सी) उल्लेखनीय हैं, सहित भूतपूर्व यू एस एस आर, पोलैंड, चीन, ईरान तथा तुर्की के मानक निकायों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने का प्रयास किया।

अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ)

जेनेवा में जून 1991 के दौरान हुई कमेटी ऑन कनफरमिटी असेसमेंट (कासको) की बैठक में द्विसदस्यीय भारतीय शिष्ट मंडल ने भाग लिया जिसकी अध्यक्षता लेफ्टि. जन. एच. लाल, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो ने की। इस शिष्ट मंडल के दूसरे सदस्य श्री ए. आर. बैनर्जी, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग, भा मा ब्यूरो थे।

कासको की बैठक की उल्लेखनीय उपलब्धि-अनुरूपता मूल्यांकन तथा प्रयोगशाला प्रत्यायन पर दस्तावेजों को अन्तिम रूप देना था। आई एस ओ 9000 फोरम स्थापित किया गया। चूंकि, कासको में घटी घटनाओं का भारत के लिए, खासतौर

से प्रमाणन निकायों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यायन योजना के क्षेत्र में तात्कालिक महत्व है, अतः भारत ने इस समिति में सक्रियता से भाग लिया।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आई ई सी) इलेक्ट्रानिकी घटकों के लिए आई ई सी गुणता मूल्यांकन तंत्र (आई ई सी ई)

भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्यों श्री एन. श्रीनिवासन, अपरमहानिदेशक, भा मा ब्यूरो (नायक) : गुप कैप्टन एम. मुक्त मणि, महानिदेशक, एसटीक्यूसी, इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा श्री एन. दास शर्मा, प्रमुख कार्यपालक, एन एस आई, एस टी क्यू सी, इलेक्ट्रानिकी विभाग ने जेनेवा में 13 से 17 मई 1991 के दौरान आयोजित आई ई क्यू सी सर्टीफिकेशन मैनेजमेंट कमेटी (सी एम सी) तथा इंस्पेक्टोरेट क्वार्टिनेटिंग कमेटी (आई सी सी) की बैठक में भाग लिया। निगरानी व्यवस्था की राष्ट्रीय उद्घोषणा को हाइब्रिड तथा इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीकी द्वारा विस्तार करने के भारतीय प्रस्ताव पर गहराई से वादविवाद हुआ। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तथा हाइब्रिड और इंटीग्रेटेड सर्किट की क्षमता और अनुमोदन प्रक्रिया भी स्वीकृत कर ली गई। परीक्षण दल में भारत के शामिल होने के प्रस्ताव को भी सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया।

भारतीय शिष्ट मंडल ने गुणता प्रबन्ध तथा गुणता आश्वासन, रबड़ तथा रबड़ के उत्पाद, वस्त्रादि तथा पेट्रोलियम उत्पाद से सम्बद्ध आई एस ओ की चुनिंदा तकनीकी समितियों में भाग लिया।

संगोष्ठी

श्री एस. के. खट्टर, संयुक्त निदेशक, भा मा ब्यूरो ने सिंगापुर में 18-19 नवम्बर 1981 के दौरान अन्डर राइटर्स लैबोर्टरीज इंक, न्यूयार्क द्वारा आयोजित "इन्सपेक्टर्स ट्रेनिंग" पर संगोष्ठी में भाग लिया।

गुट निरपेक्ष देश

मानकीकरण, मापन तथा गुणता नियंत्रण (एस एम क्यू सी) के क्षेत्र में गुट निरपेक्ष देशों के विशेषज्ञ समूह की 5वीं बैठक, समन्वयकारी देशों की 10वीं बैठक तथा कार्यात्मक समूहों की 7वीं बैठक 22-24 जनवरी 1992 के दौरान नई दिल्ली में हुई।

बैठक में भाग लेने वाले 32 विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा भारत को विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष चुना गया। इस समूह ने एस एम क्यू सी में सहयोग की कार्यवाही योजना की रूपरेखा भी तैयार की। भारत के संयोजकत्व में प्रशिक्षण पर कार्यात्मक समूह-5 का सृजन किया गया। यह सिफारिश की गई कि 3 विभिन्न क्षेत्रीय समूह अर्थात् क्यूबा, यूगोस्लाविया तथा भारत, प्रशिक्षण और सूचना केन्द्रों की देखरेख करेंगे। गुट निरपेक्ष प्रमाणन नेटवर्क पर भारतीय प्रस्तुति की सराहना की गई। प्रमाणन पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) को प्रोत्साहन देने के अलावा यह सिफारिश भी की गई कि प्रमाणन नेटवर्क के लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण किया जाए।

इस बैठक के बाद "मानक, गुणता तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा—विनिमय एजेन्टों के रूप में राष्ट्रीय मानक निकायों की भूमिका" पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस विचार गोष्ठी में 200 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो शिक्षा के विभिन्न सम्बद्ध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस विचार गोष्ठी में डाक्टर रेहलन, निदेशक, डोएश इंस्टीट्यूट फॉर नौरमंग (डी आई एन) तथा उपाध्यक्ष सी ई एन ने मुख्य अभिभाषण दिया।

इस कार्यक्रम में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हुई। भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बैठक नई दिल्ली में सितम्बर 1991 में हुई। जिसके बाद संयुक्त आयोग की बैठक नवम्बर 1991 में हुई जिसमें लेफ्टि. जन. एच. लाल, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो ने भाग लिया। इसमें निम्नलिखित दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए भविष्य की कार्यवाही पर विचार किया गया:

- क) प्रयोगशाला तंत्रों का आधुनिकीकरण और उन्नयन:
 - 1) मोटर वाहनों के घटक
 - 2) संसाधित्र खाद्य उत्पाद
 - 3) घरेलू बिजली के उपकरण
- ख) स्टैंडर्ड रैफरेंस मैटीरियलस
- ग) गुणता तंत्र प्रमाणन
- घ) सूचना विनिमय

भा मा ब्यूरो के दो अधिकारियों ने यूरोप में "खाद्य सूक्ष्म, जीव विज्ञान" तथा "गुणता तंत्र प्रमाणन" के क्षेत्रों में प्रशिक्षण लिया। भारत के दो केन्द्रों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विशेषज्ञों के सहयोग से "संसाधित खाद्य के क्षेत्र", पर तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें संसाधित खाद्य उद्योग, परीक्षण गृह, अनुसंधान तथा विकास संगठन तथा सम्बद्ध आधिकारिक एजेन्सियों/विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रक्रिया, गुणता तंत्र, नियामक, स्वैच्छिक प्रमाणन इत्यादि के बारे में जागरूकता उत्पन्न हुई।

द्विपक्षीय सहयोग

मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौतों पर भारत ने तुर्की, चीन तथा ईरान के साथ हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के अनुपालन में भा मा ब्यूरो ने सहयोग के क्षेत्रों के लिए आवश्यक प्रस्ताव इन देशों को भेज दिए हैं।

भारत-सोवियत सहयोग

लेफ्टि. जन. एच. लाल, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल ने मानकीकरण तथा माप विज्ञान पर भारत-सोवियत

कार्यकारी समूह की 14वीं बैठक, जो 12 से 16 अगस्त 1991 के दौरान मास्को में आयोजित की गई, में भाग लिया। इस शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों में ब्रिगेडियर जी. एस. जाज, निदेशक, एम ओ एस, रक्षा मंत्रालय, डा. जे. के. एन. शर्मा उपनिदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला तथा श्री एम. के. बहल, उप. निदेशक, भा मा ब्यूरो थे।

इन द्विपक्षीय बैठकों में निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बद्ध इन देशों के राष्ट्रीय मानकों को एक करने की सम्भावनाओं पर विचार विमर्श हुआ:

- क) उपभोक्ता संरक्षण,
- ख) मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण के क्षेत्र में विपणन,
- ग) गुणता प्रबंध तंत्र, तथा
- घ) बिजली के साधित्रों की निरापदता संबंधी अपेक्षाओं का सामंजस्य

भारत पोलिश सम्बन्ध

भारत-पोलिश कार्यकारी समूह की 19-20 अगस्त 1991 को वारसा में हुई दूसरी बैठक में वस्त्रादि, कृषि उत्पाद, मशीनरी, गुणता प्रमाणन तथा मानकीकरण में प्रशिक्षण जैसे पारस्परिक व्यापार के चुने हुए क्षेत्रों में 1991-92 के लिए कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया

गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व, द्विसदस्यीय शिष्ट मंडल ने किया जिसका नेतृत्व लेफ्टि. जन. एच. लाल, महानिदेशक, भा मा ब्यूरो द्वारा किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण, विधिक माप विज्ञान, प्रयोगशाला में परीक्षण, में 5 विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया जिसमें उगांडा, मलेशिया, वियतनाम, लैसोथो, मोजम्बीक तथा अंगोला के 9 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। प्रशिक्षार्थियों को भारत में औद्योगिक इकाइयों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गुणता नियंत्रण गति-विधियों के बारे में भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिखाया गया। श्री आर. आई. मिट्टा और श्री एल. जी. बैनर्जी ने साइचलस में नवम्बर 1991 में "मानकीकरण तथा गुणता आश्वासन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

विकासशील देशों के लिए मानकीकरण तथा गुणता तंत्र में 24वाँ अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 अक्टूबर से 29 नवम्बर 1991 तक आयोजित किया गया। इस में एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के 31 सहभागियों ने भाग लिया।



कंप्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचालन

ब्यूरो ने उत्पादकता और समय दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से कार्यालय सेवाओं के स्वचालन की दिशा में प्रगति करना जारी रखा।

कंप्यूटरीकरण की सुविधाएं

वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपलब्ध सेवाएं आवर्धित की गईं :

- अल्प लागत वाले कार्यकारी लेन कनेक्टिंग 2 अथवा 3 व्यक्तिगत कंप्यूटर
- हिन्दी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर “अक्षर”

तंत्र और आँकड़ा प्रक्रमण का विकास

निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों से सम्बंधित सॉफ्टवेयरों का विकास किया गया:

- आयोजना के लिए प्रबन्धकीय सूचना रिपोर्ट तैयार करना, पुनरीक्षा तथा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों को मानीटर करना।
- प्रचालन स्तरों के लिए पुनर्भरण (फीडबैक) सूचना रिपोर्ट तैयार करना।
- देश के उद्योग, प्रयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को मानकों और प्रमाणन के बारे में शीघ्र तथा विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराना।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों के साथ मानकों के बारे में सूचना के आदान प्रदान के लिए डाटाबेस तैयार करना।

मानक निर्धारण गतिविधियां

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सॉफ्टवेयर कार्यक्रम विकसित किये गये:

- संशोधनों और प्रलेखों पर स्थिति (स्टेज) कोड वार, समितिवार और विषयवार रिपोर्ट तैयार कराने के लिए।
- विभिन्न तकनीकी विभागों द्वारा फ्लोपी पर दिए गए आँकड़ों के माध्यम से मुख्य फ्रेम पर कार्यक्रम के कार्य पर डाटाबेस को अद्यतन कराना।

प्रमाणन मुहर गतिविधियाँ

कंप्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना तंत्र (सी एम आई एस), प्रस्तुत किए गए: जिसमें निम्नलिखित सॉफ्टवेयर कार्यक्रम शामिल हैं,

- गतावधि लाइसेंसों के लिए राजपत्र अधिसूचना।
- विभिन्न विकल्पों सहित लाइसेंसधारियों की समितिवार सूची।
- प्रमाणन के अन्तर्गत शामिल भारतीय मानकों की तकनीकी विभागवार और समितिवार सूची और

वैध लाइसेंसों की संख्या।

- “ग्राहक मार्गदर्शिका” (बायर्स गाइड) के लिए पी सी पर आधारित सॉफ्टवेयर का विकास किया गया और विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में उपयोग के लिए इसका परीक्षण किया गया।

सूचना सेवा

उपयोगकर्ताओं को तीव्र और अद्यतन सूचना प्रदान करने के लिए मानक संदर्भिका डाटाबेस में लगभग 24 000 प्रविष्टियाँ जोड़ी गईं।

कार्मिक प्रबन्ध

अद्यतन करने के अलावा, ब्यूरो के सटाफ के विभाग/क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालयवार आबंटन के लिए डाटाबेस का सृजन करके कार्मिक प्रबन्ध सूचना तंत्र को और अधिक बढ़ाया गया। वर्ष के दौरान अनेकों आऊटपुटों की पुनः प्राप्ति की गई। इस डाटाबेस में ब्यूरो में नियुक्त कार्मिकों के बारे में अद्यतन सूचना है।

बिक्री

ब्यूरो के विभिन्न प्रकाशनों की नकद बिक्री पर वर्तमान व्यापक ऑन-लाइन पैकेज को वर्ष के दौरान और अधिक विस्तार दिया गया ताकि अतिरिक्त अपेक्षाओं का ध्यान रखा जा सके। अब यह पैकेज सभी प्रबन्ध सम्बन्धी सूचना रिपोर्टों को बनाने में सक्षम है।

बिक्री (नकद तथा उधार) तथा तालिका प्रबन्ध सूचना प्रबंधतंत्र पर पीसी पर आधारित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का पैकेज डिजाइन किया गया और ब्यूरो के सभी विक्रय केन्द्रों पर कार्यान्वयन के लिए इसे विकसित किया गया। यह तंत्र प्रभावी प्रबन्धन के लिए प्रबन्धकों तथा सम्बद्ध विभागों को प्रकाशन, मानकों की बिक्री, भंडार की स्थिति के बारे में सूचना तथा वितरण अनुभाग और बिक्री अनुभाग को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों/विभागों द्वारा फीड बैक प्रदान कर सकता है। स्टॉक फाइल को अद्यतन करने के साथ ही साथ यह तंत्र नकद तथा उधार बिक्री पर डाटाबेस भी तैयार कर सकता है। इससे मुद्रण तथा प्रतियों की व्यवस्था, तीव्रतर वसूली प्रक्रिया तथा अधिक दक्ष तालिका प्रबन्ध की बेहतर आयोजना में सहायता मिलेगी।

कागज की खपत पर प्रबन्ध सूचना तंत्र

इस वर्ष मुद्रण/प्रकाशन विभाग ने कागज की खपत तथा विभिन्न प्रकाशनों पर होने वाले खर्च पर पीसी पर आधारित तंत्र को डिजाइन, उन्नयित और कार्यान्वित किया। यह तंत्र विभिन्न आऊटपुट जैसे कागज की मासिक खपत, कागज की विभागवार खपत, विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्रकाशनों पर आने वाला खर्च, इत्यादि देने में समर्थ हैं। यह आऊटपुट प्रभावी योजना तथा बेहतर मोनीटरी के लिए और बजट अनुमानों को तैयार करने में काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

वित्त

विविध देनदारों के खातों का कंप्यूटरीकरण करने का प्रयास जारी रखा गया। निम्नलिखित के संदर्भ में इस तंत्र को आवर्धित किया गया:

- सभी ग्राहकों की निर्देशिका पर डाटाबेस फाइल का रखरखाव।
- सभी लम्बित लेन देन के बारे में डाटाबेस फाइल को अद्यतन करना।
- महीने के दौरान हुए सभी लेनदेनों का संहिताकरण और उसकी आँकड़ा प्रविष्टि तथा पृथक पार्टियों के खातों में लेनदेन की पोस्टिंग करना तथा सामान्य खाताबही के साथ उनका समाधान करना।
- इस तंत्र को पार्टियों को भुगतान के लिए कंप्यूटरीकृत पत्र भेजने के माध्यम से उनका मासिक रूप से अनुवर्तन करने के लिए विकसित किया गया और इस तरह देयताओं की सही ढंग से पुनरीक्षा की जा सकती है।

मार्च 1991 से वेतन रोल तंत्र को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत किया गया। इस तरह इस तंत्र का वेतन स्लिप, बैंक एडवाइज, वेतन बिल, बजट अनुमान, आयकर परिगणना, टी डी एस प्रमाण पत्र तथा विविध विवरणी, जो संवैधानिक प्राधिकरणों में फाइल किए जाने हैं, के लिए आऊटपुट देने के लिए उन्नयन किया गया। इस वर्ष भविष्य निधि फाइलों, ऋण तथा अग्रिम राशि की फाइलों को वेतन रोल के साथ एकीकृत कर दिया गया।



योजना-गत परियोजना

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के अन्तर्गत प्रयोगशाला तथा कंप्यूटर नेटवर्क के उन्नयन, गैट पूछताछ केन्द्र, वैज्ञानिक तथा तकनीकी परियोजनाओं इत्यादि के लिए रू. 35.4 करोड़ का प्रस्तावित प्रारूप रखा गया है। वर्ष 1991-92 में भारत सरकार ने रू. 0.86 करोड़ इसके लिए दिए। रू. 0.69 करोड़ चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किए गए। वर्ष 1991-92 के दौरान की गई प्रगति का विवरण इस प्रकार है।

प्रयोगशाला, कंप्यूटर तथा अन्य सम्बद्ध उपस्कर

वर्ष 1991-92 के दौरान रू. 0.75 करोड़ परिष्कृत प्रयोगशाला उपस्कर तथा वैयक्तिक कंप्यूटर प्राप्त करने पर खर्च किये गये।

मुख्यालय भवन का विस्तार

मुख्यालय भवन को आग से सुरक्षा देने के लिए किए जा रहे कार्य के अन्तर्गत जेनरेटर सेट तथा सम्बद्ध बिजली का कार्य, सीढ़ियों के इनक्लोजर लगाने तथा लिफ्ट को अलग करने का कार्य पूरा किया गया।

मद्रास में प्रयोगशाला सहित कार्यालय भवन का विस्तार

नए भवन के पूरा बनने तथा इसकी परिसज्जा के बाद इसमें कार्यालय तथा प्रयोगशाला का कार्य करना आरम्भ हो गया है।

विश्व बैंक परियोजना

ब्यूरो विश्व बैंक से आसान शर्तों पर रू. 9.54 करोड़ का ऋण लेने के समझौते पर सफलता मिली। इस ऋण पर कोई भी ब्याज देय नहीं है किन्तु 1 प्रतिशत का सेवा प्रभार इस पर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त न निकाली गई राशि, यदि कोई हो तो, पर इसके अन्तर्गत 0.25 प्रतिशत का प्रतिबद्धता प्रभार भी देय है। इस वर्ष विश्व बैंक ने दूसरी किश्त के रूप में रू. 0.40 करोड़ दिया जिसमें से रू. 0.37 करोड़ प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्रियों तथा प्रयोगशाला उन्नयन के लिए आईईसीईई विशेषज्ञों के दौरे पर खर्च किए गए।



मानव संसाधन विकास

31 मार्च 1992 को भा मा ब्यूरो की जन शक्ति पिछले वर्ष के 2 397 की तुलना में 2 388 व्यक्ति थी। ब्यूरो में पिछले 2 वर्षों के दौरान गतिविधिवार कार्मिकों का नियोजन नीचे दिया जा रहा है :

गतिविधि	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या	
	1991	1992
क) मानकीकरण (मानकों और अन्य प्रकाशनों का निर्धारण, प्रकाशन, विक्री और वितरण)	557	547
ख) प्रमाणन और गुणता तंत्र	834	835
ग) प्रयोगशालाएं	385	382
घ) संवर्धनात्मक गतिविधियां (मानक संवर्धन, सांख्यिकीय गुणता, तकनीकी सूचना और कंप्यूटर सेवाएं)	98	93
ङ) सहायक सेवाएं (कार्मिक प्रबंध, लेखा, सामान्य सेवाएं, भवन रखरखाव और सुरक्षा)	523	531
योग	2 397	2 388

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधान

वर्ष के अंत में विभिन्न संवर्गों के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या में 16 की बढ़ोतरी हुई और यह संख्या पिछले वर्ष के 390 की तुलना में 31 मार्च 1992 को 406 हो गई।

पिछले दो वर्षों के लिए समूहवार वियोजन नीचे दिया जा रहा है:

समूह	31 मार्च को अनु. जाति/ अनु. जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	
	1991	1992
क	61	64
ख	22	22
ग	143	149
घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	120	127
सफाई कर्मचारी	44	44
योग	390	406

प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान ब्यूरो ने सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए 51 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जिसमें 797 कर्मचारियों ने भाग लिया और इनमें 5213 श्रम दिवस लगे। पुनः ब्यूरो के 79 अधिकारी, बाहरी अभिकरणों द्वारा आयोजित 54 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये नामित किये गये इसमें 248 श्रम दिवस लगे। वर्ष के दौरान ब्यूरो द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम सारणी 6 में दिये गये हैं।

सारणी 6 वर्ष 1991-92 के दौरान ब्यूरो द्वारा आयोजित इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि	सहभागियों की संख्या
1.	हिन्दी टिप्पणी और आलेखन पर कार्यशाला	27 मार्च 1991 1-3 अप्रैल 1991 6-7 जून 1991 और 17-21 जून 1991	58
2.	विभागीय जांचों के लिये कार्यपालक विकास कार्यक्रम	22-26 अप्रैल 1991	24
3.	कंप्यूटर ऐडेड ड्राफ्टिंग (केड) तंत्रों और औटोकेड पैकेज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	3-10 मई 1991 14-26 जून 1991 16-23 सितम्बर 1991	22
4.	सचिवालय कार्यकारिता सुधार के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम-कार्यदक्षता और प्रभावशालिता	15-17 मई 1991	26
5.	खाद्य पदार्थों का परीक्षण और गुणता नियंत्रण	3-21 जून 1991	11
6.	IS 12 पर अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम	10-13 जून 1991 और 17-20 जून 1991	30
7.	डीटीपी में प्रशिक्षण कार्यक्रम	1-18 जुलाई 1991	20
8.	एसक्यूसी और गुणता तंत्र	21-25 अक्टूबर 1991	25
9.	हिन्दी अक्षर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	7-15 अक्टूबर 1991	5
10.	कीटनाशी और उनसे निर्मित पदार्थों का परीक्षण, गुड़गाँव	21 अक्टूबर -1 नवम्बर 1991	10
11.	वेल्लिंग और निरीक्षण, त्रिची	2-7 दिसम्बर 1991	13
12.	यांत्रिक और विद्युत मापन उपकरणों के अंशशोधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	16-20 दिसम्बर 1991	10
13.	नये भर्ती हुए सहायक निदेशकों के लिये अधिष्ठापन प्रशिक्षण कार्यक्रम	6 जनवरी -14 फरवरी 1992	19
14.	कार्यालय प्रक्रियाओं और अपने आप को सुधारने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम	16-18 मार्च 1992	21

नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध

रिपोर्टगत वर्ष के दौरान नियोक्ता कर्मचारियों के सम्बन्ध सद्भावपूर्ण बने रहे प्रबंधकों ने कर्मिकों से संबंधित मामलों को कर्मचारियों से परामर्श और विचार विमर्श करके सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया।

कर्मचारी कल्याण

ब्यूरो द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिये अपनाये गये कई उपाय जारी रखे गए। कर्मचारियों के मनोविनोद के लिये उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के हालीडे होम को क्रमशः मंसूरी और कोडईकेनाल से हटाकर नये पहाड़ी स्टेशनों नैनीताल और ऊटी में स्थानांतरित कर दिया। भा मा ब्यूरो के फरीदाबाद कार्यालय में कार्य करने वाले स्टाफ के सदस्यों के लिये एक टिफिन कक्ष स्थापित किया गया जिसमें स्वास्थ्यजनक अवस्थाओं

में तैयार चाय/काफी और अल्पाहार की व्यवस्था है। अन्य सुविधाओं जिनमें उपभोक्ता सहकारी भंडार, गृह निर्माण (ब्याज में छूट) ऋण योजना, और नकदी लाने ले जाने वाले कर्मचारियों सहित प्रयोगशाला तथा खतरनाक वातावरण/कार्यव्यवस्थाओं, काम करने वाले कर्मचारियों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना सामूहिक बीमा योजना सम्मिलित है। खेल क्लबों, भा मा ब्यूरो कैंटीनों के लिये भी अनुदान जारी रखा गया।

गंभीर बीमारी और अत्यधिक संकट की स्थिति में होने के कारण 10 जरूरतमंद कर्मचारियों को कर्मचारी कल्याण निधि से वित्तीय सहायता भी दी गई। सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये परिवार कल्याण कार्यक्रम ब्यूरो में लागू किये गये और कर्मचारियों को नकद तथा अन्य प्रोत्साहन दिये गये। सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान किये गये।



वित्त

भा मा ब्यूरो ने लगातार तीसरे वर्ष भी भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता लिए बिना अपने गैर-योजना व्यय को स्वयं वहन करके आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त किया।

वित्तीय विश्लेषण

राजस्व (गैर-योजना)

इस वर्ष की गई कुल आय रू. 19.92 करोड़ थी जो पिछले वर्ष की प्राप्त आय से 14 प्रतिशत अधिक थी। इस आय में सबसे बड़ा योगदान प्रमाणन शुल्क का रहा जो 1990-91 के दौरान रू. 15.83 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रू. 18.01 करोड़ था।

1990-91 के दौरान खर्च हुए रू. 17.67 करोड़ की तुलना में इस वर्ष रू. 19.30 करोड़ खर्च हुए जो खर्च में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। यह वृद्धि और भी अधिक हो सकती थी परंतु मूल्य हास प्रभार में कमी, जो मूल्य हास दरों में कमी के कारण हुई, की वजह से ऐसा नहीं हुआ। प्रचालन अधिशेष रू. 0.62 करोड़ रहा जो आय का 3.1 प्रतिशत है। विश्व बैंक ऋण प्रतिदान निधि खाते में रू. 0.50 करोड़ के विनियोजन के बाद निवल अधिशेष रू. 0.12 करोड़ रहा।

31 मार्च 1992 को समाप्त पिछले 5 वर्ष की अवधि के दौरान आय में वृद्धि का ग्राफीय प्रदर्शन आकृति 6 में दिया गया है।

पूंजी (योजनागत)

वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजना के लिए सरकार ने रू. 1.70 करोड़ आवंटित किए। विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को देखते हुए सरकार ने रू. 1.07 करोड़ का अनुदान दिया जिसमें पिछले वर्ष बिना खर्च किए हुए रू. 0.21 करोड़ भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं तथा की गई प्रगति का विवरण 'योजना गत परियोजना' नामक अध्याय में दिया गया है।

विश्व बैंक परियोजना

विश्व बैंक से ऋण की दूसरी किश्त के रूप में जून 1991 में रू. 0.40 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इसमें से रू. 0.07 करोड़ की राशि राजस्व की मदों पर तथा रू. 0.30 करोड़ की राशि पूंजीगत मदों पर खर्च की गई।

ऋण

वर्ष 1991-92 के दौरान भा मा ब्यूरो ने सरकार से वाहन ऋण के रूप में रु. 0.07 करोड़ प्राप्त किए जो 25 कर्मचारियों को वाहनों की खरीद के लिए दिए गए। वर्ष के दौरान 32 कर्मचारियों ने गृह निर्माण ऋण (ब्याज में छूट) योजना के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधा का

लाभ उठाया। योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक इस योजना का लाभ 145 कर्मचारी ले चुके हैं।

लेखा विवरण

वर्ष 1991-92 का लेखा विवरण अनुबंध क में दिया गया है।



प्रमाणन शुल्क

गातको बरो विजो एण अन्य आय

अनुबंध 'क'

भारतीय मानक ब्यूरो
31 मार्च 1992 का पक्का चिट्ठा

अनुसूची		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	निधि के स्रोत		
1.1	पूंजी निधि एन	131 136 812	116 288 291
1.2	रिजर्व और निधियाँ ओ	54 504 384	56 598 980
1.3	ऋण पी	13 100 000	11 175 000
	योग	198 741 196	184 062 271
2	निधियों का उपयोग		
2.1	अचल परिसंपत्ति क्यू	89 955 568	84 803 173
2.2	निवेश आर	60 820 750	51 997 217
3	कार्यकारी पूंजी		
3.1	चल परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम एन	66 959 655	63 189 610
3.2	नामे: चालू देयता टी	18 994 777	15 927 729
		47 964 878	47 261 881
	योग	198 741 196	184 062 271

- टिप्पणी : 1) अनुसूची ए से टी तक लेखे का भाग हैं।
2) भारतीय मानकों के क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य नहीं आंका गया है और लेखे में शामिल नहीं किया गया है।
3) कर्मचारी भविष्य निधि (अं. भ. नि. और सा. भ. नि.) लेखों के अधिशेष अनुसूची "ओ" और "आर" में नहीं दर्शाए गए हैं, क्योंकि भा. मा. ब्यूरो अधिनियम के खंड 18 और जून 1990 में सम्मिलित किए गए नियम 17 (छ) के अनुसार ये ब्यूरो की निधि का भाग नहीं है।

(लेफ्टि. जन. ए. एस. भुल्लर)
महानिदेशक, भा. मा. ब्यूरो

(आर. आई. मिह्ता)
उपमहानिदेशक, भा. मा. ब्यूरो

(एस. के. दत्ता)
निदेशक (लेखा) भा. मा. ब्यूरो

31 मार्च 1992 को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा

आय

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	प्रमाणन शुल्क	180 104 642	158 298 555
2.	मानकों की विक्री	ए 15 471 843	13 593 890
3.	अन्य आय	बी 3 589 730	2 822 275
4.	सरकारी अनुदान	0	0
	योग	<u>199 166 215</u>	<u>174 714 720</u>

व्यय

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	वेतन और भत्ते	सी 105 275 876	98 955 345
2.	सेवा निवृत्ति लाभ	डी 756 227	565 587
3.	अन्य स्टाफ लाभ	ई 5 963 355	5 005 311
4.	यात्रा व्यय	एफ 6 696 686	6 760 729
5.	अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे	जी 10 740 808	5 919 315
6.	उत्पादन	एच 5 664 751	5 162 739
7.	परीक्षण	आई 12 465 729	10 070 467
8.	प्रचार	जे 1 623 688	1 294 476
9.	कार्यालय व्यय	के 18 788 196	15 032 000
10.	मरम्मत व रखरखाव	एल 4 843 227	3 918 471
11.	अन्य व्यय	एम 5 864 208	5 256 767
12.	विश्व बैंक परियोजना		
	राजस्व व्यय	एम1 707 568	0
13.	मूल्यहास	क्यू 13 618 346	18 808 183
14.	विश्व बैंक से प्राप्त अनुदान	5 000 000	5 000 000
	योग	<u>198 008 665</u>	<u>181 749 390</u>
15.	अधिशेष/(घाटा)	1 157 550	(--) 7 034 670

अनुसूची ए - मानकों की बिक्री

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. भारतीय मानक	14 279 979	13 059 823
2. परिकलन सहायकांग और बाइंडर	89 444	59 951
3. विदेशी प्रकाशन (कमीशन)	1 102 420	474 116
योग	<u>15 471 843</u>	<u>13 593 890</u>

अनुसूची बी - अन्य आय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा अशदान	32 991	37 320
2. सम्मेलन, परामर्श तथा परीक्षण शुल्क	648 847	837 195
3. आवास निर्माण ऋण से ब्याज	344 937	260 859
4. विविध		
क) अन्य स्रोत [खंड 18(i) सी देखें]		
ख) अन्य	2 562 955	1 686 901
योग	<u>3 589 730</u>	<u>2 822 275</u>

अनुसूची सी - वेतन और भत्ते

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. वेतन		
ब्यूरो के सदस्य		
(महानिदेशक के अतिरिक्त)		
महानिदेशक	41 285	46 614
अधिकारी	26 785 837	26 665 111
कर्मचारी	31 878 432	31 801 767
2. भत्ते		
ब्यूरो के सदस्य		
(महानिदेशक के अतिरिक्त)		
महानिदेशक	49 045	26 318
अधिकारी	18 508 007	16 440 008
कर्मचारी	28 013 270	23 975 527
योग	<u>105 275 876</u>	<u>98 955 345</u>

अनुसूची डी - सेवानिवृत्ति लाभ

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. अंशदान		
भविष्य निधि	756 227	565 587
2. पेंशन निधि	—	—
3. ग्रेच्युटी निधि	—	—
योग	<u>756 227</u>	<u>565 587</u>

अनुसूची ई — अन्य स्टाफ लाभ		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	के.सर.स्वा.से. और अन्य चिकित्सा लाभ	3 101 146	1 893 632
2.	कर्मचारी कल्याण	1 659 434	1 390 816
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	1 202 775	1 720 863
	योग	5 963 355	5 005 311
अनुसूची एफ — यात्रा व्यय		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	विदेश	116 047	484 882
2.	अधिकारी और कर्मचारी	6 419 271	6 186 467
3.	समिति सदस्य	161 368	89 380
	योग	6 696 686	6 760 729
अनुसूची जी — अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदा		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन	6 547 338	3 535 896
2.	अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग	4 193 470	2 383 419
	योग	10 740 808	5 919 315
अनुसूची एच — उत्पादन		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	मानक	3 967 591	3 733 766
2.	बुलेटिन	660 905	731 111
3.	परिकलन सहायकांग और बाइंडर	66 522	68 348
4.	अन्य प्रकाशन	969 733	629 514
	योग	5 664 751	5 162 739
अनुसूची आई — परीक्षण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	बाहरी प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान	9 236 799	7 365 667
2.	प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का सामान	2 502 372	2 105 662
3.	बाजार से खरीदे गए नमूने	726 558	599 138
	योग	12 465 729	10 070 467
अनुसूची जे — प्रचार		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	प्रदर्शनी	317 453	235 431
2.	विज्ञापन	1 164 727	851 592
3.	ऑडियो विजुवल्स और अन्य	141 508	207 453
	योग	1 623 688	1 294 476

अनुसूची के — कार्यालय व्यय		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	स्टेशनरी	2 466 818	2 193 791
2.	डाक व्यय	1 814 433	1 812 257
3.	टेलीफोन और टेलेक्स	3 338 299	2 589 141
4.	भर्ती	301 482	260 569
5.	जलपान और मनोरंजन	349 105	313 160
6.	वर्दी	328 812	286 479
7.	भाड़ा और दुलाई	324 903	278 288
8.	बीमा और बैंक प्रभार	601 032	516 589
9.	विविध	940 651	618 063
10.	किराया और टैक्स	3 758 961	2 775 659
11.	बिजली और पानी	4 563 700	3 388 004
योग		<u>18 788 196</u>	<u>15 032 000</u>

अनुसूची एल — मरम्मत और रखरखाव		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	फर्नीचर और उपस्कर	777 527	494 865
2.	भवन	3 625 116	2 922 910
3.	वाहन	440 584	500 696
योग		<u>4 843 227</u>	<u>3 918 471</u>

अनुसूची एम — अन्य व्यय		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	अनुसंधान और परामर्श	137 000	15 214
2.	सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम	1 173 655	1 218 923
3.	इलेक्ट्रॉनिकी आँकड़ा संसाधन	1 172 701	598 939
4.	पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय	530 728	397 781
5.	लेखा परीक्षा शुल्क और कानूनी कार्यवाही प्रभार	326 138	369 147
6.	स्टाफ प्रशिक्षण	705 814	923 649
7.	आवास निर्माण ऋण से ब्याज	1 459 872	1 482 676
8.	अन्य ऋणों से ब्याज	347 500	220 000
	क) केन्द्र सरकार	--	--
	ख) अन्य स्रोतों से	--	--
9.	डुबन्त ऋण बट्टे खाते में डाला	10 800	30 438
योग		<u>5 864 208</u>	<u>5 256 767</u>

अनुसूची एम 1 — विश्व बैंक परियोजना राजस्व व्यय

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परियोजना 1 - मानकीकरण प्रबंध तथा मानक विकास	615 257	—
2. परियोजना 2 - उत्पादों की गुणता का उन्नयन	—	—
3. परियोजना 3 - भामा ब्यूरो प्रयोगशाला नेटवर्क का उन्नयन	86 647	—
4. परियोजना 4 - भामा ब्यूरो प्रशिक्षण गतिविधि को बढ़ाना	—	—
5. परियोजना 5 - भामा ब्यूरो के संवर्धनात्मक प्रयासों को बढ़ाना	—	—
6. परियोजना 6 - निर्यात के लिए तकनीकी सहायता	—	—
7. परियोजना 7 - मानक सूचना केन्द्र	5 664	—
योग	707 568	—

अनुसूची एन — पूँजी निधि

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पिछले पक्के चिट्ठे के अनुसार जमा:	116 288 291	99 965 893
i) पूँजीकृत परिसंपत्तियों की लागत (अनुसूची "ओ" की क्रम सं. 1 देखें)	13 634 648	23 058 604
ii) पूँजीकृत परिसंपत्तियों की लागत क्वासम निधि से (अनुसूची "ओ" की क्रम सं. 3 ए देखें).	85 177	362 853
iii) व्यय से आय की अधिकता	1 157 550	—
योग	131 165 666	123 387 350
नामे :		
i) आय से व्यय की अधिकता	0	7 034 670
ii) पूँजीकृत निवेश बट्टे खाते में डाला	28 854	64 389
योग	131 136 812	116 288 291

अनुसूची ओ - रिजर्व और निधियाँ

क्रम सं. विवरण	31 मार्च को स्थिति	वर्ष के दौरान प्राप्तिर्वा समायोजन	वर्ष के दौरान उपयोग			31 मार्च 92 को स्थिति
			पूँजी	राजस्व	योग	
1. पूँजीकरण की प्रक्रिया में निधियाँ (परियोजनाओं के नाम)						
क) प्रयोगशाला उपस्कर, कम्प्यूटर, तथा संबद्ध उपकरण निधियाँ	8 972 698	8 964 428	10 501 295	—	10 501 295	7 435 831
ख) साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला भवन	—	—	—	—	—	—
ग) कलकत्ता प्रयोगशाला सह कार्यालय निधि	2 190 356	—	1 384 028	—	1 384 028	806 328
घ) एस एंड टी परियोजना निधि	—	421 766	25 588	245 917	271 505	150 261
ङ) हैंडबुक परियोजना का विकास निधि	-18 821	4 533	—	—	—	-14 288
च) स्टाफ आवास परियोजना	428 265	—	391 365	—	391 365	36 900
छ) मद्रास भवन निधि	1 143 599	—	414 405	—	414 405	729 194
ज) गैट परियोजना निधि	—	—	—	24 000	24 000	824 000
झ) मुख्यालय भवन का विस्तार	-102 636	2 600 000	917 967	—	917 967	1 579 397
ञ) प्रयोगशाला भवन लखनऊ	1 900 000	—	—	—	—	1 900 000
योग	14 513 461	11 990 727	13 634 648	269 917	13 904 565	12 599 623
2. कर्मचारी निधियाँ						
क) ग्रेच्युटी निधि	337 418	75 000	—	—	—	412 418
ख) हितकारी निधि	289 610	189 815	—	170 000	170 000	309 425
ग) पेंशन निधि	35 801 717	3 37 3 100	—	9 229 653	9 229 653	29 945 164
योग	36 428 745	3 637 915	—	9 399 653	9 399 653	30 667 007
3. अन्य विशेष परियोजनाएँ						
क) क्वासम	80 088	3 000 000	85 1772	511 979	2 597 156	482 932
ख) ऊर्जा संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम (विद्युत विभाग)	411 140	—	—	400 849	400 849	10 291
ग) उपभोक्ता संरक्षण प्रदर्शनी (नागरिक पूर्ति विभाग)	80 000	—	—	80 000	80 000	—
घ) विश्व बैंक ऋण प्रतिदान खाता	5 085 546	5 658 985	—	—	—	10 744 531
योग	5 656 774	8 658 985	85 177	2 992 828	3 078 005	11 237 754
कुल योग	56 598 980	24 287 627	13 719 825	12 662 398	26 382 223	54 504 384

इसमें जापान सरकार के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा अनुग्रहपूर्वक उपहार के रूप में भा.मा.ब्यूरो को दिए रू० 2964428 शामिल हैं।

अनुसूची पी - ऋण

ऋण की प्रकृति	31 मार्च 91 की स्थिति	वर्ष 1991-92 के दौरान प्राप्तियाँ पुनर्भुगतान		31 मार्च 92 को शेष
i) भारत सरकार से प्राप्त ऋण				
1. वाहन ऋण	3 475 000	700 000	1 125 000	3 050 000
2. आवास निर्माण ऋण	4 700 000	--	1 650 000	3 050 000
योग	8 175 000	700 000	2 775 000	6 100 000
ii) अन्य स्रोतों से प्राप्त ऋण				
1. विश्व बैंक	3 000 000	4 000 000	--	7 000 000
योग	3 000 000	4 000 000	--	7 000 000
कुल योग	11 175 000	4 700 000	2 775 000	13 100 000

अनुसूची ब्यू — स्थिर परिसंपत्तियाँ

क्रम स.	विवरण	कुल ब्लॉक मूल्य के अनुसार			मूल्यहास						
		31 मार्च 91 को स्थिति	जमा	घटा बिक्री/ बट्टे खाते	31 मार्च 92 को स्थिति	31 मार्च 91 तक	जमा	घटा बिक्री/ बट्टे खाते	31 मार्च 92 तक	31 मार्च 92 को स्थिति	31 मार्च 91 तक
1.	भवन — मुख्यालय	4 921 703	—	—	4 921 703	3 137 328	88 306	—	3 225 634	1 696 069	1 784 375
2.	भवन — मद्रास	1 133 556	—	—	-1 133 556	500 059	32 207	—	532 266	601 290	633 497
3.	भवन — मद्रास	7 656 382	414 405	—	8 070 787	—	448 789	—	448 789	7 621 998	7 656 382
4.	साहिबाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला भवन	14 365 960	—	—	-14 365 960	3 114 446	651 600	—	-3 766 046	10 599 914	11 251 514
5.	भवन बंबई	5 274 900	—	—	-5 274 900	2 018 267	172 258	—	-2 190 525	3 084 375	3 256 633
6.	भवन — कलकत्ता	3 112 635	—	—	-3 112 635	1 251 610	99 686	—	-1 351 296	1 761 339	1 861 025
7.	भवन — कलकत्ता (डब्ल्यू आई पी पूंजी)	6 707 665	1 872 668	—	-8 580 333	—	—	—	—	-8 580 333	6 707 665
8.	रिहायशी फ्लैट	6 964 216	391 365	—	-7 355 581	643 949	347 683	—	-991 552	6 364 029	6 320 267
9.	जीरोक्स कापिंग उपस्कर	185 598	—	—	185 598	179 789	1 452	—	-181 241	4 357	5 809
10.	प्रयोगशाला उपस्कर	83 916 045	10 586 472	—	-94 502 517	54 672 462	9 018 861	—	-63 691 323	30 811 194	29 243 583
11.	फर्नीचर और उपस्कर	19 613 279	989 834	103 648	20 499 465	11 239 999	1 661 089	77 573	12 823 515	7 675 950	8 373 280
12.	वाहन	1 599 000	24 500	50 550	1 572 950	889 874	146 171	47 771	988 274	584 676	709 126
13.	रिप्रोग्राफी उपस्कर	1 128 929	—	—	-1 128 929	799 720	82 090	—	-881 810	247 119	329 209
14.	पुस्तकालय में पुस्तकें	4 779 497	640 390	—	-5 419 887	—	—	—	—	-5 419 887	4 779 497

क्रम स.	विवरण	कुल ब्लॉक मूल्य के अनुसार			मूल्यहास						
		31 मार्च 91 को स्थिति	जमा	घटा बिक्री/ बट्टे खाते	31 मार्च 92 को स्थिति	31 मार्च 91 तक	जमा	घटा बिक्री/ बट्टे खाते	31 मार्च 92 तक	31 मार्च 92 को स्थिति	31 मार्च 91 तक
15.	मुख्यालय — मानक भवन में सभागार का विस्तार	1 300 000	—	—	-1 300 000	261 325	147 551	—	-408 876	891 124	1 038 675
16.	मुख्यालय — भवन में अग्नि शमन परियोजना का विस्तार	733 164	917 967	—	-1 651 131	—	—	—	—	-1 651 131	733 164
17.	लखनऊ कार्यालय में प्रयोगशाला भवन एवं कार्यालय भवन (डब्ल्यू आई पी पूंजी)	119 472	—	—	-119 472	—	—	—	—	-119 472	119 472
18.	विश्व बैंक परियोजना उपस्कर	—	-2 961 994	—	-2 961 994	—	-720 683	—	-720 683	2 241 311	0
	योग	163 512 001	18 799 595	154 198	182 157 398	78 708 828	13 618 346	125 344	92 201 830	89 955 568	84 803 173

अनुसूची आर - निवेश (लागत पर)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 91 तक स्थिति	जमा	कटौतियाँ (बिक्री/ परिपक्वता)	31 मार्च 92 को स्थिति
1.	बैंक में जमा				
	क) ग्रेच्युटी निधि खाता	344 000	75 000	—	41 900
	ख) अन्य	10 844 000	9 750 000	—	20 594 000
2.	भामा संस्था कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी				
	स्टोर के शेयर	7 500	—	7 500	—
3.	पेंशन निधि	35 801 717	—	6 493 967	29 307 750
4.	विश्व बैंक ऋण प्रतिदान विधि निवेश खाता	5 000 000	5 500 000	—	10 500 000
	योग	51 997 217	15 325 000	6 501 467	60 820 750

अनसूची एस — चालू परिसंपत्तियाँ ऋण और अग्रिम

क्रम सं. विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. स्टॉक (लागत पर)		
क) छपाई का कागज	887 946	1 294 062
ख) प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर	1 412 237	1 149 480
ग) स्टेशनरी तथा कम्प्यूटर पर व्यय	962 896	779 300
घ) मरम्मत और रखरखाव पर व्यय	37 772	96 930
2. फुटकर लेनदारियाँ		
क) प्रकाशनों की विक्री	1 815 593	1 310 797
ख) प्रमाणन		
i) लाइसेंस शुल्क	3 009	20 560
ii) निरीक्षण प्रभार	191 209	235 727
iii) मुहरांकन शुल्क	6 066 039	4 068 628
ग) बुलेटिन, विज्ञापन इत्यादि	—	825
3. ऋण, अग्रिम औ जमा		
क) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए ऋण		
i) वाहन की खरीद के लिए	3 251 918	3 561 237
ii) आवास निर्माण के लिए	3 107 112	4 278 059
ख) कर्मचारियों को निम्नलिखित के लिए अग्रिम		
i) त्यौहार	246 245	212 285
ii) प्राकृतिक आपदाएँ	—	—
iii) यात्रा व्यय	876 436	1 056 611
iv) छुट्टी यात्रा	296 143	197 929
v) स्टोर की खरीद	489 653	92 754
vi) समायोज्य अग्रिम	640 018	607 156
vii) वसूली योग्य लेखे	1 091 138	1 017 336
viii) पंखा अग्रिम	840	400
ग) निम्नलिखित को अग्रिम		
i) प्राइवेट पार्टियाँ	11 333 313	13 576 070
ii) विदेशी पार्टियाँ	—	—
iii) सरकारी और अन्य	628 548	838 526
4. प्रतिभूति जमाधन	841 272	818 392
5. पूर्वदत्त व्यय	450 620	487 605
6. स्रोत से काटा गया कर	173 591	—
7. नकदी और बैंक शेष		
क) बैंकों में	31 174 771	25 935 917
ख) अपने पास (अग्रदाय सहित)	244 418	218 967
ग) फ्रेंकिंग मशीन	53 718	49 157
घ) पारवहन में चैक	683 200	1 284 900
योग	66 959 655	63 189 610

अनुसूचि टी — चालू देयताएँ

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1.	फुटकर देनदारियाँ		
	क) देश में	2 873 358	2 025 862
	ख) विदेश में	5 829 896	3 174 920
	ग) बयाना	2 449 647	2 208 668
	घ) ग्राहक बकाया (बिक्री)	911 270	839 075
	ङ) ग्राहक बकाया (प्रमाणन)	1 947 862	2 353 521
	च) ग्राहक बकाया (विज्ञापन)	--	1 296
2.	भुगतान लेखे (कर्मचारियों के)	394 393	857 688
3.	देय वेतन और मजदूरी	48 497	65 857
4.	बिहार सरकार (प्रयोगशाला उपस्कर खाता)	395 526	483 637
5.	गुजरात सरकार (अ.शा.का. भवन खाता)	4 144 328	3 917 205
	योग	<u>18 994 777</u>	<u>15 927 729</u>

अनुबंध ख

ब्यूरो, कार्यकारी समिति, सलाहकार समिति और महानिदेशालय के प्रमुख अधिकारी
(31 मार्च 1992 को)

भारतीय मानक ब्यूरो
अध्यक्ष

श्री पी. वी. नरसिम्हा राव
केन्द्रीय नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले,
सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा प्रधान मंत्री,
भारत सरकार

उपाध्यक्ष

श्री कमालुद्दीन अहमद
नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले,
सार्वजनिक वितरण केन्द्रीय राज्य मंत्री
लेफ्टि. जन. ए. एस. भुल्लर

महानिदेशक
कार्यकारी समिति
अध्यक्ष

लेफ्टि. जन. ए. एस. भुल्लर

वित्तीय समिति
अध्यक्ष

श्री एम. सीताराम

प्रमाणन सलाहकार समिति
अध्यक्ष

श्री बी. के. गोस्वामी

मानक सलाहकार समिति
अध्यक्ष

नियुक्त किया जाएगा

प्रयोगशाला सलाहकार समिति
अध्यक्ष

डा. प्रमोद ए. परांजपे

आयोजना तथा विकास सलाहकार समिति
अध्यक्ष

लेफ्टि. जन. ए. एस. भुल्लर

भा मा ब्यूरो महानिदेशालय
महानिदेशक
अपर महानिदेशक
उपमहानिदेशक (मुख्यालय)

लेफ्टि. जन. ए. एस. भुल्लर

श्री एन. श्रीनिवासन

डा० हरि भगवान

श्री जी. रमन

(उपमहानिदेशक का प्रभार दिया गया है)

श्री आर. आई. मिह्ता

(उपमहानिदेशक का प्रभार दिया गया है)

विभाग

निदेशक/प्रभारी

लेखा

श्री एस. के. दत्ता

भवन रखरखाव तथा परियोजना

श्री जे. आर. भेटता

उपभोक्ता मामले

श्री वी. के. कपूर

प्रमाणन मुहर

श्री जे. वेंकटरामन

श्री एम. बी. रेड्डी

श्री जे. पी. मेहता

श्री एस. एम. भाटिया

रसायन

डा. आर. के. सिंह

सिविल इंजीनियरी

श्री एस. एस. सेठी

कम्प्यूटर केन्द्र
इलेक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार
विद्युत तकनीकी
वित्त
खाद्य एवं कृषि
विदेशी भाषा
सामान्य प्रशासन
भारी यांत्रिक इंजीनियरी
हिन्दी यूनिट
सूचना सेवा
अंतर्राष्ट्रीय संपर्क
विधि, प्रवर्तन एवं समन्वय
हल्की यांत्रिक इंजीनियरी
प्रबन्ध और तंत्र विभाग
चिकित्सा उपस्कर और अस्पताल आयोजना
धातुकर्म इंजीनियरी
कार्मिक प्रबन्ध

पेट्रोलियम, कोयला और संबद्ध उत्पाद
योजना और समन्वय
मुद्रण एवं वितरण
उत्पादन इंजीनियरी
प्रकाशन
जनसंपर्क
जल पूर्ति मिशन पर गुणता आश्वासन
गुणता तंत्र
नदी घाटी परियोजना
विक्रय
विज्ञान और प्रौद्योगिक परियोजना
मानक संवर्धन
वस्त्रादि
प्रशिक्षण एवं परामर्श
परिवहन इंजीनियरी

मध्य क्षेत्रीय कार्यालय
उपमहानिदेशक
निदेशक

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
उपमहानिदेशक
निदेशक

श्री एन. शंकर
श्री एस. आर. केशव
श्री टी. सी. कपूर
श्री जी. वी. रामसुब्बन
श्री ए. गोविन्दन
श्री एस. ए. वेलू
श्री बी. जी. शंकर राव
श्री डी. के. अग्रवाल
श्रीमती सरोजिनी वि. आर्य
श्री ए. के. बहल
श्री ए. आर. बैनर्जी
श्री डी. के. सिंह
श्री एस. के. पुरी
श्री एस. कृष्णामूर्ति
श्री जे. सी. गेरा
श्री वी. के. जैन
श्री बी. मुखर्जी (कार्मिक)
श्री जी. वी. रायडू (स्थापना)
श्री डी. के. दत्ता
श्री सोहराब
श्री एम. एल. मलिक
श्री वी. सुब्रामणि
डा. आर. बी. माथुर
श्री आर. एस. मलानी
श्री के. राघवेन्द्रन
श्री एस. चन्द्रशेखरन
श्री के. एम. माथुर
श्री प्रवीण सक्सेना
श्री विनोद कुमार
श्री जे. के. भवनानी
श्री के. सी. शर्मा
श्री वाई. के. भट्ट
श्री एन. एस. विजयराघवन

श्री एम. एस. सक्सेना
श्री गुरुचरण सिंह
श्री बी. के. महाता

श्री पी. एस. दास
श्री एस. के. भट्टाचार्य
श्री आर. एल. रेड्डी
श्री पी. के. चैटर्जी
श्री एस. बैनर्जी

अनुबंध ग

मानकीकरण तथा गुणता तंत्र के लिए राज्य स्तरीय समितियाँ

राज्य/संघ शासित क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश	अध्यक्ष उद्योग निदेशक, आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
असम	आयुक्त, उद्योग विभाग, असम सरकार, गुवाहाटी
बिहार	सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना
दिल्ली	उद्योग आयुक्त, दिल्ली प्रशासन, सीपीओ भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली
गुजरात	उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार, उद्योग, खान और ऊर्जा विभाग सचिवालय, गांधीनगर, गुजरात
हरियाणा	मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़
हिमाचल प्रदेश	आयुक्त सह-सचिव, उद्योग विभाग, शिमला
जम्मू व कश्मीर	अपर मुख्य सचिव (योजना), जम्मू व कश्मीर सरकार, श्रीनगर
कर्नाटक	अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, विधाना सौंध, बंगलौर
केरल	मुख्य सचिव, केरल सरकार, तिरूअनंतपुरम

मध्य प्रदेश	सचिव, खाद्य एवं नागरिक पूर्ति, मध्य प्रदेश सरकार, बल्लभ भवन, भोपाल
मणिपुर	सचिव, उद्योग, मणिपुर सरकार, मणिपुर
महाराष्ट्र	विकास आयुक्त (उद्योग), महाराष्ट्र सरकार, बम्बई
मेघालय	मुख्य सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग
उड़ीसा	उद्योग विभाग, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर
पांडिचेरी	सचिव पांडिचेरी सरकार, चेम्बर आफ सेक्रेटरी (उद्योग), मुख्य सचिवालय, पांडिचेरी
पंजाब	सचिव, उद्योग विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़
राजस्थान	सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर
तमिलनाडु	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार, फोर्ट, सेंट जॉर्ज, मद्रास
उत्तर प्रदेश	सचिव उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
पश्चिम बंगाल	मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, राइटर्स भवन, कलकत्ता

लेखा परीक्षण प्रमाण - पत्र

मैंने भारतीय मानक ब्यूरो के 31 मार्च 1992 को समाप्त हुए वर्ष के आय और व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च 1992 के तुलन पत्र की जाँच कर ली है, मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यक्षीन अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में दिए गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.11.92

हस्ता.
(के. मुत्तूकुमार)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षक

वर्ष 1991-92 के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

1. प्रस्तावना

भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1987 से एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अधिनियम के साथ हुई थी। उसने एतदपूर्व भारतीय मानक संस्था द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य, जैसे उत्पाद, प्रमाणन, गुणता

आश्वासन, परामर्श-सेवा, परीक्षण आदि को हाथ में लिया।

ब्यूरो की गतिविधियों का वित्त-पोषण प्रमाणन मुहर देने के लिए ली गई फीस, प्रकाशनों की बिक्री और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान से होता है।

ब्यूरो की लेखा-परीक्षा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22(2) के और सी ए जी (डी पी सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अन्तर्गत की गई थी।

2. लेन-देन का सारांश

वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का आय-व्यय का सारांश निम्नलिखित है :

आय	1990-91 (लाख रूपयों में)	1991-92
प्रगाणन शुल्क	1582.99	1801.04
मानकों की बिक्री	135.94	154.72
अन्य मदों से आय	28.22	35.90
	<u>1747.15</u>	<u>1991.66</u>
व्यय		
1. वेतन एवं भत्ते	985.55	1052.76
2. सेवानिवृत्ति लाभ	5.60	7.56
3. अन्य स्टाफ लाभ	50.05	59.63
4. यात्रा खर्च	67.61	66.97
5. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदा	59.19	107.41
6. उत्पादन	51.63	56.65
7. परीक्षण	100.71	124.66
8. प्रचार	12.95	16.24
9. कार्यालय खर्च	150.32	187.88
10. मरम्मत और रख-रखाव	39.18	48.43
11. अन्य	58.57	58.64
12. गूल्य-ह्यस	188.08	136.18
13. विश्व बैंक परियोजना राजस्व व्यय	-	7.08
14. विश्व बैंक प्रतिदान निधि का नियोजन	50.00	50.00
	<u>1817.50</u>	<u>1980.09</u>
अधिशेष/(घाटा)	(-) 70.35	(+) 11.57

3. तुलन पत्र

3.1 मानकों के स्टॉक का उल्लेख न किया जाना/रखरखाव न किया जाना।

ब्यूरो द्वारा प्रकाशित मानकों को प्रकाशन 15 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रकाशनों का मूल्य 10 रु० से लेकर 100 रु० प्रति मानक की रेंज में है। वर्ष 1991-92 के दौरान मानकों के मुद्रण पर होने वाला व्यय तथा मानकों की बिक्री से होने वाली प्राप्तियां क्रमशः रु० 39.67 लाख तथा 154.72 लाख थी। समूह 10 से लेकर 15 के अन्तर्गत आने वाले मानकों का स्टॉक-लेखा, भा मा ब्यूरो द्वारा रखा जाता है लेकिन समूह 1 से लेकर 9 के अन्तर्गत आने वाले प्रकाशनों के बारे में कोई भी स्टॉक-लेखा नहीं रखा गया, इनकी कीमत रु० 10 से लेकर रु० 60 प्रति मानक के बीच में है।

इनके उत्तर में भा मा ब्यूरो ने बताया कि मानकों की संख्या बहुत बड़ी है (इसमें 15000 से अधिक लागू हैं) और इस विस्तृत स्टॉक लेखा का रख-रखाव बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए बड़ी संख्या में पूरक स्टॉक की जरूरत होगी जिससे इस तंत्र से उद्भूत आर्थिक लाभ, इसके परिणामस्वरूप बढ़ने वाले प्रशासनिक व्यय के समानुपातिक नहीं होंगे।

31 मार्च 1992 को मानकों के स्टॉक का मूल्यांकन भा मा ब्यूरो द्वारा नहीं किया गया और उनके वार्षिक लेखा में नहीं दिखाया गया। इसलिए वार्षिक लेखा में स्टॉक की स्थिति कम करके बतायी गयी है।

3.2 अंशदायी भविष्य निधि और सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत शेष राशि

अंशदायी भविष्य निधि तथा सामान्य भविष्य निधि के अन्तर्गत शेष राशि 31 मार्च 1992 तक क्रमशः रु० 38, 37, 267/- तथा रु० 10, 62, 80, 765/- थी। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम की उपधारा 39 के अंतर्गत सौंपी गयी शक्तियों के तहत

भारत सरकार, नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति विभाग) ने भविष्य निधि के प्रबंध के लिए अपनी अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 543 (अ) दिनांक 1 जून 1992 के द्वारा नियम 17 (जी) बनाया। इस संशोधन के परिणामस्वरूप ये दोनों निधियां 1990-91 से ब्यूरो के वार्षिक खाते से अलग कर दी गयी हैं। लेखा परीक्षा के दौरान यह बताया गया कि भा मा ब्यूरो के संशोधित नियम के नियम 17 जी के अंतर्गत भा मा ब्यूरो के मामले में महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा नामित की जाने वाली प्रशासक-समिति की नियुक्ति तथा इसके कार्यकलाप ब्यूरो का आन्तरिक मामला है और अभी तक इनकी ब्यूरो से पृथक अस्तित्व अथवा स्थिति नहीं है। इसलिए अंशदायी भविष्य निधि तथा सामान्य भविष्य निधि-खाते, ब्यूरो की निधियों का भाग होना चाहिए था किन्तु इन्हें इसके वार्षिक खाते में शामिल नहीं किया गया। अतः इन दो निधियों की लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी। उत्तर में ब्यूरो ने बताया कि ब्यूरो के वार्षिक खाते में अंशदायी भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि को शामिल करने के लिए भविष्य निधि प्रशासक समिति के अनुमोदन/ भा मा ब्यूरो विनियम में संशोधन की आवश्यकता है। अतः यह मामला तदानुसार उठाया जायेगा और इसके परिणाम लेखा परीक्षा को सूचित किया जायेगा।

3.3 पुरानी आपत्तियों/निरीक्षण रिपोर्टों का नहीं निपटाया जाना

आज तक 5 अनुच्छेदों सहित 2 रिपोर्ट निपटाने के लिए शेष है। इनका विषयवार ब्यौरा निम्नलिखित है

1.	1989-90	2
2.	1990-91	3

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 30.11.1992

हस्ता./-
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षक
(के. मुलुकुमार)